सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट - 2021 - 22

त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस)

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का कवरेज

चार श्रम संहिता
मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण

सभी के लिए ईएसआईसी कवरेज

ई–श्रम कार्ड

श्रमेव जयते

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	महत्वपूर्ण गतिविधियों के मुख्य अंश	1-14
2.	संगठनात्मक ढांचा और कार्य	15-28
3.	औद्योगिक संबंध केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.)	29-56
4.	राष्ट्रीय श्रम पुरस्कार	57-59
5.	मज़दूरी	60-68
6.	सामाजिक सुरक्षा	69-92
7.	श्रम कल्याण	93-97
8.	असंगठित कामगार	98-107
9.	बंधुआ मज़दूर	108-109
10.	ठेका श्रमिक	110-111
11.	महिलाएं और श्रम	112-119
12.	बच्चे एवं कार्य	120-129
13.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य	130-160
14.	श्रमिक शिक्षा	161-166
15.	कार्यक्रम	167-171
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण	172-173
17.	श्रम सांख्यिकी	174-189
18.	श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण	190-207
19.	सूचना प्रौद्यौगिकी/मीडिया संबंधी पहलें/ई.गवर्नेंस	208-215
20.	सतर्कता एवं लोक शिकायतों का निवारण	216-222
21.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	223-230
22.	प्रधान लेखा कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	231-234
23.	रोजगार महानिदेशालय	235-245
24.	विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता	246-252
25.	लिंग आधारित बजट	253

अध्याय-1

महत्वपूर्ण गतिविधियों के मुख्य अंश

परिचय

1.1 कार्य हर किसी के दैनिक जीवन का हिस्सा है और एक इंसान के रूप में उसकी गरिमा, कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास का अर्थ केवल नौकरियों का सृजन ही नहीं है, बल्कि वैसी कार्य दशाएँ भी हैं, जिनमें व्यक्ति स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के साथ काम कर सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है जो विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन और कार्यान्वयन द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में, श्रम बल की सुरक्षा, उनकी सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करके श्रमिकों के हितों की संरक्षा और सुरक्षा करते हुए उनके कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक प्रदान करके देश की श्रम शक्ति के जीवन और सम्मान में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। चूंकि श्रम भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का एक विषय है, अतः इसके संबंध में राज्य सरकारें भी कानून बनाने के लिए सक्षम हैं।

1.2 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्य करने की मर्यादित स्थिति और श्रमिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता, रोजगार–सृजन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए श्रम कानूनों के सरलीकरण हेतु विधायी और प्रशासनिक अनेक पहलें की गई हैं। मंत्रालय का प्रयास विश्वास का माहौल बनाना है जो आर्थिक विकास और उन्नति तथा देश की श्रम शक्ति की गरिमा के लिए आवश्यक है।

नई पहलें / महत्वपूर्ण गतिविधियां

विधायी पहलें

श्रम संहिताएं

1.3 सरकार ने 4 श्रम संहिताओं नामतः 8 अगस्त, 2019 को मजदूरी संहिता, 2019 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और 29 सितंबर, 2020 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 को अधिसूचित किया है।

1.4 श्रम कानूनों का संहिताकरण, अन्य बातों के साथ–साथ, परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करेगा, श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा और प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा जो अधिक उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देगा, इस प्रकार देश में रोजगार के सृजन के अवसर को उत्प्रेरित करेगा। इस प्रकार, यह श्रम बाजार की कठोरता को कम करके उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा और कठिनाई मुक्त अनुपालन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, यह श्रमिकों और उद्योग की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करेगा और श्रमिकों के कल्याण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

1.5 चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने आम जनता सहित सभी हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए निम्नलिखित मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं: –

- मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020;
- औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2020;
- औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल की मान्यता और ट्रेड यूनियनों के विवादों का न्यायनिर्णयन नियम, 2021;
- सामाजिक सुरक्षा संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020;
- सामाजिक सुरक्षा संहिता (कर्मचारी प्रतिकर) (केंद्रीय) नियम, 2021;
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ

(केंद्रीय) नियम, 2020; तथा

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा 16 (5) के तहत प्रारूप नियम।

1.6 इसके अलावा, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत, हितधारकों से सुझाव / आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र में निम्नलिखित मॉडल स्थायी आदेश पूर्व–प्रकाशित किए गए हैं:

- सेवा क्षेत्र के लिए आदर्श स्थायी आदेश, 2020;
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेश, 2020; तथा
- खानों के लिए मॉडल स्थायी आदेश, 2020

1.7 सेवा क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहली बार सेवा क्षेत्र के लिए एक अलग मॉडल स्थायी आदेश तैयार किया गया है।

1.8 "श्रम" संविधान की समवर्ती सूची में आता है और श्रम संहिताओं के तहत, केंद्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों द्वारा भी इसके संबंध में नियम बनाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और कई राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने 4 श्रम संहिताओं के तहत नियम पूर्व–प्रकाशित किए हैं। उन राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण जिन्होंने चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों का मसौदा पूर्व–प्रकाशित किया है, इस प्रकार हैं:

4 श्रम संहिताओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियमों की स्थिति (11.01.2022 तक)

कोड का नाम	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम जिन्होंने नियमों का मसौदा पूर्व-प्रकाशित किया है
मजदूरी संहिता, 2019	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली के एनसीटी सरकार (26)
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ और पुडुचेरी (22)
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़(20)
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता,2020	अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, पंजाब, गुजरात, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़ (17)

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान–धन (पीएम–एसवाईएम), और व्यापारियों, दुकानदारों और स्व–रोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का कार्यान्वयनः

1.9 पीएम–एसवाईएम और एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम, मार्च और सितंबर, 2019 असंगठित क्षेत्र के कामगारों और व्यापारियों, दुकानदारों और स्व–नियोजित व्यक्तियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने और 3,000/– प्रति माह रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। असंगठित कामगारों के साथ– साथ व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले 18–40 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनकी मासिक आय 15000/–रु. या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) के तहत कवर नहीं हैं और आयकर दाता इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को न्यूनतम 3000/– रुपये की मासिक सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंर्तगत कामगारों को योजनाओं में प्रवेश की आयु के आधार पर 55 से 200/– रूपये तक विहित अंशदान करना अपेक्षित है तथा केन्द्र सरकार भी समान मैंचिग अंशदान करती है। इस योजना में नामांकन देश भर में 4 लाख से अधिक केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, पात्र व्यक्ति www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्व–नामांकन कर सकते हैं। 31.12.2021 तक पीएम–एसवाईएम और एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम के तहत क्रमशः 45.90 लाख से अधिक और लगभग 47 हजार लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है।

ई–श्रम

1.10 इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26.08.2021 को ई–श्रम पोर्टल शुरू किया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप और परिवार के विवरण आदि का ब्यौरा होगा ताकि उन्हें नियोजनीयता का अधिकतम लाभ हो सके और उनतक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। पोर्टल प्रवासी और सन्निर्माण कामगारो को लाभों की वहनीयता भी प्रदान करता है। यह भविष्य में कोविड–19 जैसे किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए सरकार को एक व्यापक डेटा बेस भी प्रदान करेगा। यह प्रवासी श्रमिकों, सन्निर्माण कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। 31.12.2021 तक असंगठित क्षेत्र के 17 करोड़ से अधिक कामगारों को ई–श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत किया गया है। सभी पात्र पंजीकृत असंगठित कामगार मृत्यु के मामले में 2.0 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ और स्थायी अपंगता के मामले में एक वर्ष के लिए निःशुल्क 1.0 लाख रु. पाने के हकदार हैं।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन सुधार

श्रम सुविधा पोर्टलः

1.11 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और अनुपालन की जटिलता को कम करने के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' विकसित किया है। यह मंत्रालय के तहत चार प्रमुख संगठनों के लिए कार्य करता है, **अर्थात्**

- मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केंद्रीय)
- खान सुरक्षा महानिदेशालय
- कर्मचारी भविष्य – निधि संगठन ; तथा
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम

1.12 पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (लिन): ऑनलाइन निरीक्षण और अनुपालन की सुविधा के लिए पंजीकरण के बाद इकाइयों को लिन आवंटित किया जाता है।
- ऑनलाइन रिटर्नः इकाइयों को अब पहले की तरह अलग रिटर्न भरने के बजाय एकल स्व–प्रमाणित और सरलीकृत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है।

- जोखिम आधारित मानदंड पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना।

1.13 ऑनलाइन निरीक्षण और अनुपालन की सुविधा के लिए पंजीकरण के बाद इकाइयों को विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (लिन) का आवंटन पोर्टल पर 16.10.2014 को इसके प्रांरभ के साथ ही शुरू किया गया था। 31.12.2021 तक 34,64,385 इकाइयों को विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (लिन) आवंटित की गई ।

1.14 केंद्रीय क्षेत्र में पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना 16.10.2014 को इसके प्रांरभ के साथ ही पोर्टल पर शुरू की गई थी। निरीक्षण योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- जोखिम आधारित वस्तुपरक मानदंड के आधार पर निरीक्षण की एक कम्प्यूटरीकृत सूची यादृच्छिक ढंग से तैयार की जाती है।
- गंभीर मामलों को अनिवार्य निरीक्षण सूची के अंतर्गत शामिल किया जाना है।
- डेटा और साक्ष्य के आधार पर जांच के बाद प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसियों की केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाइयों (सीएआईयू) द्वारा केंद्रीय रूप से शिकायत आधारित निरीक्षण निर्धारित किए जाते हैं।
- 48 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से अपलोड करना।
- श्रम निरीक्षण योजना के शुभारंभ के बाद से, चार केंद्रीय श्रम प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 6,43,472 निरीक्षण रिपोर्टें श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की गई हैं।

ऑनलाइन रिटर्न

1.15 आठ (8) केंद्रीय श्रम अधिनियमों, अर्थात् मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, और भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन) और सेवा शर्तें) (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996, के संबंध में एकीकृत ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न अनिवार्य कर दिया गया है। ये रिटर्न जो पहले अर्धवार्षिक/वार्षिक थे, अब सभी नियोक्ताओं द्वारा केवल वार्षिक रूप से दाखिल किए जाने की आवश्यकता है और इन्हें ऑनलाइन दाखिल किया जाना है। दिनांक 24.04.2015 को ऑनलाइन रिटर्न के शुभारंभ के बाद से, केंद्रीय क्षेत्र में (केवल सीएलसी और डीजीएमएस रिटर्न का योग) श्रम सुविधा पोर्टल पर दिनांक 31.12.2021 तक 2,13,441 ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

1.16 खान अधिनियम, 1952 (कोयला खान विनियम, धातुकर्म खान विनियम और तेल खान विनियम) के तहत विवरणियां श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन कर दी गई हैं। श्रम सुविधा पोर्टल पर दिनांक 31.12.2021 तक 21,684 ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।

1.17 हरियाणा श्रम विभाग के संबंध में सामान्य ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न भी पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है। श्रम सुविधा पोर्टल पर दिनांक 31.12.2021 तक 6977 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।

1.18 ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए एकीकृत मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान–सह–रिटर्न (ईसीआर) को चालू कर दिया गया है।

1.19 ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए सामान्य पंजीकरण फॉर्म आरंभ कर दिया गया है। दिनांक 31.12.2021 तक ईपीएफओ के साथ 3,23,640 इकाइयों और ईएसआईसी के साथ 2,66,414 इकाइयों को पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, एमसीए पोर्टल (www.mca.gov) पर स्पाइस+ और एजाइल–प्रो ई. फॉर्म के माध्यम से कंपनी के निगमन के समय नई सार्वजनिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और वन पर्सन कंपनी के लिए दिनांक 15.02.2020 से ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए सामान्य पंजीकरण फॉर्म आरंभ कर दिया गया है। दिनांक 15.02.2020 से श्रम सुविधा पोर्टल पर

नई पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और वन पर्सन कंपनी के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण रोक दिया गया है।

1.20 तीन केंद्रीय अधिनियमों के तहत सामान्य पंजीकरण अर्थात् ठेका श्रम (रोजगार का विनियमन एवं सेवाशर्तें) भवन और अन्य संहित निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा – शर्तें) अधिनियम, 1996, अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 और श्रम सुविधा पोर्टल ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सुविधा का उपयोग करते हुए दिनांक 31.12.2021 तक 14,423 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

1.21 दो केंद्रीय अधिनियमों, अर्थात्, अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1979 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस सुविधा का उपयोग करते हुए दिनांक 31.12.2021 तक 56,140 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

राज्य एकीकरण

1.22 राज्यों को श्रम सुविधा पोर्टल से जोड़ने का काम चल रहा है। आज की तिथि में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली को पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। डेटा साझा किया जा रहा है और राज्य श्रम प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों को लिन आवंटित किया जा रहा है।

स्टार्ट अप इंडिया

1.23 श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से स्व–प्रमाणित घोषणा प्रस्तुत करने वाले स्टार्ट–अप को छह (6) केंद्रीय श्रम अधिनियमों के तहत श्रम निरीक्षण से छूट की सुविधा प्रदान की जा रही है।

1.24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह दी गई है कि वे स्टार्ट–अप्स के लिए जहां कहीं लागू हो, निरीक्षणों को विनियमित करें और स्व–प्रमाणन अनुपालन व्यवस्था को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करें। 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने स्टार्ट–अप के लिए चार (4) श्रम कानूनों, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1996, अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत स्व–प्रमाणन के लिए और निरीक्षण को विनियमित करने के लिए, जहां कहीं भी लागू हो, इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.01.2016/06.04.2017 को जारी परामर्शी पर कार्रवाई की है।

औद्योगिक संबंध

निगरानी और निपटान, संभावित/मौजूदा औद्योगिक विवाद (समाधान) पोर्टल के संचालन के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन :

1.25 समाधान (निगरानी और निपटान के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, संभावित/मौजूदा औद्योगिक विवाद से निपटने के लिए) एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो कामगारों को संबंधित सुलह अधिकारी के साथ जहां केंद्र सरकार समुचित सरकार है, अपने विवाद को दर्ज करने का एक आसान तरीका प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस तंत्र (सिस्टम) को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह सभी हितधारकों (अर्थात कर्मकार, सुलह अधिकारी, समुचित सरकार और सीजीआईटी) को एक ही छत के नीचे यानी समाधान पर एकीकृत करता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय–3 देखें)।

रोजगार महानिदेशालय

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

1.26 सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और कोविड के ठीक होने के बाद के चरण में रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए आत्मानिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के हिस्से के रूप में श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध में घोषित उपायों में से एक आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना है, जिसके तहत ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान और उनके नए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा यदि प्रतिष्ठान दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक के बीच नौकरी खो चुके कर्मचारी या नए कर्मचारी को रोजगार में

लेते हैं । अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 23 (पैरा 23.42) देखें।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा

1.27 मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा (एनसीएस) परियोजना को मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित कर रहा है ताकि रोजगार संबंधी विभिन्न सेवाएं जैसे कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचना, शिक्षुता, इंटर्नशिप आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा में परिवर्तन किया जा सके। एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) दिनांक 20.07.2015 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। **अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 23 देखें।**

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

1.28 प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) योजना 9 अगस्त, 2016 को नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी, जहां भारत सरकार ईपीएफ और ईपीएस हेतु नए रोजगार के लिए 01.04. 2018 से नियोक्ता के लिए लागू 12% पूर्ण योगदान का भुगतान कर रही थी। इस योजना का दोहरा लाभ हुआ, जहां एक ओर, नियोक्ता को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और दूसरी ओर इन कामगारों को संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्राप्त होगी। यह योजना ईपीएफओ के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। **अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 6 और 23 देखें।**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी):

नई पहल

कोविड–19 महामारी के दौरान ईएसआई निगम द्वारा किए गए सेवा उपाय

1.29 चिकित्सा

- पूरे भारत में निम्नलिखित ईएसआईसी अस्पतालों **(2636 आइसोलेशन बेड के साथ)** ने क्षेत्र की आम जनता को विशेष रूप से कोविड चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए **कोविड–19 समर्पित अस्पतालों** के रूप में कार्य/कार्य किया है:

मार्च से अगस्त 2020 तक समर्पित ईएसआईसी अस्पताल

क्र.सं	अस्पताल का स्थान	राज्य का नाम	संगरोध बिस्तरों की संख्या	आइसोलेशन बेड
1	बिहटा	बिहार	400	
2	कोरबा	छत्तीसगढ़	100	
3	रायपुर		100	
4	वापी	गुजरात		100
5	अंकलेश्वर			100
6	बापूनगर			250
7	फरीदाबाद	हरियाणा		470
8	गुरुग्राम			80
9	बद्दी	हिमाचल प्रदेश		100
10	आदित्यपुर	झारखंड		42
11	बारी-ब्राह्मण	जम्मू और कश्मीर		50

12	गुलबर्गा	कर्नाटक	240	120
13	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	50	
14	इंदौर	मध्य प्रदेश		300
15	अलवर	राजस्थान	444	
16	भिवाड़ी			50
17	जयपुर			250
18	उदयपुर			100
19	साहिबाबाद	उत्तर प्रदेश		100
20	जाजमऊ			70
21	वाराणसी (सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक)			54
22	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु		100
23	जोका	पश्चिम बंगाल		300
		कुल	**1334**	**2636**

- उपरोक्त के अलावा, देश भर के शेष अधिकांश ईएसआईसी अस्पतालों में **लगभग 961 कोविड आइसोलेशन बेड** उपलब्ध हैं, जिनमें से विभिन्न ईएसआईसी अस्पतालों **में कुल 3597 कोविड आइसोलेशन बेड हैं।** इसके अलावा, इन अस्पतालों में **213 वेंटिलेटर के साथ कुल 555 आईसीयू/एचडीयू बेड** भी उपलब्ध कराए गए हैं।

- ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद (हरियाणा), ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सनथ नगर (तेलंगाना) और ईएसआईसी–पीजीआईएमएसआर, बसई दारापुर (दिल्ली) ने आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित इन–हाउस कोविड–19 लैब परीक्षण सेवा शुरू कर दी है।

- ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सनथ नगर द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से "मोबाइल बीएसएल–3 वीआरडीएल लैब" नाम से भारत की पहली आईसीएमआर अनुमोदित कोविड –19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई है।

- ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फरीदाबाद (हरियाणा) और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सनथ नगर (तेलंगाना) में गंभीर सीओवीआईडी –19 रोगियों के जीवन को बचाने के लिए दर्शाए गए प्लाज्मा थेरेपी को शुरू किया गया है।

- ईएसआईसी अस्पताल झिलमिल, ओखला और नोएडा में रैपिड कोविड–19 एंटीजन टेस्ट सुविधाएं और ईएसआईसी पीजीआईएमएसआर बसैदरापुर, दिल्ली और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदाबाद में आरटी–पीसीआर शुरू की गई हैं।

- इस कठिन समय में ईएसआई लाभार्थियों की कठिनाई को कम करने हेतु ईएसआईसी ने निजी केमिस्टों से लाभार्थियों द्वारा दवाओं की खरीद और ईएसआईसी द्वारा बाद में इसकी प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है।

- ईएसआईसी अस्पताल को पूर्णरूपेण कोविड –19 अस्पताल के रूप में घोषित किए जाने की स्थिति में, टाई–अप अस्पताल से चिकित्सा

सेवाएं प्रदान करने के लिए वैकल्पिक प्रावधान किए गए हैं, ताकि विशेष रूप से कोरोना संदिग्ध / पुष्टि किए गए मामलों का निपटारा किया जा सके। ऐसे मामलों में, ईएसआई लाभार्थियों को उस अवधि के दौरान जिसके लिए संबंधित ईएसआईसी अस्पताल पूर्णरूपेण कोविड –19 अस्पताल के रूप में कार्य करता है, निर्धारित अतिरिक्त/एसएसटी परामर्श/प्रवेश/जांच प्रदान करने के लिए टाई–अप अस्पतालों में भेजा जा सकता है। ईएसआई लाभार्थी अपनी पात्रता के अनुसार, रेफरल पत्र के बिना सीधे टाई–अप अस्पताल से आपातकालीन / गैर–आपातकालीन चिकित्सा उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं।

- सरकारी लैब द्वारा देरी होने / रिपोर्ट नहीं किए जाने तथा समय पर प्रयोगशाला और उस समय रोगी प्रबंधन को प्रभावित होने की स्थिति में ईएसआईसी ने ईएसआईसी लाभार्थियों को आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं के साथ टाई–अप से कोविड परीक्षण की अनुमति दी है,

- ईएसआईसी अस्पताल, रुद्रपुर में कोविड 19 के लिए फिटनेस सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें कारखाने में शामिल होने से पहले स्क्रीनिंग (सामान्य शारीरिक परीक्षा) से गुजरकर सभी कारखाने के कामगारों को 'फिट' घोषित किया जाता है। (औसतन 200 कामगारों की दैनिक जांच की जाती है)।

- कोरोना वायरस से संबंधित मामलों के संबंध में राज्य/केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय के लिए प्रत्येक ईएसआईसी अस्पताल में कोविड नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, ईएसआईसी अस्पतालों ने एमओएच एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार द्वारा नियमित आधार पर जारी किए जा रहे सभी अद्यतन दिशा निर्देशों को अपनाया है। ईएसआईसी मुख्य कार्यालय में देश भर के ईएसआईसी अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसे सभी उपायों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी की गई है।

- प्रत्येक ईएसआईसी अस्पताल में मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट आदि के पर्याप्त स्टॉक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

- ईएसआईसी स्वास्थ्य संस्थान परिसरों के कीटाणुशोधन, एसेप्सिस और सैनिटाइजेशन की संख्या में उपयुक्त वृद्धि की गई है।

- देश भर में प्रवासी श्रमिकों (ईएसआई लाभार्थी) को चिकित्सा लाभ प्राप्त करने में आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, आपातकालीन स्थिति में, अपने गृह नगर के निकटतम ईएसआईसी अस्पताल से चिकित्सा देखभाल सेवाओं के अवसर तलाशने के लिए छूट दी गई थी।

1.30 गैर चिकित्सा

- फरवरी, 2020 और मार्च–2020 के महीने के लिए ईएसआई अंशदान जमा करने के लिए छूट क्रमशः 15/05/2020 और 15/6/2020 तक प्रदान की गई है।

- नियोक्ताओं को अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 और अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि की अंशदान संबंधी रिटर्न को क्रमशः 15/5/2020 और 15/06/2020 तक दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।

- ईएसआई लाभार्थी जो लॉकडाउन के कारण 10/– रुपये प्रति माह की दर से नियम – 60 और 61 के तहत अग्रिम एकमुश्त अंशदान जमा करने में असमर्थ हैं, ऐसे लाभार्थी को 30–6–2020 तक चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए छूट दी गई है।

ईपीएफओ द्वारा जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 तक की गई नई पहल

1.31 ईपीएफओ ने विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें से व्यापक प्रभाव वाली प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं–

I. यूएएन की सेल्फ जेनरेशन की सुविधाः

जिन कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा यूएएन आवंटित नहीं किया गया है, वैसे कर्मचारी के लिए यूएएन की सेल्फ जेनरेशन की सुविधा यूनी फाइड पोर्टल पर प्रदान किया गया था। इस सुविधा को उमंग ऐप के माध्यम से भी दोहराया गया है।

ii. अपने यूएएन को जानें की सुविधाः

कई बार सदस्य नियोक्ता से अपना यूएएन एकत्र करने में विफल रहे और ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाना नहीं जानते हैं। ऐसे सदस्य भी हैं जो 01–01–2010 से पहले पहले काम छोड़ चुके थे और उनका यूएएन जेनरेट नहीं हुआ था। ऐसे सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए, उनके यूएएन को जानने और मौजूदा सदस्य के विरूद्ध यूएएन जेनरेट करने की सुविधा प्रदान की गई है।

iii अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक पोर्टल (आईडब्ल्यूपी) में ई–साइन सुविधाः

आईएस डिवीजन ईपीएफओ की प्रक्रियाओं को कागज मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कामगारों से संबंधित सेवाओं की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, ई–साइन सुविधा को नियोक्ता पोर्टल और ईपीएफओ पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। यह सुविधा सीओसी (कवरेज का प्रमाण पत्र), सीओसी–एक्सटेंशन और सीओसी–बीपी रद्दीकरण को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करती है।

iv आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एवीआरवाई) कार्यक्षमताः

इस योजना के अनुसार, भारत सरकार दो वर्षों के लिए 1000 तक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ के लिए 12% कर्मचारियों के अंशदान और 12% नियोक्ताओं के अंशदान यानी वेतन का 24% दोनों का भुगतान करेगी। इसके निर्बाध रूप से काम करने के लिए, ईपीएफओ ने एवीआरवाई की कार्यक्षमता विकसित की है।

v. प्रमुख नियोक्ता, ठेका कामगारः

ईपीएफओ ने प्रमुख नियोक्ताओं हेतु अपने ठेकेदारों के ई पी एफ अनुपालन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा शुरू की है। ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं होने वाले प्रमुख नियोक्ता (पीई) अपने ठेकेदारों और अनुबंध कर्मचारियों के विवरण को जोड़ने के लिए लॉगिन / पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एकीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

vi. एस बी आई के माध्यम से बैंक खाते का ऑटो सत्यापनः

भारतीय स्टेट बैंक में बैंक खाता रखने वाले सभी सदस्यों के लिए, खाता संख्या को बैंक द्वारा ही सत्यापित किया जाता है और सत्यापन के बाद खाते के विवरण को नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना सदस्य केवाईसी में जोड़ा जाता है। यह प्रणाली केवाईसी की प्रक्रिया से मैन्युअल चरण को हटाकर उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करती है।

vii. शिकायतों के पंजीकरण, प्रसंस्करण और निगरानी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), आंचलिक कार्यालयों (जेडओ) और मुख्य कार्यालय द्वारा वैकल्पिक निरीक्षण के लिए वेब सुविधाः

सीएआईयू लॉगिन में शिकायतों का पंजीकरण, प्रसंस्करण, निगरानी और निरीक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली की सहायता से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय निरीक्षण के लिए अनुरोध अपलोड कर सकता है जिसे परीक्षण कर पर आं.का. द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार किया जा सकता है। अनुमोदित निरीक्षण के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय प्रवर्तन अधिकारी को नियुक्त कर सकता है और निरीक्षण के बाद रिपोर्ट को पोर्टल में अपलोड किया जा सकता है। प्रत्येक निरीक्षण में हुई प्रगति की निगरानी आंचलिक कार्यालयों और सी ए आई यू, मुख्य कार्यालय द्वारा की जा सकती है।

viii. नियोक्ता लॉगिन में डीएससी / ई–साइन प्राधिकरण पत्र अपलोड करने की सुविधा

पहले पेंशनभोगी के पास योजना के पैरा 12 ए के अनुसार तीन तरीकों से पेंशन के कम्यूटेशन का विकल्प था। ये विकल्प 26 सितंबर 2008 से पहले उपलब्ध थे। फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उन पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए एक नई प्रणाली जोड़ी गई है जिन्होंने आरओसी–III (एक बार एकमुश्त) का विकल्प चुना था , अब लाभ के लिए पात्र हैं।

ix. एप्लीकेसन सॉफ़्टवेयर में आर ओ सी –III प्रदान करने की सुविधा

ईपीएफओ को पेपरलेस बनाने के प्रयास में, डीएससी / ई–साइन प्राधिकरण पत्र को डिजिटल रूप से अपलोड करने के लिए एकीकृत पोर्टल में एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह डीएससी / ई–साइन अनुमोदन अनुप्रयोगों की पारदर्शिता और बेहतर निगरानी में सुधार करने में संगठन की मदद करेगा।

x. नियोक्ताओं के लिए बंद की घोषणा करने की सुविधाः–

अंशदान न करने वाले नियोक्ताओं के लिए पोर्टल के माध्यम से बंद की घोषणा करने की सुविधा प्रारंभिक निपटान और आवश्यक कार्रवाई में मदद करती है जिसे फील्ड ऑफिस द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। यह नियोक्ताओं के डेटा बेस को अपडेट रखने में भी मदद करेगा। पहले नियोक्ताओं को बंद करने की घोषणा करने के लिए मैन्युअल रूप से कार्यवाही करना पड़ता था

निगरानी और मूल्यांकन इकाई

1.32 मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट (एमईयू) मंत्रालय का अभिन्न अंग है और बजट के विभिन्न घटकों के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय की सभी योजनाओं के आउटपुट–आउटकम मॉनीटरिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इकाई मुख्य रूप से नीति आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन की योजनाओं से संबंधित कार्यों सहित सूचना / सामग्री के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह मंत्रालय की योजनाओं के पंद्रहवर्षीय विजन डॉक्यूमेंट (2030), सातवर्षीय रणनीति दस्तावेज और तीन वर्षीय कार्य योजना से भी संबंधित है। इसके अलावा, यह इकाई मंत्रालय के लिए आर्थिक सर्वेक्षण सामग्री तैयार करने और विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के ईएफसी / एसएफसी पर टिप्पणियों और विभिन्न संस्थानों से प्राप्त आर्थिक मामलों में समन्वय करती है। यह इकाई नीति आयोग के आउटपुट–आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओएमएफ), अनुसूचित जाति (एडब्ल्यूएससी) के कल्याण के लिए आवंटन, अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की निगरानी, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) घटक के व्यय की निगरानी और विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल / क्षेत्र अधिकारियों (डीएस / निदेशक / जेएस स्तर) की प्रतिनियुक्ति की एक नोडल इकाई भी है। ईएसआईसी, डीजी (ई), सीएलसी (सी), लेबर ब्यूरो, डीजीएफएएसएलआई, डीजीएमएस, एलडब्ल्यूओ, वीवीजीएनएलआई और डीटीएनबीडब्ल्यूईडी)। एमईयू की अध्यक्षता मंत्रालय में वरिष्ठ / प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार (एसएलईए / पीआईपीआईएल) / डीजी (एस) द्वारा की जाती है।

1.33 वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) / केंद्र प्रायोजित (सीएसएस) / अन्य केंद्रीय व्यय (ओसीई) योजनाओं के लिए 12755.90 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति कल्याण के लिए आबंटन के लिए 2117.50 करोड़ रुपए (कुल आबंटन का 16.60%) और सीएस / सीएसएस / ओसीई स्कीमों के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के अंतर्गत आबंटन के लिए 1097.02 करोड़ रुपए (कुल आबंटन का 8.60%) निर्धारित किए हैं।

ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की भारतीय अध्यक्षता के तहत बैठक (2021).

1.34 भारत ने वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स और ब्रिक्स के श्रम और रोजगार ट्रैक सचिवालय की अध्यक्षता किया।

ब्रिक्स रोजगार कार्य समूहों की दो बैठकों में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों द्वारा अपनाई गई घोषणा का निर्माण किया गया। यह बैठक कोविड–19 महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जा सकती है। विचार–विमर्श के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लिया गया था–

1. देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना;
2. श्रम बाजारों का औपचारीकरण;
3. श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी;
4. गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारः श्रम बाजार में भूमिका.

1.35 ब्रिक्स के श्रम और रोजगार मंत्रियों ने 15 जुलाई, 2021 को आयोजित चर्चाओं के आधार पर अपनी वर्चुअल बैठक में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा को अंगीकार किया। ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों द्वारा अपनाए गए ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा 2021 ने स्वीकार किया कि कोविड–19 महामारी ने बेरोजगारी, मर्यादित कार्य घंटे और असमानता को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ उबरने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के मजबूत दृढ़ संकल्प को दर्शाया है। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों की बातचीत शुरू करने के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति व्यक्त की है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षताः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष

1.36 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित पद है। भारत ने आईएलओ के अस्तित्व के 100 वर्षों के दौरान पहले केवल चार अवसरों पर शासी निकाय के अध्यक्ष का पद संभाला था। 35 साल के अंतराल के बाद, भारत ने 2020–21 के दौरान आईएलओ के शासी निकाय की अध्यक्षता संभाली। सचिव (श्रम एवं रोजगार) श्री अपूर्व चंद्रा ने अक्टूबर, 2020 से जून, 2021 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शासी निकाय के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। उनकी अध्यक्षता के दौरान, शासी निकाय की बैठकों को वर्चुअली आयोजित करने के लिए सभी नई और अभिनव प्रक्रियाओं को विकसित किया गया था। उन्होंने 2–14 नवंबर, 2020 के दौरान और 15–27 मार्च, 2021 के दौरान आईएलओ के शासी निकाय के 340 वें और 341 वें सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने 25 जून, 2021 को आईएलओ, जिनेवा में आईएलओ के शासी निकाय के 342 वें सत्र की भी अध्यक्षता की।

श्रम और रोजगार मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच ('आशय–पत्र" (कथ्य)) पर हस्ताक्षर

1.37 श्रम और रोजगार मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच एक आशय पत्र ('कथ्य') पर 17.06.2021 को श्रम और रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्रा और यूनिसेफ में देश के प्रतिनिधि डॉ. यास्मीन अली हक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस बयान पर मंत्रालय, यूनिसेफ और संबंधित नेटवर्क सदस्यों की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय युवाओं के लिए देश के भविष्य में योगदान और आकार देने के लिए प्रचुर मात्रा में विकल्पों को सक्षम करना और युवाओं को संगत कौशल और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। यह सहयोग युवाओं और नीति निर्माताओं सहित अन्य हितधारकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद और प्रतिक्रिया तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पहल है।

भारत के संदर्भ में कोविड–19 संकट से मानव–केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए वैश्विक आह्वान पर त्रिपक्षीय राष्ट्रीय वार्ता।

1.38 भारत के संदर्भ में कोविड–19 संकट से उबरने के लिए मानव–केंद्रित 'वैश्विक कॉल टू एक्शन' विषय पर एक त्रिपक्षीय राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), दिल्ली द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से 10 दिसंबर, 2021 को किया गया था। त्रिपक्षीय सम्मेलन का उद्देश्य 'ग्लोबल कॉल टू एक्शन' के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करना थाः

क) समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार; (ख) सभी श्रमिकों का संरक्षण; (ग) सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण; (घ) भारत के संदर्भ में सामाजिक संवाद; इस सम्मेलन की परिकल्पना भारत में कार्य और सतत विकास लक्ष्यों के भविष्य के लिए आईएलओ की शताब्दी घोषणा के कार्यान्वयन में योगदान देने वाली अभिसरण और त्रिपक्षीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य भाषण दिया। सम्मेलन के दौरान दो पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं।

श्रम ब्यूरो का 101वां स्थापना दिवस समारोह

1.39 3 अक्टूबर, 2021 को श्रम ब्यूरो ने चंडीगढ़ में अपना 101 वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर माननीय श्रम और रोजगार मंत्री मुख्य अतिथि थे। स्थापना दिवस समारोह में सचिव, श्रम और रोजगार, प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर ई–श्रम पोर्टल पंजीकरण की प्रगति और श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ की राज्य सरकारों के साथ एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने इस अवसर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई–श्रम कार्ड भी वितरित किए।

डब्ल्यूआरआई का आधार अपडेशन

1.40 डब्ल्यूआरआई पर टीएसी ने 19/08/2021 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में डब्ल्यूआरआई श्रृंखला (2016 = 100) के आधार अपडेशन पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और अनुमोदित किया है। यह रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा दिनांक 24–11–2021 को जारी की गई है।

घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (डीडब्ल्यूएस) लॉन्च

1.41 माननीय मंत्री (एल एंड ई) ने 22.11.2021 को घरेलू कामगारों के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण के फील्ड कार्य को हरी झंडी दिखाई।

त्रैमासिक स्थापना सर्वेक्षण (क्यूईएस) पहली रिपोर्ट लॉन्च

1.42 त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण की पहली तिमाही (अप्रैल से जून, 2021) की रिपोर्ट माननीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा 27 सितंबर, 2021 को जारी की गई थी।

उप क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय का उन्नयन

1.43 श्रम ब्यूरो के मुंबई उप–क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय के रुप में उन्नयन किया गया है।

श्रम ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालयः

1.44 जयपुर, इंदौर और हैदराबाद में श्रम ब्यूरो के तीन नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन

1.45 01/10/2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अमृत 2.0 और 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार में लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान, अक्टूबर, 2021 के महीने के दौरान उपरोक्त विशेष अभियान का निरीक्षण करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई थी।

1.46 1–15 नवंबर, 2021 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़ा के दौरान, कार्यालय परिसर, गलियारों, कमरों, सीढ़ियों, शौचालयों और लिफ्टों की सफाई की दैनिक निगरानी की जाती थी। वॉशरूम में इंसिनरेटर लगाए गए थे। इस दौरान अच्छी गुणवत्ता के पौधे व फूल रखकर परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया। अप्रचलित वस्तुओं और स्क्रैप का निपटान किया गया और नीलामी के माध्यम से 8.41 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई। कुल 4980 वर्गफुट क्षेत्र भी उन अप्रचलित वस्तुओं और स्क्रैप का निपटान करके जारी किया गया था।

1.47 बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने से बचने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारियों ने 21 जून, 2021 को 7 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 2021 को ऑनलाइन मनाया।

1.48. राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिवस) को 31

अक्टूबर, 2021 को **सरदार वल्लभभाई पटेल** की जयंती पर सामूहिक रूप से इकट्ठा होने से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम से घर से उनकी विचारधारा को याद करके मनाया गया था।

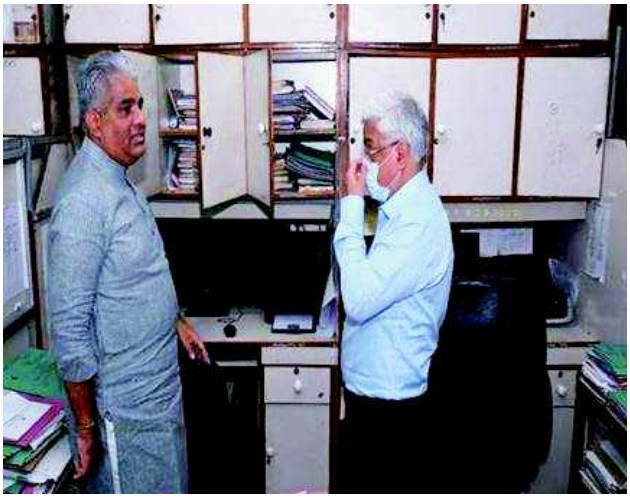

1.49 26 नवंबर, 2021 को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान दिवस मनाया गया था।

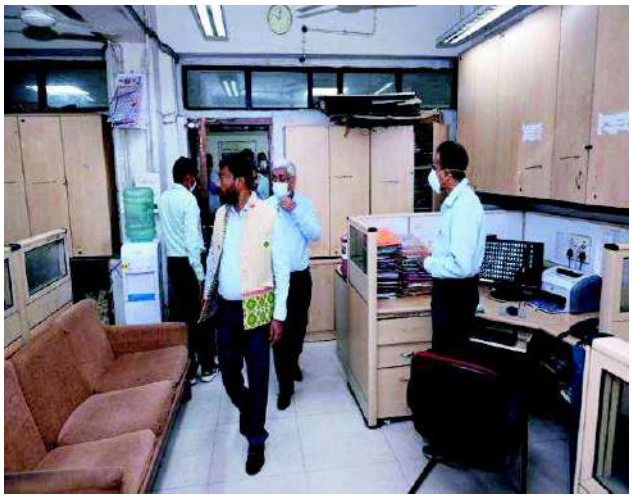

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.50 सुशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाबदेह, नागरिक–अनुकूल और जनता तक सूचना का प्रसार करने में सक्षम हो। सूचना का अधिकार प्रशासन में इन सभी विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और इसलिए, सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया, जो 12–10–2005 से लागू हुआ है।

1.51 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न लोक प्राधिकरणों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है।. इसमें संगठन के ब्यौरे, उसके कार्य और कर्तव्यों, सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण के पदनाम आदि से संबंधित सार्वजनिक डोमेन में सूचना का प्रसार शामिल है। मंत्रालय ने मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.gov.in पर विभिन्न श्रम अधिनियमों/विनियमों के बारे में जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण भी शुरू किया है, जिन्हें इस देश के नागरिकों के उपयोग के लिए सार्वजनिक किया जाना आवश्यक था। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों की अपनी वेबसाइटें हैं जो मंत्रालय की वेबसाइट से जुड़ी हुई हैं।

1.52 मंत्रालय ने एक नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है, जहां नागरिकों से आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं। वर्ष 2020–2021 (नवंबर, 2020 तक) सहित पिछले 2 वर्षों के दौरान, मुख्य सचिवालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय में प्राप्त आवेदन (मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त आरटीआई आवेदन
1	2020-2021	3564
2	2021-2022 (31.12.2021 की स्थिति के अनसार) (मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से)	4642

1.53 वर्ष के दौरान 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक, 53 आवेदक दूसरी अपील के रूप में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में गए हैं।

1.54. कोविड–19 महामारी के कारण मंत्रालय वर्ष 2021–22 में आरटीआई पर कोई कार्यशाला आयोजित नहीं कर सका।

विधिक प्रकोष्ठ

1.55 कानूनी मामलों के संबंधित पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से कानूनी मामलों के विभाग द्वारा कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिंब्स) शुरू किया गया था। मंत्रालय के कानूनी प्रकोष्ठ ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत सभी संगठनों द्वारा लिंब्स को लागू किया जाए, लिंबस पोर्टल पर लगभग सभी अदालती मामलों (31 दिसंबर, 2021 तक लगभग 96,990 अदालती मामलों) की जानकारी अपलोड करके लिंब्स को लागू करने में (श्रम और रोजगार मंत्रालय) अग्रणी संगठनों में से एक है।

अध्याय-2

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

श्रम क्षेत्राधिकार

2.1 भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची में है जहां केन्द्र के लिए कतिपय आरक्षित मामलों के शर्ताधीन केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों विधान अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं। **(बॉक्स 2.1)**

बॉक्स 2.1

विषयों का आवंटन	
संघ सूची	**समवर्ती सूची**
प्रविष्टि संख्या 55 - खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनियमन।	प्रविष्टि संख्या 22 - श्रमिक संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद।
प्रविष्टि संख्या 61 - श्रमिक संघों से संबंधित औद्योगिक विवाद।	प्रविष्टि संख्या 23 - सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी।
प्रविष्टि संख्या 65 - "व्यावसायिक प्रशिक्षण" संबंधी केन्द्रीय एजेंसियां और संस्थान	बीमा; श्रमिकों को रोजगार जिसमें कार्य दशाएं, भविष्य निधि, नियोजकों के दायित्व, कर्मकारों को मुआवजा, अक्षमता तथा वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभ शामिल हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय का विजन मिशन एवं उद्देश्य

विजन

2.2 बाल श्रमिकों से रहित भारत सुनिश्चित करते हुए तथा संधारणीय आधार पर नियोजनीयता को बढ़ाते हुए कामगारों की सभ्य कार्य–दशाएं तथा जीवन की उन्नत गुणवत्ता।

मिशन

2.3 कामगारों की कार्य की दशाओं, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को विनियमित करते हुए, बाल श्रम का उन्मूलन करते हुए, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए, श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए तथा रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देते हुए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का प्रावधान करने के लिए कार्यान्वयन नीतियां/ कार्यक्रम/ परियोजनाएं तैयार करना और कार्यान्वित करना।

2.4 उद्देश्य

1. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में बढ़ोतरी करना।
2. संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
3. बाल श्रम का उन्मूलन।
4. कौशल विकास को बढ़ावा देना।
5. रोजगार सेवाओं को सशक्त करना।
6. औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटान तथा श्रम कानून प्रवर्तन मशीनरी का सशक्तिकरण तथा
7. कामगारों की सुरक्षा दशाओं और सुरक्षा में सुधार करना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्री भूपेन्द्र यादव ने दिनांक 07.07.2021 से केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री रामेश्वर तेली ने दिनांक 07.07.2021 से, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री सुनील बड़थ्वाल, आईएएस (बीएचः1989) ने श्री अपूर्व चंद्रा, आईएएस (एमएचः1988), सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ था, के स्थान पर दिनांक 23.09.2021 से सचिव (श्रम और रोजगार) का कार्यभार संभाल लिया है।

ब्यूरो प्रमुख

श्री अरुण कुमार बिस्वास (आईएसएस) ने दिनांक 08.01.2020 से महानिदेशक (सांख्यिकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें राष्ट्रीय दिव्यांग सेवा केन्द्र (व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र) और राष्ट्रीय कैरियर सेवा संस्थान (सीआईआरटीईएस), रोजगार सांख्यिकी और संबंधित रिपोर्टों का कार्य सौंपा गया है। वह श्रम ब्यूरो, आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण (ईएसए), आपदा प्रबंधन, योजना एकक, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम संबंधी आयोग (एनसीएल) तथा दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईबी) से संबंधित कार्य देख रहे हैं।

श्री आशीष उपाध्याय, एएस एवं एफए (आईएएसः1989) ने श्रीमती शिबानी स्वाईं एएसएण्डएफए की अधिवार्षिता प्राप्त करने के बाद दिनांक 01.01.2022 से अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएण्डएफए) का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। वह श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी मामलों का कार्य देख रहे हैं। वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के व्यय की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं। एएसएण्डएफए, बजट और वित्त प्रभाग के प्रमुख हैं।

श्री अजय तिवारी, आईएएस (एएमः1993) ने संयुक्त सचिव एवं श्रम कल्याण महानिदेशक का पदभार 02.11.2018 को ग्रहण किया। वे श्रम कल्याण– ग्रामीण तथा असंगठित श्रमिक, बंधुआ श्रमिक, कामगारों के पंजीकरण और उन्हें कार्ड जारी करने सहित (असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सभी पहलु), डीबीटी, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 तथा बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 जिन्हें अब सामाजिक सुरक्षा संहिता में समाहित कर लिया गया है, से संबंधित कार्य देख रहे हैं। वे असंगठित कामगारों के लिए नई शुरू की गई पेंशन योजना प्रधानमंत्री–श्रम–योगी–मानधन योजना, असंगठित कामगारों, प्रवासी कामगारों के राष्ट्रीय डेटा तथा व्यापारियों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस–ट्रेडर्स) के नोडल अधिकारी भी हैं।

श्री आर.के.गुप्ता (सीएसएसः 1987) ने 01.08.2016 को संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे श्रम सुधार (औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दशाएं तथा मजदूरी संहिता) प्रशासन, आईटी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और प्रसूति लाभ, ईएसआईसी उपदान, कर्मचारी प्रतिकर आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामले, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामले, श्रम सम्मेलन, समन्वय का कार्य तथा एवीएमएस (एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली), भविष्य, ई–स्पैरो, ई–अनुभव, स्वच्छ भारत अभियान, एपीएआरएस के नोडल अधिकारी का कार्य देख रहे हैं। वह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और मुख्य अभिलेख अधिकारी भी हैं।

सुश्री विभा भल्ला {आईआरएस(आईटी)ः 1991} ने 20.02.2019 को संयुक्त सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है। वे श्रम सुविधा पोर्टल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), सीपीएफ अधिनियम, 1925, सामाजिक सुरक्षा मामले, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभाग, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), कारखाना अधिनियम एवं गोदी कामगार (सुरक्षा एवं स्वास्थ्य) अधिनियम आदि से संबंधित मामले, वेतन बोर्ड, वेतन प्रकोष्ठ तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुबंधों का कार्य देख रही हैं। वह रोजगार महानिदेशक (डीजीई) भी हैं।

सुश्री कल्पना राजसिंहोत, (आईपीओएसः 1992) ने दिनांक 26.10.2017 से संयुक्त सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है। वह वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(वीवीजीएनएलआई), रेलवे (एचओईआर) के लिए अपीलीय प्राधिकारी सहित औद्योगिक संबंधों से संबंधित सभी मामलों, आरआई(पीएल), बाल और महिला श्रम, नागरिक घोषणा–पत्र, मीडिया तथा औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभाग – खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) से संबंधित मामलों का कार्य देख रही हैं।

श्री गोपाल प्रसाद (आईईएस:2001) ने 16.09.2020 से आर्थिक सलाहकार का कार्यभार संभाल लिया है। वे केंद्रीय श्रम सेवा, केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण से संबंधित मामले, लोक शिकायतें, विधि मामलों, स्कीमों का मूल्यांकन एवं निगरानी तथा आरटीआई और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) से संबद्ध सभी मामलों का कार्य देख रहे हैं।

श्री नागेश कुमार सिंह (आईएसएस:2001) दिनांक 01.08.2019 से डीडीजी का पद संभाल रहे हैं। वह ईएसए (श्रम ब्यूरो), योजना एकक एवं राजभाषा अनुभाग का कार्य देख रहे हैं।

श्रीमती सुमन बाला, मुख्य लेखा नियंत्रक (आईसीएएस: 1991) ने मंत्रालय में दिनांक 12/08/2021 (पूर्वाह्न) से लेखा संगठन प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वह लेखा, बजट, डीबीटी और आंतरिक लेखा–परीक्षा का कार्य देख रही हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन संगठन

I) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

श्री मुखमीत सिंह भाटिया, आईएएस (जेएच:1990) ने दिनांक 25.03.2021 से ईएसआईसी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है।

II) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

सुश्री नीलम शमी राव, आईएएस (एमपी:1992) ने दिनांक 04.12.2021 से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

III) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) (सीएलसी(सी)) का कार्यालय

श्री अजय तिवारी, आईएएस (एएम:1993) को श्री डी. पी.एस. नेगी (आईईएस:1985) के स्थान पर दिनांक 01.12.2021 से मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

IV) महानिदेशक रोजगार (डीजीई) कार्यालय

श्री अमित निर्मल (आईएसएस:2001) दिनांक 14.12.2021 से उप–महानिदेशक (रोजगार) का पद संभाल रहे हैं।

संबद्ध कार्यालय

रोजगार महानिदेशालय (डीजीई)

2.5 यह कार्यालय पूरे देश में रोजगार सेवाओं के समन्वयन के लिए नीतियां, कार्यप्रक्रियाएं, मानक, मानदण्ड और दिशा–निर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। रोजगार समवर्ती विषय होने के कारण, नीतियों को निर्धारित करना, प्रक्रियाएं, मानक, मानदंड, दिशानिर्देशन केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि रोजगार कार्यालयों का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के हाथ में है। अधिकांश राज्यों में राज्य की राजधानियों में अवास्थित रोजगार निदेशालय है। इन कार्यकलापों के अतिरिक्त, डीजीई विशेष लक्षित समूहों की नियोजनीयता में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी संचालित करता है।

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) (सीएलसी (सी)) का कार्यालय

2.6 यह कार्यालय (क) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों की रोकथाम, जांच तथा निपटान; (ख) पंचाटों तथा करारों के प्रवर्तन; (ग) उन उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है; (घ) केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता का सत्यापन करने ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके; और (ङ) अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी के महंगाई भत्ता घटक के निर्धारण एवं संशोधन के लिए उत्तरदायी है।

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय

2.7 कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान

महानिदेशालय (डीजीफासली), मुंबई श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह निदेशालय, कारखानों और गोदी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों में मंत्रालय का तकनीकी स्कंध है। यह कारखानों और पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी नीतियों और विधानों की रचना/समीक्षा में केन्द्रीय सरकार की सहायता करता है, कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के संबंध में राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के कारखाना निरीक्षणालयों के साथ संपर्क बनाए रखता है; तकनीकी मामलों पर सलाग देता है, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 का प्रवर्तन करता है; औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता आदि में अनुसंधान कराता है; तथा औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य में तीन–माह का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (औद्योगिक स्वास्थ्य का एसोसिएट फेलो – एएफआईएच), जोखिमकारी प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षी कार्मिकों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में एक माह का विशेषज्ञता प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम सहित मुख्य रूप से औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करता है।

2.8 डीजीफासली संगठन में मुख्यालय; पांच श्रम संस्थान तथा प्रमुख पत्तनों में 11 गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय शामिल हैं। मुम्बई मुख्यालय में तीन प्रभाग/प्रकोष्ठ नामतः कारखाना सलाह सेवा प्रभाग, गोदी सुरक्षा प्रभाग और एक पुरस्कार प्रकोष्ठ है।

मुम्बई में केंद्रीय श्रम संस्थान ने 1959 में कार्य करना शुरू किया तथा इसे इसके वर्तमान परिसर में फरवरी, 1966 में स्थानान्तरित किया गया। पिछले कई वर्षों से संस्थान का विकास हुआ है और इसने निम्नलिखित प्रभागों के साथ प्रमुख राष्ट्रीय स्रोत केंद्र के रूप में दर्जा प्राप्त किया है :

- **औद्योगिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक स्वच्छता**
- **औद्योगिक औषधि**
- **कार्य पर्यावरण इंजीनियरिंग**
- **कर्मचारी प्रशिक्षण एवं उत्पादकता**
- **प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण परामर्शिका**

2.9 संस्थान के विभिन्न प्रभाग अध्ययन एवं सर्वेक्षण कराने, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित कराने, तकनीकी सलाह, सुरक्षा ऑडिट, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण एवं निष्पादन रिपोर्ट जारी करना, वार्ता प्रस्तुत करने आदि जैसी गतिविधियां करते हैं।

2.10 चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर और कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई) देश के संबंधित क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्येक संस्थान में निम्नलिखित प्रभाग/अनुभाग हैं:

- **औद्योगिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक स्वच्छता**
- **औद्योगिक औषधि**

2.11 भारत के प्रमुख 11 पत्तनों अर्थात कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, कांडला, मोरमुगांव, तूतीकोरीन, कोच्चीन, न्यू मंगलौर एवं जवाहर लाल नेहरू पत्तन में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं। एन्नौर पत्तन में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय को स्थापित करने का काम प्रक्रियाधीन है।

श्रम ब्यूरो

2.12 सन् 1920 में स्थापित श्रम सांख्यिकी के क्षेत्र में एक प्रीमियम संगठन, श्रम ब्यूरो श्रम सांख्यिकी और रोजगार एवं बेरोजगारी जैसे श्रम संबंधी, मजदूरी, उपार्जन, औद्योगिक संबंधों और कार्यदशाओं आदि से संबंधित अन्य सूचना के एकत्रण, संकलन तथा प्रकाशित के लिए उत्तरदायी है। यह औद्योगिक तथा कृषि/ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को संकलित और प्रकाशित भी करता है।

अधीनस्थ कार्यालय

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)

2.13 इस कार्यालय को खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों को लागू करने का काम सौंपा गया है। यह

खानों और तेल क्षेत्रों पर लागू भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबंधों का प्रवर्तन भी करता है।

कल्याण आयुक्त

2.14 कल्याण आयुक्तों के सत्रह (17) कार्यालय, अभ्रक, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैंगनीज तथा क्रोम अयस्क खानों और बीड़ी तथा सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये कार्यालय नई दिल्ली (मुख्यालय) इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, बंगलुरू, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कण्णूर, देहरादून, हैदराबाद, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर, पटना, रांची (झारखंड), रायपुर और तिरूनेवेल्ली में स्थित हैं।

स्वायत्त संगठन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

2.15 यह निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिसमें बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की चिकित्सा देख–रेख और उपचार का उपबंध है। बीमारी तथा प्रसूति, रोजगार के दौरान लगी चोट के लिए प्रतिपूर्ति, रोजगार के दौरान लगी चोट आदि के कारण कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों के लिए पेंशन के रूप में सहायता दी जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

2.16 यह संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस योजना के अंतर्गत शामिल कर्मकारों के लाभ के लिए इस संगठन द्वारा भविष्य निधि, परिवार पेंशन और जमा सहबद्ध बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। यह संगठन कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, जो 16.11.1995 से अस्तित्व में आयी है, के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई)

2.17 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश) एक पंजीकृत संस्थान है, जो श्रम, श्रम संबंधों और नियोजन के विभिन्न पक्षों पर अन्य सामाजिक साझेदारों के अलावा त्रिपक्षीय तत्वों – केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्मिकों, श्रमिक संघ के सदस्यों तथा नियोजक संगठन के सदस्यों की प्रशिक्षण और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह श्रमिकों से संबंधित सरकार की श्रम एवं कल्याणकारी योजनाओं पर कार्योन्मुखी अनुसंधान, परामर्शिका तथा पक्ष–समर्थन भी कराता है।

दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती सीबीडब्ल्यूई)

2.18 यह बोर्ड एक पंजीकृत सोसायटी है जिसका मुख्यालय नागपुर में है, श्रमिकों को श्रमिक संघवाद की तकनीकों में प्रशिक्षण देने संबंधी योजनाओं और श्रमिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का बोध कराना इस बोर्ड का कार्य है। बोर्ड ग्रामीण श्रमिक शिक्षा तथा कार्यात्मक प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी चलाता है।

न्याय निर्णयन निकाय

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–श्रम न्यायालय (सीजीआईटी)

2.19 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन उन संगठनों के औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कुल मिलाकर 22 (बाईस) औद्योगिक अधिकरण सह–श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 से उत्पन्न अपीलों को निपटाने की शक्तियां भी इन अधिकरणों को दी गई हैं। ये अधिकरण धनबाद (झारखंड), मुम्बई, नई दिल्ली और चंडीगढ़ (प्रत्येक में दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलुरू, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, आसनसोल और गुवाहाटी में प्रत्येक में एक न्यायालय, में स्थित हैं। इसके अलावा मुम्बई तथा कोलकाता स्थित दो औद्योगिक अधिकरण राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

मध्यस्थता निकाय

मध्यस्थता बोर्ड, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) योजना

2.20 भारत सरकार ने 1966 में नियोक्ता के रूप में सरकार तथा उसके कर्मचारियों की महासभा के बीच समान सरोकार के कई मामलों में अनसुलझे मतभेदों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे.सी.एम.) एवं अनिवार्य विवाचन की स्कीम आरंभ की थी।

2.21 जेसीएम स्कीम के खण्ड 16 के अनुसार अनिवार्य मध्यस्थता किसी वर्ग या ग्रेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, साप्ताहिक कार्य घंटों तथा छुट्टी संबंधी अनिवार्य माध्यस्थम के प्रावधान तक ही सीमित है। मध्यस्थता हेतु जेसीएम स्कीम के खण्ड 18 एवं 19 के अनुसार अगर किसी पक्ष द्वारा वांछित हो तो किसी विवाचनीय मामले पर मदभेद को माध्यस्थम बोर्ड को भेजा जाता है अगर वह राष्ट्रीय परिषद या उचित विभागीय परिषद, जैसा भी मामला हो, द्वारा विचार किया जा चुका हो तथा दोनों पक्षों के बीच मामले में अंतिम मतभेद अभिलिखित किया जा चुका हो।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में कार्रवाई किए जाने वाले मुख्य विषय

2.22 संविधान की संघीय सूची और सातवीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से वांछित शक्तियों के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:–

2.23 श्रम नीति (मजदूरी नीति सहित) और विधान, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध जैसे विशेष लक्ष्य समूह से संबंधित नीति और केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन, केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का न्यायनिर्णयन, श्रमिक शिक्षा, श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी, रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सेवाओं का प्रशासन, श्रम एवं रोजगार मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस)

2.24 केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) का गठन श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं और श्रम कानूनों के प्रवर्तन का उपबंध करते हुए 3 फरवरी, 1987 से बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। कैडर समीक्षा के पश्चात, केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस) को वर्ष 2004 में अधिसूचित कर दिया गया था।

2.25 500 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों और खानों तथा 300 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले बागानों से संगत कानूनों के तहत निर्धारित संख्या में कल्याण अधिकारियों को नियुक्त करना अपेक्षित होता है। सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) तथा उप श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) वैधानिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण आदि के क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को सलाह और सहायता भी देते हैं। इसके अतिरिक्त, कामगारों की शिकायतों के समाधान में सहायता करने के द्वारा ये अधिकारी इनको औद्योगिक विवादों का रूप धारण करने से रोकते हैं।

2.26 इसके अलावा, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) की अध्यक्षता में संचालित केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), उप श्रमायुक्त (कें.) और अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के तौर पर नियुक्त अधिकारियों को केन्द्रीय क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के कार्य भी सौंपे गए हैं। सीआईआरएम के अधीन अधिकारी केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/उद्योगों में सभी लागू श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत संराधन अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन का सामान्य सत्यापन करने के साथ–साथ अनुशासन संहिता के अंतर्गत श्रमिक संघ इकाई स्तर की सदस्यता का भी सत्यापन करते हैं।

2.27 महानिदेशक (श्रम कल्याण) के अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय के कल्याण संगठन में सहायक कल्याण

आयुक्त (केन्द्रीय) और कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) के तौर पर नियुक्त सीएलएस अधिकारी बीड़ी निर्माण उद्योग, खानों आदि में कार्यरत असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न योजनाओं यथा स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, पेंशन आदि को प्रशासित करते हैं।

2.28 केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) की द्वितीय संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप विभिन्न ग्रेडों में सेवा की वर्तमान संवर्ग संख्या की पुनर्संरचना करके उसे एचएजी स्तर पर 01 पद, एसएजी में 02 पद, जेएजी में 59 पद, एसटीएस में 115 पद तथा जेटीएस ग्रेड में 163 पद पर परिशोधित किया गया है।

2.29 इसके अलावा, केन्द्रीय श्रम सेवा की तीसरी संवर्ग समीक्षा मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है। मंत्रालय में गठित संवर्ग समीक्षा समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं तथा ये मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

संसद एकक

2.30 संसद एकक संसद से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल अनुभाग है। इस एकक के मुख्य कार्य निम्न हैं:

- राज्य सभा/लोक सभा की प्रश्न शाखाओं से तारांकित तथा अतारांकित संसदीय प्रश्नों के सभी नोटिसों के साथ–साथ विशेष उल्लेख/ प्रस्ताव/अल्पावधि परिचर्चा इत्यादि को आवश्यक कार्रवाई/उत्तरों हेतु प्राप्त करने तथा संसद के संबंधित सदनों को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय के सभी संबंधित अनुभागों/प्रभागों को अग्रेषित करने का समन्वय करना।
- संसद के हर सत्र से पहले विधायी कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्रालय के संबंधित अनुभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- लोक सभा में नियम 377 के अन्तर्गत मामलों, राज्य सभा में शून्य काल के दौरान तथा विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामलों के संबंध में मंत्रालय की सूचना संसद के संबंधित सदनों को अग्रेषित करना।
- संसदीय आश्वासनों के संबंध में मंत्रालय के संबंधित अनुभागों/प्रभागों के साथ समन्वय करना।
- श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति और अन्य संसदीय समितियों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए मंत्रालय के संबंधित अनुभागों/प्रभागों के साथ समन्वय करना।
- इस मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक माननीय श्रम और रोजगार मंत्री की सुविधानुसार आयोजित करना।

उपलब्धियाँ	
	वर्ष 2021 में, संसदीय सलाहकार समिति की दो बैठकें दिनांक 02 मार्च, 2021 और 22 दिसम्बर, 2021 को आयोजित की गई थीं। इन बैठकों की कार्यसूची इस प्रकार थी:- (i) खान कामगारों की सुरक्षा (संसदीय सौध, नई दिल्ली में दिनांक 02 मार्च, 2021 को सम्पन्न) (ii) ई-श्रम पोर्टल और सामाजिक सुरक्षा संहिता (संसदीय सौध, नई दिल्ली में दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को सम्पन्न)
	संसदीय आश्वासन: वर्ष 2021 में, बड़ी संख्या में संसदीय आश्वासनों अर्थात 163 आश्वासनों को पूरा किया गया जो निम्नानुसार हैं -

01 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार लंबित आश्वासनों की संख्या	कुल=192 (लोक सभा-137 और राज्य सभा-55)
01 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार लंबित आश्वासनों की संख्या	कुल=29 (लोक सभा-21 और राज्य सभा-8)

वर्ष 2021 में, (बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र 2021) कुल 722 संसदीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है-

	तारांकित प्रश्न	**अतारांकित प्रश्न**	**कुल**
लोक सभा	18	359	377
राज्य सभा	28	317	345
कुल	**46**	**676**	**722**

वित्त स्कंध

एकीकृत वित्त प्रभाग

2.31 मंत्रालय में अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रमुख होते हैं। उप सचिव (वित्त) वित्तीय सलाह देने से संबंधित सभी मामलों पर वित्तीय सलाहकार की सहायता करते हैं। वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन (डीएफपीआर), 1978 के परिशिष्ट–।। में यथाप्रदत्त एएस एण्ड एफए की अध्यक्षता में आईएफडी निम्नलिखित कार्य करता हैः–

- वित्त मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले समस्त विषयों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह प्रदान करना। इसमें कार्यालय प्रमुख की हैसियत में मंत्रालय को दी गई अन्य शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियां शामिल हैं;
- अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनःप्रत्यायोजन प्रस्तावों की जांच करना;
- मंत्रालय में विभागीय प्रमुख की प्रत्यायोजित शक्तियों के परे सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना और उनपर सहमति देना;
- समस्त व्यय प्रस्तावों की छानबीन करना जिन्हें सहमति या टिप्पणी के लिए वित्त मंत्रालय को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है;
- परियोजनाओं एवं अन्य चल रही स्कीमों की प्रगति और निष्पादन के मूल्यांकन के साथ से निकट से जुड़े रहना;
- योजनाओं को बनाने और प्रारम्भिक चरणों में उनके महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों को तैयार करने में निकट से जुड़े रहना;
- श्रम और रोज़गार मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों से प्राप्त एसएफसी /ईएफसी की जाँच व निगरानी।

2.32 दिनांक 01.01.2021 से आज की तारीख तक के दौरान, श्रम और रोजगार मंत्रालय में आईएफडी के परामर्श से निम्नलिखित मुख्य कार्य मदें की गईं:–

- ऊपर रिपोर्ट–दर्ज अवधि के दौरान इस प्रभाग में श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस), राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस), राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस), अ.जा., अ.जजा. और अ.पि.वर्ग के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन (अ.जा./अ.जजा. के लिए एनसीएससी) जैसी विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन हेतु प्रस्तावों की जांच की गई। इस प्रभाग के प्रेक्षण/टिप्पणियां संबंधित

अनुभागों/प्रभागों को संप्रेषित किए गए। एलईएसएस के लिए ईएफसी की बैठक तथा एलडब्ल्यूएस एवं एनसीएस के लिए एसएफसी की बैठक आयोजित की गई।

- व्यय विभाग के परामर्श से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का विलय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 20 करोड़ रुपये, वर्ष 2022–23 के दौरान 20 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2023–24 में 10 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया है।
- राष्ट्रीय असंगठित कामगार डेटाबेस पोर्टल (एनडीयूडब्ल्यू)/आधार के साथ पंजीकृत श्रमिक सेतु परियोजना तथा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) संबंधी व्यय जारी करने हेतु प्रस्तावों की जांच की गई और सहमति दी गई।
- वित्तीय सलाहकार से व्यय विभाग को फीडबैक देने हेतु तंत्र के अंतर्गत, श्रम और रोजगार मंत्रालय की सभी गतिविधियों संबंधी सूचना, व्यय विभाग द्वारा यथा निर्धारित रूप में अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार को अर्ध शासकीय पत्र के प्रारूप में मासिक रूप से भेजी गई थी;
- उपर्युक्त के अलावा, इस मंत्रालय में विभागाध्यक्ष की प्रत्यायोजित शक्ति के बाहर अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की विशिष्ट सहमति/अनुमोदन की अपेक्षा वाले सभी व्यय संबंधी प्रस्तावों की जीएफआर 2017 और डीएफपीआर, 1978 के अनुसार कड़े तौर पर जांच/संवीक्षा की गई थी।
- इसके अलावा, व्यय प्रबंधन में वित्तीय प्रबुद्धता और संयम के संबंध में दिशा–निर्देश, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा विहित रूप में सुनिश्चित किए गए तथा वित्तीय स्वामित्व के उच्च मानक बनाए रखे गए।
- मंत्री समूह की स्थायी समिति की नियमित बैठकें अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं कि अधिकांश प्रापण मंत्री समूह के पोर्टल के माध्यम से किए जाएं तथा चूक द्वारा भुगतानों में कमी लाई जाए।

बजट एवं लेखा अनुभाग

2.33 बजट एवं लेखा अनुभाग श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय में इस प्रभाग के अध्यक्ष अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएण्डएफए) हैं। यूएस(बजट) और निदेशक इस अनुभाग से संबंधित सभी मामलों में वित्तीय सलाहकार की सहायता करते हैं।

2.34 बजट एवं लेखा अनुभाग के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:–

- सुनिश्चित करना कि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने की अनुसूची का पालन किया जाए तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बजट का प्रारूप तैयार किया जाए।
- वार्षिक मांग अनुदानों पर विचार करने हेतु वित्त मंत्रालय को वार्षिक बजट प्रस्ताव अग्रेषित करने से पहले संबंधित ब्यूरो प्रमुखों के परामर्श से मंत्रालय की वार्षिक अनुदान मांगों को अंतिम रूप देने के लिए इन्हें एएसएण्डएफए के समक्ष रखने हेतु इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभाग से प्राप्त वार्षिक बजट प्रस्तावों की पूर्ण रूप से जांच करना।
- वित्त मंत्रालय द्वारा संप्रेषित अंतिम अवसीमा के आधार पर विस्तृत अनुदान मांगें तैयार करने के साथ–साथ एससीएसपी, एसटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट आबंटन से संबंधित अनुदेशों का पालन करना।
- एएसएण्डएफए की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जा रही बैठकों के माध्यम से संस्वीकृत अनुदानों के सम्मुख व्यय की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना, जिनमें, व्यय की समानांतर गति बनाए रखना सुग्राही बनाया जाता है ताकि यह संसद द्वारा अनुमोदित मासिक व्यय अनुमान और

तिमाही व्यय अनुमान के अनुरूप हो।

- अनुपूरक मांग अनुदानों के लिए इस मंत्रालय के प्रभागों/अनुभाग से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना तथा प्रस्ताव को संसदीय अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करना।
- पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करने से पहले इनकी जांच करना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, लेखा–परीक्षा के प्रारूप के पैराओं, आदि के परिनिर्धारण पर निगरानी रखना तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्टों और पुनर्विनियोजन लेखाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- प्रलेखों/सामग्री का संकलन अर्थात स्कीमों पर टिप्पणियां, आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क आदि के साथ–साथ वार्षिक आधार पर संसद भवन की एनेक्सी में "मांग अनुदान" आयोजित संसदीय स्थायी समिति की बैठक के संबंध में लोक सभा सचिवालय को मांग अनुदान पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करना। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए किए गए विचार–विमर्श पर आधारित एक संपूर्ण रिपोर्ट और उपर्युक्त प्रलेखों में दी गई सूचना भी लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजी जाती है। तदनुसार, अनुभाग संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को समेकित करता है। लोक सभा सचिवालय के पास 6 महीने के अंदर एटीआर को प्रस्तुत करने पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है।
- बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति को वित्त मंत्रालय के पास भेजना/अपलोड करना।
- विभिन्न बजट संबंधी मामलों के लिए स्वायत्त निकायों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ संपर्क बनाये रखना।
- मांग अनुदानों पर बजट चर्चाओं के लिए कटौती प्रस्तावों पर जानकारी देना
- सरकारी सेवकों को ऋण देने में सुविधा प्रदान करना।
- सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षा समिति को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना जिसके लिए अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नोडल अधिकारी होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बजट एवं लेखा अनुभाग द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य मदें निष्पादित की गईं:–

- मंत्रालय के संबंधित प्रभागों/अनुभागों से प्राप्त परिशोधित प्राक्कलनों 2021–22 और बजट प्राक्कलनों 2022–23 हेतु प्रस्ताव की जांच की गई/अंतिम रूप दिया गया तथा अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 10वीं, 13वीं और 17वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का नोट लोक सभा सचिवालय को अग्रेषित किया गया है।
- वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 की अनुदान मांगों पर श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की प्रथम, पांचवीं और सत्रहवीं रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति दिनांक 17.12.2021 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रख दी गई है।
- नीति आयोग द्वारा की जाने वाली समीक्षा कवायद को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वायत्त निकायों संबंधी सभा सूचना मंत्रालय द्वारा तैयार कराई गई वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय की विवक्षा दर्शाते हुए वर्ष 2014–15 से 2020–21 के लिए बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन संबंधी की गई कार्रवाई की रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति, वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी ऑनलाइन

निगरानी करने हेतु डीईए के समीक्षा पोर्टल पर अपलोड की गई है।

राजभाषा

हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

2.35 भारत सरकार की राजभाषा नीति और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन करने के दृष्टिगत, मंत्रालय में एक पूर्ण–विकसित हिन्दी अनुभाग है। वर्ष 2021–22 के दौरान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों/ कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों/नियमों और राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/ अनुदेशों/ दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग को भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे संसद में रखे जाने वाले कागजात, श्रम कानूनों, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी के भाषण, प्रेस विज्ञप्ति आदि के साथ–साथ मंत्रालय के अन्य नेमी कार्य के अनुवाद का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

2.36 हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। मंत्रालय के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 14–28 सितम्बर, 2021 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन (13–14 नवंबर, 2021) सम्पन्न हुआ जिसमें एक अधिकारी और दो कार्मिकों ने भाग लिया।

प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) प्रकोष्ठ

2.37 कल्याणकारी स्कीमों में सूचना/निधियों के सहज और तीव्र प्रवाह के लिए मौजूदा प्रक्रिया की पुनर्संरचना के द्वारा सरकारी सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से और सही लाभार्थियों तक पहुंचने को सुनिश्चित करने, दोहराव को रोकने और धोखाधड़ी में कमी लाने के लिए लाभार्थियों को निधियों का प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) 01 जनवरी, 2013 को शुरू किया गया। डीबीटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल बिंदु में कार्य करने के लिए डीबीटी मिशन को योजना आयोग में सृजित किया गया। इस मिशन को जुलाई, 2013 में व्यय विभाग को स्थानान्तरित किया गया और वह 14.09.2015 तक कार्य करता रहा। इस पर अधिक बल देने के लिए डीबीटी मिशन और इससे संबंधित मामलों को 14.09.2015 से सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय में स्थानान्तरित किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय ने डीबीटी मिशन विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ–साथ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के आधार आधारित डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए अधिदेशित है। डीबीटी मिशन ने वेब आधारित एमआईएस पोर्टल (www.dbtbharat.gov.in) बनाया है जो नियमित आधार पर निम्नलिखित मापदण्डों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की डीबीटी से संबंधित सभी सूचनाओं को एकत्रित और समेकित करता है:

i) लाभार्थी डिजिटाइजेशन और उनके आधार को जोड़ना/आधार का प्रमाणीकरण।

ii) लाभार्थियों को भारत की समेकित निधि द्वारा प्रायोजित लाभों (नकद या वस्तु के रूप में) को देना।

iii) डीबीटी/गैर–डीबीटी पद्धति के माध्यम से लाभार्थियों को निधि अंतरित करना।

iv) ड्यूप्लिकेट/काल्पनिक/झूठे लाभार्थियों, यदि कोई हों, को हटाने के कारण बचत।

2.38 डीबीटी मिशन के निदेशों के अनुसरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संबंधी कार्य करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अगस्त, 2016 में एक डीबीडी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ सीसीए के सहयोग से एएस एण्ड एफए (एलएण्डई) के संपूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। डीबीटी प्रकोष्ठ के दिन–प्रतिदिन कार्यपरकता की देखरेख एक अवर सचिव द्वारा की जाती है। डीबीटी प्रकोष्ठ डीबीटी मिशन के निदेशों/अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय में डीबीटी का समन्वय और प्रगति की निगरानी करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान डीबीटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 15 डीबीटी स्कीमों (13 नकद अंतरण, 1 वस्तु रूप में लाभ अंतरण और एक आधार समर्थित सेवा) की सूची नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका 2

2021–22 के दौरान डीबीटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की डीबीटी स्कीमों की सूची (1 अप्रैल, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक)

क्र.सं.	योजना का नाम	2021-22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	2021-22 के दौरान लाभार्थियों को दी गई राशि [रुपये में]
नकद अंतरण योजनाएं			
1	बीड़ी, सिने, आईओएमसी, एलएसडीएम कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	76,189	12,86,26,480
2	बीडी, आईओएमसी, एलएसडीएम, सिने कामगारों के लिए परिशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएचएस) -2016	3,824	10,40,00,000
3	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अन्तर्गत विशेष विद्यालयों में बच्चों को छात्रवृत्ति	0	0
4	कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण (सीजीसी) के माध्यम से एससी/एसटी के नौकरी चाहने वालों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को वृत्तिका	6,550	4,62,00,000
5	दिव्यांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी) योजना के अंतर्गत दिव्यांग प्रशिक्षुओं को वृत्तिका	400	10,95,00
6	दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) को अनुदान	2,23,864	11,47,97,763
7	असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन आश्वासन और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाएं	1,47,721	33,51,79,950
8	बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास योजना के अंतर्गत पुनर्वास सहायता	1,174	2,80,43,000
9	ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)	19,13,172	6,92,28,82,699
10	ईपीएफ सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)	5,74,97,306	50,02,96,07,455
11	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)	1,22,70,966	2,82,01,87,476
12	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम)	40,74,138	1,74,45,41,931

13	व्यापारियों और स्व:नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना		
वस्तु-रूप अंतरण योजना			
14	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) को अनुदान	2,882	लागू नहीं
आधार समर्थित सेवा			
15	राष्ट्रीय केरियर सेवा (एनसीएस)	55,84,132	लागू नहीं

आरएफडी प्रकोष्ठ

नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) पर की गई कार्रवाई

2.39 श्रम और रोजगार मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर का अद्यतन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग डीएआर एण्ड पीजी और कार्य–निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी), मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा–निर्देशों के आधार पर तथा मंत्रालय के हितधारकों के परामर्श से नियमित रूप से किया जाता है। यह चार्टर जनता की सुगम पहुंच के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है तथा पर्याप्त प्रतियां आगंतुकों के उपयोग हेतु मंत्रालय के सूचना सुविधा केन्द्र में रखा गया है।

2.40 नागरिक/ग्राहक चार्टर में जिम्मेदार व्यक्तियों, उनके संपर्क विवरणों, सेवा मानकों सहित मंत्रालय के विजन, मिशन, सेवाओं/लेन–देनों से संबंधित सूचना है। इसके अलावा, शिकायत निवारण अधिकारी के संपर्क विवरण तथा मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के संदर्भ में सूचना संपर्क विवरण और उनकी वेबसाइटों के पतों के साथ चार्टर में शामिल की गई है।

2.41 मंत्रालय में इंटरनेट और दूरभाष सुविधा के साथ एक सूचना सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है जो मंत्रालय और इसके संगठनों की विभिन्न गतिविधियों और स्कीमों संबंधी सूचना उपलब्ध कराकर जनता को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

पीएसी एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी						
क्र.सं.	रिपोर्ट सं. और वर्ष	पैरा	पैरा/पीए रिपोर्टों का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित है।			
			मंत्रालय द्वारा न भेजी गई एटीएन की संख्या जो पहली बार भी नहीं भेजी गई।	भेजी गई परन्तु प्रेक्षण के साथ वापस कर दी गई एटीएन की संख्या और लेखा परीक्षा मंत्रालय की पुन: प्रस्तुति की प्रतीक्षा में है।	एटीएन की संख्या जिनका अंतिम रूप से लेखा परीक्षक द्वारा पुनरीक्षण कर दिया गया है परन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्युक्तियां
1	1 सीएजी की 2018 की रिपोर्ट सं.4 - प्रशासनिक प्रभार की कम वसूली (ईपीएफओ)	एक पैरा (पैरा सं. 14.1)	0	0	0	लोक सभा को अंतिम उत्तर दिनांक 22/07/2021 को भेजा गया
2	रिपोर्ट सं. 115 - **"कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लेखा परीक्षा निष्पादन और ईएसआईसी की चिकित्सा, शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखा परीक्षा"** पर 67वीं रिपोर्ट में निहित समिति की अनुसंशाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	सात (6,13,18,23,28, 33 और 38)	7	0	0	की गई कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट जो लोक सभा को दिनांक 06.04.2021 को पेश की गई

अध्याय-3

औद्योगिक संबंध केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.)

3.1 मुख्य श्रमआयुक्त (केन्द्रीय) संगठन जिसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) भी कहा जाता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रमुख मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) होते हैं। इसे केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध बनाए रखने, श्रम कानूनों को लागू करने और सीटीयूओ (केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन) की सदस्यता का सत्यापन करने का कार्य सौंपा गया है। संगठन के कार्यालय देश के भिन्न–भिन्न भागों में जोनल, क्षेत्रीय एवं इकाई स्तर पर फैले हुए हैं।

संगठन के कार्य:

3.2 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के मोटे तौर पर कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं उनका निपटान करना।

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू कराना।

(iii) पंचाट लागू करना।

(iv) अर्द्ध–न्यायिक कार्य ।

(v) ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना।

(vi) कल्याण एवं प्रशिक्षण

(vii) अन्य विविध कार्य

(i) औद्योगिक विवादों का निवारण एवं निपटान

3.3 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित के माध्यम से सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करता है:–

क. केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की मॉनीटरिंग करना।

ख. विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से, औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और समझौता कराना।

ग. हड़ताल और तालाबंदी टालने के लिए आशंकित हड़ताल और तालाबंदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप।

घ. समझौते व पंचाट लागू करना।

ङ. (1) कार्य समिति (2) बकायों की वसूली (3) छंटनी (4) बर्खास्तगी (5) अनुचित श्रम पद्धतियों आदि से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्य प्रावधानों को लागू करना।

3.4 (क) निपटाए गए औद्योगिक विवाद

वर्ष 2020–2021 (जनवरी से दिसंबर, 2021) के दौरान सीआईआरएम द्वारा निपटाए गए औद्योगिक विवादों का विवरण इस प्रकार है: –

शीर्ष	जनवरी से दिसंबर, 2021
निपटान के लिए प्राप्त औद्योगिक विवाद	12,170
निपटाए गए औद्योगिक विवाद	7,359
टाली गई हड़तालें	221

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा दखल के कारण श्रमिकों को लाभ

वर्ष	जनवरी से दिसंबर, 2021
लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	53,889
उपरोक्त श्रमिकों को राहत की राशि (करोड़ में)	386
पुनः नियमित किए गए / बहाल किए गए श्रमिकों की संख्या	1,985

कोविड़–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान कामगारों के लिए नियंत्रण कक्ष

3.5 मुख्य श्रमआयुक्त (केंद्रीय) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में मुख्य श्रमआयुक्त (केंद्रीय) संगठन के बीस क्षेत्रीय कार्यालयों में अखिल भारतीय आधार पर बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित और संचालित किए गए; जिसमें उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) सहित लगभग 75 अधिकारी शामिल हैं जिन्हें इन नियंत्रण कक्षों को संचालित करने के लिए नामित किया गया है।

3.6 इन नियंत्रण कक्षों को जोश और उत्साह के साथ दिए गए कार्य को संभालने के लिए दिनांक 21 अप्रैल 2021 को लगभग एक सौ अधिकारियों के साथ फिर से शुरू किया गया।

3.7 प्रत्येक नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के नाम उनके ईमेल आईडी और मोबाइल/ व्हाट्सएप नंबर के साथ मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट यानी https://clc.gov.in/clc/, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट https://labour.gov.in/ पर डाल दिए गए थे और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, श्रम और रोजगार मंत्रालय के फेसबुक पेज जैसे सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया गया और माननीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा ट्वीट किया गया।

3.8 उद्देश्य

- केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी का कम भुगतान या भुगतान न करने/बर्खास्तगी/छंटनी/रोजगार की समाप्ति संबंधी शिकायतों को दूर करने हेतु।
- विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को कम करना और उन्हें भोजन और आश्रय आदि के प्रावधान के साथ अस्थायी आश्रयों में रखना।

3.9 इसके अलावा, असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण कक्षों का संचालन करने वाले सभी अधिकारियों को अधिकतम संभावित सीमा तक पीड़ित श्रमिकों की सहायता करने हेतु मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और समय पर राहत प्रदान करना सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी।

नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली

3.10 एक पीड़ित कर्मचारी इन नियंत्रण कक्षों में सार्वजनिक डोमेन में प्रचालित नियंत्रण के कक्षवार /अधिकारीवार फोन नंबर/ व्हाट्सएप नंबर/ ईमेल आईडी के अनुसार फोन/व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से, या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है।

3.11 शिकायत प्राप्त होने पर, नियंत्रण कक्ष निर्धारित प्रारूप में शिकायतों को दर्ज करते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरी, रोजगार से निकासी आदि से संबंधित शिकायतों का मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समाधान किया जाता है। नियंत्रण कक्षों का प्रयास है कि 72 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान किया जाए। प्रवासी कामगार से प्राप्त डिस्ट्रेस कॉल के मामले में, नियंत्रण कक्ष ऐसे मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के उपयुक्त प्राधिकारी को आवश्यक रूप से अवगत कराते हैं तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध करते हैं।

3.12 'कर्मचारी भविष्य निधि' और 'कर्मचारी राज्य बीमा' से संबंधित शिकायतों को नियंत्रण कक्ष द्वारा दर्ज किया जाता है और उन्हें ईपीएफओ और ईएसआईसी प्राधिकारियों को निवारण हेतु भेजा जाता है। ईपीएफओ

और ईएसआईसी में नामित नोडल अधिकारी नियंत्रण कक्षों के माध्यम से उन्हें भेजी गई शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

3.13 इसके अलावा, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों की अन्य शिकायतों को संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष द्वारा संज्ञान में लाया जाता है। राज्य सरकारों को अवगत कराया गया है तथा इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भी सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया कि वे नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय के लिए श्रम विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करें।

3.14 ऊपरी स्तर पर, ये नियंत्रण कक्ष माननीय श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के कार्यालय में 'कार्यान्वयन निगरानी प्रकोष्ठ–संतुष्ट' द्वारा निगरानी में थे। इसके अलावा, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और इन नियंत्रण कक्षों द्वारा शिकायतों का उचित निवारण सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों से नियमित रूप से फीडबैक लिया जा रहा है।

नियंत्रण कक्षों के कारण श्रमिकों को लाभः

3.15 इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से अधिकारी पर्याप्त हस्तक्षेप और समन्वय के साथ दोनों लॉक डाउन अवधि के दौरान नियोक्ताओं के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में 2,14,431 श्रमिकों को 348 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र में 2401 श्रमिकों को 4.34 करोड़ रुपये की राशि वितरण करने में सक्षम हो पाए।

(ii) श्रम कानूनों का प्रवर्तनः

3.16 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को लागू करना है जिनके लिए केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है। यह तंत्र निम्नलिखित श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू कराता हैः

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 तथा उसके अंतर्गत खदानों, रेलवे, वायु यातायात सेवाओं एवं डॉक, घाट और जेटी के लिए बनाए गए नियम,
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा नियम,
3. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 तथा नियम,
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा नियम,
5. अंतरार्ज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 और नियम,
6. बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा नियम,
7. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और नियम,
8. श्रम विधि (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणी प्रस्तुतीकरण और रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988,
9. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा नियम,
10. भारतीय रेल अधिनियम का अध्याय VI–क, रेल कर्मचारियों के लिए रोजगार के घंटो का विनियमन,
11. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 एवं नियम,
12. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा खान एवं सर्कस नियम, 1963 एवं नियम और
13. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 एवं नियम।

3.17 केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 2.32 लाख प्रतिष्ठान हैं। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं। तंत्र में पादर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी निरीक्षण वेब एनेबल्ड श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं । निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिससे निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं कमियों को नियोक्ताओं द्वारा ठीक किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद अधिनियमों जैसे ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,

1948 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1996 को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाता है। निरंतर गलती करने वालों तथा गंभीर उल्लंघनों के संबंध में मुकदमे दायर किए जाते हैं। जनवरी से दिसंबर, 2021 की अवधि के निरीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:–

जनवरी से दिसंबर, 2021 के दौरान विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत निरीक्षणों की संख्या आदि को दर्शाने वाला विवरण

शीर्षक	जनवरी से दिसंबर, 2021
किए गए निरीक्षण	26,496
पाई गई अनियमितताएं	1,28,237
दूर की गई अनियमितताएं	48,970
दायर अभियोजन मामलों की संख्या	2,445
दोषसिद्धि की संख्या	834

(iii) पंचाट (अवार्ड) लागू करना:–

3.18 सीआईआरएम के अधिकारी केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी) द्वारा जारी किए गए पंचाटों को लागू करते हैं। जनवरी से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, 1875 पंचाट प्राप्त किए गए जिनमें से 129 को लागू किया गया, 937 पंचाटो के कार्यान्वयन का माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित किया गया था तथा 566 पंचाटो के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

3.19 नियोक्ताओं द्वारा कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण पंचाटों को लागू करने में कठिनाईयां अनुभव की गई। अभियोजन प्रस्ताव अपराध प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 197 के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

(iv) अर्ध न्यायिक कार्य:–

3.20 श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) से लेकर मुख्य श्रम आयुक्त (के.) स्तर तक के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी कुछेक अर्ध–न्यायिक कार्य भी करते हैं जो निम्नानुसार हैं:

मुख्य श्रमायुक्त (कें.): – भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत महानिदेशक (निरीक्षण) घोषित किया गया है परन्तु यह अधिकार मुख्यालय में उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) को सौंप दिया गया है; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत परिस्थिति आने पर विवादों में हस्तक्षेप के लिए समाधान अधिकारी घोषित किया गया है और रेलवे सेवक रोज़गार के घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षक घोषित किया गया है ।

अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.): – औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समाधान अधिकारी घोषित किया गया है । औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है । वह मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के सभी कार्यों में सहायता के लिए सीआईआरएम के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.): – औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996, अंतरर्ज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के धारा 7 और 12 के अन्तर्गत अपीलों को देखने के लिए अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), नियमावली 1971 के नियम 25 (2) (अ) (क) और (ख) के अंतर्गत प्राधिकारी घोषित किया गया है; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समाधान अधिकारी घोषित किया गया है; रेलवे सेवक

रोज़गार के घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षक घोषित किया गया है।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.)– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्राधिकारी घोषित किया गया है; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत प्रमाणकर्ता अधिकारी घोषित किया गया है और रेलवे सेवक रोज़गार के घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षक घोषित किया गया है; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत समाधान अधिकारी घोषित किया गया है, एचओईआर के अंतर्गत वर्गीकृत विवादों का निपटान क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) द्वारा किया जाता है; स्वतंत्र क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (कें.) को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अंतरर्ज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 के अंतर्गत पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयक अधिकारी घोषित किया गया है।

सहायक श्रम आयुक्त (कें.)– उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी घोषित किया गया है; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्राधिकारी घोषित किया गया है; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अंतरर्ज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 के अंतर्गत पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत समाधान अधिकारी घोषित किया गया है; और रेलवे सेवक रोज़गार के घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षक घोषित किया गया है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.): – कुछ स्थानों पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत समाधान अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा मुख्य श्रम आयुक्त (के.) संगठन के अधिकारियों को विभिन्न श्रम कानून अधिनियमों के तहत निरीक्षक के रूप में घोषित किया गया है।

3.21 इन अधिकारियों द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम और उपदान संदाय अधिनियम के तहत तय किए गए दावा मामले नीचे तालिका में दिए गए हैं:–

शीर्ष	जनवरी से दिसंबर, 2021
प्राप्त दावों के मामले	24,082
निर्णीत दावों के मामले	8,192
अवार्ड की राशि (करोड़ में)	127
लंबित दावों संबंधी मामले	15,890

न्यायिक मामले:–

शीर्ष	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	माननीय उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय
मामलों की संख्या	114	3064

वार्षिक विवरणियाँ:–

वर्ष	
ऑनलाइन प्राप्त वार्षिक विवरणियों की संख्या (वर्ष 2020 के लिए)	55,269

(v) अनुशासन संहिता के अंतर्गत प्रमुख यूनियनों की पहचान करने के लिए किसी प्रतिष्ठान में सक्रिय ट्रैड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन

3.22 केंद्रीय क्षेत्र के संगठनों मे सक्रिय यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्देशित मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुशासन

संहिता के अन्तर्गत मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय द्वारा किया जाता है।

3.23 1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन ने निम्नलिखित सत्रह प्रतिष्ठानों में गुप्त मतदान कराया है:

1. मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद
2. मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून
3. मैसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम
4. मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, तमिलनाडु
5. मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पूर्वी क्षेत्र, मार्केटिंग डिवीजन, कोलकाता
6. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड तलवाडा
7. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि
8. कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, मुंबई
9. केआईओसीएल लिमिटेड, पूर्व में कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर
10. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, अहमदाबाद एसेट
11. मैसर्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटीएल), हैदराबाद
12. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस, भुवनेश्वर, ओडिशा
13. मैसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
14. मैसर्स राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी), राउरकेला
15. मैसर्स इंडिया गवर्नमेंट मिंट, हैदराबाद
16. काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एनपीसीआईएल, पोस्ट–अनुमाला, ताल–व्यारा, जिला–तापी, गुजरात
17. मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट,तमिलनाडु

3.24 उपरोक्त के अलावा, 28 प्रतिष्ठानों के संबंध में अनुशासन संहिता के तहत गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत यूनियनों की सदस्यता का वैधानिक सत्यापन

3.25 वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपनी दिनांक 19.11.2008 की अधिसूचना के द्वारा प्रतिनिधि यूनियन की बहुमत स्थिति के निर्धारण हेतु तथा कामगार/ कर्मचारी को बैंकों के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत विभिन्न यूनियनों के सदस्यों की सदस्यता संख्या के सत्यापन हेतु प्रक्रिया को संशोधित किया है। इस अधिसूचना के अनुसार, ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन बैंक के अध्यक्ष या प्रबंधक निदेशक द्वारा नामित महाप्रबंधक के स्तर पर नामित अधिकारियों द्वारा जांच प्रणाली के माध्यम से किया जाना है। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नामित अधिकारी की रिपोर्ट के खिलाफ एक अपील निहित है।

उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकरण केंद्र सरकार या उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें.), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार है।

(vi) कल्याण एवं प्रशिक्षण:–

कल्याण

3.26 सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (एएलडब्ल्यूसी) और उप श्रम कल्याण आयुक्त (डीएलडब्ल्यूसी) रक्षा और के.लो.नि.वि., सुरक्षा प्रेस, मिन्ट्स, आर्डनेंस फैक्ट्रियों, टेलीकॉम फैक्ट्रियों और अस्पताल आदि जैसी अन्य स्थापनाओं में तैनात किए जाते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। श्रम कल्याण आयुक्त (एलडब्ल्यूसी) इन स्थापनाओं के मुख्यालय में तैनात किए जाते हैं। ये अधिकारी अपनी संबंधित स्थापनाओं में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करते हैं। वे कर्मकारों के कल्याण तथा शिकायतों के निवारण, कल्याण योजनाओं

के संचालन का कार्य भी देखते हैं और प्रबंधनों को दुकान परिषद, कार्य समितियों आदि जैसी द्विपक्षीय समितियों के गठन के साथ–साथ विभिन्न श्रम संबद्ध मामलों पर सलाह देते हैं।

प्रशिक्षणः–

3.27 केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के तीन विभागों में तैनात अधिकारियों को नियमित आधार पर आंतरिक अर्थात 1. केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) / मुख्य श्रम आयुक्त संगठनः 2. महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन और 3. कल्याण अधिकारी के रूप में केंद्र सरकार के नियंत्रण में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कारखाना अधिनियम के तहत "प्रशिक्षण विंग श्रम अधिकारियों का सुधार और सुदृढ़ीकरण" नामक एक योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य सीएलसी अधिकारियों और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) को उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के अनुमोदन से "प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण" पर और इसकी सिफारिशों के आधार पर एक समिति का गठन किया गया था; चयनित विशिष्ट संस्थानों में अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3.28 कुल 125 केंद्रीय श्रम सेवा अधिकारी और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) को वर्ष 2021–2022 (जनवरी से दिसंबर, 2021) के दौरान विभिन्न विषयों जैसे वेतन नीति और न्यूनतम मजदूरी, औद्योगिक संबंध, प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन और श्रम संहिता आदि पर प्रशिक्षण दिया गया।

(vii) विविध कार्यः–

3.29 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) निम्नलिखित विविध कार्यों का भी निष्पादन करता हैः

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत एआईसीपीआई संख्या के अनुसार हर छह महीने में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता अधिसूचित करना।
2. विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मंत्रालय के खिलाफ दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में श्रम और रोजगार मंत्रालय का बचाव करना।
3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार शिकायतों की जांच करना।
4. विभिन्न नौकरियों में अनुबंध श्रम के निषेध की जांच करने के लिए विभिन्न उप–समितियों के संयोजक के रूप में केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड की सहायता करना।
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना।
6. मु.श्र.आ. (कें.) संगठन द्वारा लागू श्रम कानूनों पर संसद प्रश्न का उत्तर देने में मंत्रालय को जानकारी प्रदान करना।
7. अखिल भारतीय प्रकृति की हड़तालों और अन्य श्रम मामलों पर संघर्ष की स्थितियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय को सलाह देना।
8. मंत्रालय की सलाह के अनुसार संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेना।
9. मंत्रालय के निर्देशानुसार सूचना के संग्रह के लिए राज्य सरकार के श्रम विभागों के साथ संपर्क रखना।
10. 'केंद्रीय श्रम सेवा' के अधिकारियों एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (कें.) को प्रशिक्षण प्रदान करना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

3.30 मुख्य श्रमायुक्त (के.) संगठन एक नोडल बिंदु के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर सभी सूचना का अधिकार आवेदनों का निपटान कर रहा है। ऑन लाइन और साथ ही साथ ऑफ लाइन द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए 59 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और 24 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। नोडल बिन्दु पर नोडल अधिकारी ने 1935 आरटीआई आवेदनों और 198 अपीलों को निपटाया है। तथापि, पिछले वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए सूचना का अधिकार आवेदनों का विवरण निम्नानुसार हैः –

	ऑनलाइन	ऑफलाइन	कुल
आरटीआई आवेदन	1572	363	1935
पहली अपील	175	23	198

जन शिकायतें:–

3.31 वर्ष 2021–2022 (जनवरी से दिसंबर 2021) के दौरान कुल 14,662 (11,568 ऑनलाइन और 3094 ऑफलाइन) जन शिकायतें प्राप्त हुईं और कुल 14087 (11336 ऑनलाइन और 2751 ऑफलाइन) जन शिकायतों का निपटारा किया गया, जो कुल शिकायतों का 96% है।

वर्ष 2021–2022 (जनवरी से दिसंबर 2021) के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतों की स्थिति का विवरण

	बी/एफ	प्राप्त जन शिकायतें	निस्तरिण जन शिकायतें	31.12.2021 तक लंबित
ऑनलाइन	185	11383	11336	232
ऑफलाइन	831	2263	2751	343

जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के दौरान मुख्य औद्योगिक संबंध आयोजन जिसमें केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:–

जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न प्रतिष्ठानों में हुई हड़तालों का विवरण इस प्रकार है:–

1. हवाई परिवहन

ख. भारतीय कामगार सेना

3.32 भारतीय कामगार सेना अध्यक्ष ने दिनांक 20.4.2021 को मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड, मुंबई के प्रबंधन को नोटिस जारी किया और अपनी मांगों जैसे कि उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना जिन्होंने साल में 240 दिन से अधिक की सेवा की है, घटी हुई तनख्वाह को रोकने और पूरा वेतन देने, वर्ष 2019–20 का बोनस देने आदि को बल देने के लिए 5.5.2021 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया।

3.33 उप. मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुंबई ने मामले में हस्तक्षेप किया और प्रभावी सुलह के कारण यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया।

2. बैंक

i. बैंक यूनियनों की यूनियन का संयुक्त मंच

3.34 बैंक यूनियनों की यूनियन के संयुक्त मंच के संयोजक ने दिनांक 14.01.2021 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के प्रबंधन को नोटिस दिया और 29.1.2021 को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा ताकि उनकी मांगों, स्थानांतरण नीति में सामंजस्य के नाम पर स्टेशन से भौगोलिक जिले के रोटेशन स्थानांतरण के क्षेत्र में कोई वृद्धि न होना, नीतियों में सामंजस्य के नाम पर मौजूदा नीतियों में कर्मचारी विरोधी संशोधन नहीं होना चाहिए जैसी मांगों को बल दिया जा सके।

3.35 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) कोलकाता ने हस्तक्षेप किया और मामले को सुलह में ले लिया और यूनियन को सलाह दी कि वह 29.1.2021 को हड़ताल पर न जाए। जिससे हड़ताल टाल दी गई।

ii. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस एंड ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज यूनिटी फोरम

3.36 दिनांक 18.02.2021 और 16.2.2021 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों के महासचिव और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एकता फोरम द्वारा बैंक प्रबंधन को दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभ कमा रहे हैं और विशेष रूप से देश और ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा कर रहे हैं, सरकार के फैसले के खिलाफ मांगों को लेकर उनके चार्टर के समर्थन में 15 और 16 मार्च 2021 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव करने के लिए क्रमशः एक नोटिस दिया गया था।

3.37 हड़ताल का नोटिस मिलने के बाद अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने मामले में हस्तक्षेप किया और 4.3.2021, 9.3.2021 और 10.3.2021 को सुलह की कार्यवाही की। हालांकि, 15.3.2021 और 16.3.2021 को फील्ड कार्यालयों

से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, यूनियनों ने प्रस्तावित हड़ताल को आगे बढ़ाया और देश में बैंकिंग उद्योग में समग्र हड़ताल की स्थिति को क्रमशः 86% और 84% के रूप में देखा गया।

iii. फेडरल बैंक लिमिटेड, एर्नाकुलम

3.38 एआईबीईए से संबद्ध फेडरल बैंक कर्मचारी संघ और प्रतिष्ठान में मान्यता प्राप्त संघ ने मैसर्स फेडरल बैंक लिमिटेड के प्रबंधन को देश भर में लगभग 4000 कर्मचारियों के साथ 31.03.2021 को हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था।

3.39 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कोचीन ने मामले में हस्तक्षेप किया और सुलह की कार्यवाही की और प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया गया।

iv. अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन और अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन

3.40 अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन और अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन के महासचिव द्वारा दिनांक 1.4.2021 को संयुक्त रूप से डीएफएस, नाबार्ड के प्रबंधन को 17.5.2021 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया गया जिससे कि भत्तों और अन्य लाभों को जारी करने, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन, अनुकंपा नियुक्ति योजना की बहाली आदि के उनके मांगों के संबंध में दबाव बनाया जा सके।

3.41 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें), जयपुर ने मामले में हस्तक्षेप किया और 3.5.2021 को मामले में सुलह किया और उनके राजी करने के बाद संघ प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने के लिए सहमत हो गया।

v. अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.42 एआईआरआरबीईए, एनएफआरआरबीई, एनएफआरआरबीओ तथा एनएफआरआरआरबीएस के महासचिवों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 11.08.2021 को सचिव, वित्त मंत्रालय को दिए गए नोटिस में विद्यमान प्रायोजक बैंकों से पूरी तरह से अलग भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन जो स्वामी सह प्रतिस्पर्धी की भूमिका निभा रहे हैं, ग्यारहवें दो पक्षीय समझौता का बिना किसी भेदभाव/विकृति/विचलन का पूर्ण और उचित कार्यान्वयन आदि जैसी अपनी मांगों के संबंध में दबाव बनाने के लिए 27.9.2021 को अखिल भारतीय हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3.43 सभी क्षेत्रीय प्रमुखों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था तथा विभिन्न क्षेत्रों के उप मुख्य श्रमायुक्तों (कें) ने सूचित किया कि हड़ताल 27.9.2021 को हुई थी।

vi. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

3.44 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स यूनियन के महासचिव ने संयुक्त रूप से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन को नोटिस दिया कि 6.9.2021 को कोलकाता राज्य ज़ोन के सभी क्षेत्रों और चेन्नई ज़ोन के 13 क्षेत्रों में क्रमशः अधिकारियों के उत्पीड़न को रोकने, ट्रेड यूनियन अधिकारों को मान्यता देने, आरओ और जेडओ आदि में मानदंडों के अनुसार संयुक्त वार्ता आयोजित करने जैसी अपनी मांगों पर जोर देने के लिए एक पूर्ण दिवसीय हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव है।

3.45 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें) कोचीन और कोलकाता ने मामले में हस्तक्षेप किया और यूनियन ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने प्रबंधन के साथ हुई सहमति के आधार पर प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया है।

vii. अखिल भारतीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी संघ

3.46 अखिल भारतीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना तथा महाबैंक नवनिर्माण सेना के महासचिव ने संयुक्त रूप से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन को 27.9.2021 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल और तत्पश्चात, 21.10.2021 और 22.10.2021 को 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया, ताकि उनकी मांगों जैसे पीटीएस, क्लर्क, सब–स्टाफ की भर्ती,

प्रशासनिक स्थानान्तरण आदि के संबंध में दबाव बनाया जा सके।

3.47 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय, मुंबई ने मामले में हस्तक्षेप किया और सुलह की कार्यवाही की। हालांकि, संघ ने 27.9.2021 को 40 प्रतिशत अनुपस्थिति के साथ हड़ताल का आयोजन किया।

viii. सोनाली बैंक कर्मचारी संघ

3.48 सोनाली बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव ने सोनाली बैंक लिमिटेड के प्रबंधन को दिनांक 13.9.2021 को उनकी मांगो के संबंध में दबाव बनाने के लिए दिनांक 30.09.2021 और 1.10.2021 को पश्चिम बंगाल राज्य में हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3.49 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय, कोलकाता ने मामले में हस्तक्षेप किया और 28.9.2021 को सुलह की कार्यवाही की। प्रबंधन और संघ के साथ विस्तृत चर्चा के बाद मामला स्थगित कर दिया गया और संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया।

ix. अखिल भारतीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी संघ

3.50 अखिल भारतीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना तथा महाबैंक नवनिर्माण सेना के महासचिवने संयुक्त रूप से 21.10.2021 और 22.10.2021 को 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया, ताकि उनकी मांगों जैसे पीटीएस, क्लर्क, सब–स्टाफ की भर्ती, प्रशासनिक स्थानान्तरण आदि के संबंध में दबाव बनाया जा सके।

3.51 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय, मुंबई ने मामले को अपने हाथों में लेते हुए सुलह की कार्यवाही की तथा प्रभावकारी सुलह प्रक्रिया के कारण हड़ताल को टाल दिया गया।

x. बंगाल प्रांतीय बैंक संविदा कर्मचारी संघ

3.52 बंगाल प्रांतीय बैंक संविदा कर्मचारी संघ के महासचिव ने दिनांक 24.9.2021 को ड्यूश बैंक के प्रबंधन को दो श्रमिकों को सेवाओं से निकालने पर हुए श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ 22.10.2021 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया।

3.53 सहायक श्रमायुक्त (कें), कोलकाता ने हस्तक्षेप किया और मामले को अपने हाथों में लेते हुए सुलह की प्रक्रिया की और यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया।

xi उत्कल ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ

3.54 महासचिव, उत्कल ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने 18.10.2021 को उत्कल ग्रामीण बैंक के प्रबंधन को यूजीबी के स्टाफ सदस्यों और कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैये और सौतेले व्यवहार के विरूद्ध दिनांक 9.11.2021 से 10.11.2021 तक हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3.55 सहायक श्रमायुक्त (कें), भुवनेश्वर ने हस्तक्षेप किया और मामले को अपने हाथों में लेते हुए दिनांक 8.11.2021 को सुलह की कार्यवाही का आयोजन किया। यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया।

xii .बैंक यूनियनों का संयुक्त फोरम

3.56 बैंक यूनियनों के संयुक्त फोरम के संयोजक ने दिनांक 1.12.2021 को अध्यक्ष, आईबीए और मुख्य श्रमायुक्त (कें) को 16 और 17 दिसंबर, 2021 को अखिल भारतीय हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया जिससे कि वे अपनी मांगों अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का विरोध करने और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के विरोध संबंधी अपनी मांगो पर दबाव बना सकें।

3.57 हड़ताल का नोटिस मिलने पर अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें) एवं सुलह अधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप किया और 08.12.2021, 14.12.2021 और 15.12.2021 को सुलह की कार्यवाही की जिसमें वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के प्रतिनिधि और बैंक यूनियनों के संयुक्त फोरम के प्रतिनिधि (यूएफबीयू) मौजूद थे।

3.58 हालांकि, 15.12.2021 को कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो सका और यूनियन/एसोसिएशन प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने के लिए सहमत नहीं हुआ।

3.59 फील्ड कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, देश में बैंकिंग उद्योग में दिनांक 16.12.2021 और 17.12.2021 को समग्र हड़ताल की स्थिति क्रमशः 86 प्रतिशत और 84 प्रतिशत देखी गई।

xiii. ग्रामीण बैंक संघों का संयुक्त फोरम

3.60 ग्रामीण बैंक संघों के संयुक्त फोरम के संयोजक ने दिनांक 1.12.2021 को वित्तीय सेवा विभाग, आईबीए के प्रबंधन और अध्यक्ष, आरआरबी को दिनांक 16 और 17 दिसंबर, 2021 को दो दिवसीय हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया जिससे कि वे अपनी मांगों अर्थात (प) बैंकिंग कानून(संशोधन) विधेयक, 2021 वापस लेना तथा (पप) संपूर्ण द्विपक्षीय समझौते का विस्तार तथा आरआरबी में अधिकारियों के वेतन संशोधन हेतु संयुक्त नोट और प्रायोजक बैंकों के समान आरआरबी में सेवा विनियमन के कार्यान्वयन संबंधी अपनी मांगो पर दबाव बना सकें।

3.61 हड़ताल का नोटिस मिलने पर, तत्काल, अपरमुख्य श्रमायुक्त (कें) ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 09.12.2021 और 14.12.2021 को सुलह की कार्यवाही की। संयुक्त चर्चा के दौरान वित्त मंत्रालय, नाबार्ड, आरआरबी के प्रतिनिधि और ग्रामीण बैंक संघों के संयुक्त फोरम के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

3.62 उचित विचार–विमर्श और चर्चा के पश्चात सुलह अधिकारी/अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें) ने डीएफएस को संघ के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीएफएस) के बीच बैठक आयोजित करने की सलाह दी ताकि मामले को युक्ति संगत बनाने और सभी आरआरबी में भत्ते, जो चिंता का मुख्य क्षेत्र हैं, में एकरूपता लाने पर चर्चा की जा सके। सुलह अधिकारी ने संघ के प्रतिनिधियों को द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपना एजेंडा डीएफएस को प्रस्तुत करने की सलाह दी, जिसका समाधान सरकार द्वारा किया जाना है, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर से संबंधित मुद्दों में एकरूपता लाई जा सके। अतः दोनों पक्षों को 17.01.2022 तक द्विपक्षीय वार्ता करने की सलाह दी गई। हालांकि, संघ द्वारा प्रस्तावित हड़ताल का आयोजन किया गया।

3. कोयला और गैर कोयला

i. राजस्थान माइंस वर्कर्स यूनियन

3.63 हिंद मजदूर सभा से संबद्ध राजस्थान माइन्स वर्कर्स यूनियन, कोटा द्वारा एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज (एएसआई) कंपनी लिमिटेड, रामगंज मंडी, राजस्थान के प्रबंधन को दिनांक 20.04.2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एक नोटिस दिया गया जिससे कि वेतन के भुगतान न होने, कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, हर साल वेतन में 5 फीसदी की बढ़ोतरी आदि जैसी उनकी मांगों के संबंध में दबाव बनाया जा सके।

3.64 सहायक श्रमायुक्त(कें), कोटा ने मामले में हस्तक्षेप किया और प्रभावकारी सुलह कार्यवाही के कारण संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया।

ii. आरएमडी ठेकेदार श्रमिक संघ

3.65 महासचिव, आरएमडी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन ने दिनांक 19.4.2021 को सेल, कोलकाता के प्रबंधन को दिनांक 6.5.2021 से सेल और आरआईएनएल में सभी प्रतिष्ठानों में 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया जिससे कि उनकी मांगों जैसे वेतन व्यवस्था की अवधि पांच वर्ष की होनी चाहिए, 35 प्रतिशत पर्क्स/भत्तों की गणना की जाए, पेंशन फंड में प्रबंधन के योगदान को 9 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए आदि के संबंध में दबाव बनाया जा सके।

3.66 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें), कोलकाता ने हस्तक्षेप किया और मामले को हाथ में लिया और सुलह की कार्यवाही की और प्रभावकारी सुलह के कारण प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया।

iii. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और आरआईएनएल

3.67 मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और आरआईएनएल में कार्य कर रहे विभिन्न संघों से दिनांक 30.6.2021 को उनकी विभिन्न मांगों की पूर्ति जैसे सेल और आरआईएनएल में काम करने वाले कर्मचारियों का दिनांक 1.1.2017 से प्रभावी तत्काल वेतन समाधान आदि के लिए हड़ताल पर जाने के लिए नोटिस प्राप्त हुए।

3.68 हड़ताल के नोटिस प्राप्त होने पर उन्हें संबंधित क्षेत्रीय प्रमुखों को आवश्यक हस्तक्षेप के लिए भेज दिया गया, हालांकि, प्रस्तावित हड़ताल का आयोजन किया गया। फील्ड कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, समग्र हड़ताल स्थिति 53 प्रतिशत देखी गई।

iv. एनएफआईटीयू और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर कांग्रेस

3.69 एनएफआईटीयू और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर कांग्रेस के महासचिव ने संयुक्त रूप से कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन को कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के प्रबंधन द्वारा कार्मिकों के प्रति अवैध गतिविधियों के खिलाफ 16.8.2021 से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव देते हुए दिनांक 16.07.2021 को नोटिस दिया।

3.70 संबंधित क्षेत्रीय प्रमुखों ने हस्तक्षेप किया और मामले को हाथ में लेते हुए सुलह की कार्यवाही की और प्रभावकारी सुलह के कारण प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई।

v. सलेम जिला एससी और एसटी मैग्नेसाइट कर्मचारी ट्रेड यूनियन और सलेम जिला मैग्नेसाइट पट्टाली थोज़िरो संगम

3.71 सलेम जिला एससी और एसटी मैग्नेसाइट कर्मचारी ट्रेड यूनियन और सलेम जिला मैग्नेसाइट पट्टाली थोज़िरो संगम के महासचिव ने दिनांक 16.7.2021 को सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन को दिनांक 9.8.2021(अथवा) किसी भी दिन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया जिससे कि ग्रेड में संशोधन, वेतन अंतर में कमी, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के संबंध में दबाव बनाया जा सके।

3.72 क्षेत्रीय श्रमायुक्त(कें), चेन्नई ने हस्तक्षेप किया और मामले को हाथ में लेते हुए सुलह की कार्यवाही की और प्रभावकारी सुलह के कारण प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई।

vi. एनएफआईटीयू और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर कांग्रेस

3.73 महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल फ्रंट ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन (डीएचएन) ने दिनांक 20.09.2021 को कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में 02.10.2021 को हड़ताल का आयोजन किए जाने का प्रस्ताव दिया। इस संबंध में संबंधित संघ द्वारा 20 बिंदुओं वाला एक मांग चार्टर प्रस्तुत किया गया। हड़ताल की सूचना मिलने पर औद्योगिक संबंध अनुभाग से संबंधित उप मुख्य श्रमायुक्त (कें), मुख्यालय ने मामले में हस्तक्षेप किया और प्रभावी सुलह के कारण प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया गया।

vii. राष्ट्रीय मजदूर मंच, तुमसर

3.74 महासचिव, राष्ट्रीय मजदूर मंच, तुमसर ने दिनांक 23.09.2021 को अपनी मांगों जैसे बोनस का भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति, आईडीए/सीडीए योजना के कार्यान्वयन आदि के संबंध में दबाव बनाने के लिए 18.10.2021 को हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3.75 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें), नागपुर ने हस्तक्षेप किया और मामले को हाथ में लेते हुए सुलह की कार्यवाही की और प्रभावकारी सुलह के कारण प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई।

viii. नेशनल एल्युमीनियम कंपनी श्रमिक कांग्रेस यूनियन

3.76 महासचिव, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी श्रमिक कांग्रेस यूनियन ने दिनांक 30.09.2021 को स्मेल्टर प्लांट नाल्को, अंगुल के प्रबंधन को उनकी मांगों जैसे कि सेवानिवृत्ति लाभ,1.1.1997 और 31.12.2016 के बीच कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने आदि हेतु दबाव बनाने के लिए 14.10.2021 को हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3.77 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें), भुवनेश्वर ने मामले को हाथ में लेते हुए सुलह की कार्यवाही की और प्रभावकारी सुलह के कारण प्रस्तावित हड़ताल टाल दी गई।

ix. तेलंगाना बोग्गु गनी कार्मिक संगम

3.78 प्रमुख संघ नामशः तेलंगाना बोग्गू गनी कार्मिक

संगम, एआईटीयूसी, इंटक, एचएमएस, सीटू बीएमएस और एससीसीएल के ठेका मजदूरों के ट्रेड यूनियनों ने सीएमडी, एससीसीएल को दिनांक 09.12.2021 से 11.12.2021 तक 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया जिससे कि उनकी मांगों के संबंध में दबाव बनाया जा सके।

3.79 हड़ताल का नोटिस प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें), हैदराबाद ने विभिन्न तिथियों पर सुलह की कार्यवाही की, जिसमें यूनियनों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि, यूनियनों के संयुक्त फोरम ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना में दिनांक 9.12.2021 से 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया।

x. सेल / आरआईएनएल

3.80 संयुक्त संघर्ष समिति, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन और सेल कर्मचारी संघ की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने दिनांक 16.12.2021 को सेल और आरआईएनएल के सभी प्रतिष्ठानों में 1.1.2017 से वेतन संशोधन करने तथा अन्य मांगों से संबंधित अपने 18 सूत्री मांग चार्टर के संबंध में दबाव बनाने हेतु देशव्यापी हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3.81 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें), धनबाद एवं कोलकाता ने मामले को हाथ में लेते हुए सुलह की कार्यवाही की और प्रभावकारी सुलह के कारण प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई।

4. रक्षा

i. एमईएस वर्कर्स यूनियन चिल्का

3.82 महासचिव, एमईएस कर्मचारी संघ चिल्का ने दिनांक 7.1.2021 को आईएनएस चिल्का प्रबंधन नीति के खिलाफ 22.1.2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3.83 सहायक श्रमायुक्त (कें), भुवनेश्वर ने सूचित किया कि प्रबंधन और संघ के बीच परस्पर सहमति होने के उपरांत हड़ताल का नोटिस वापिस लेने का अनुरोध किया गया।

5. भारतीय खाद्य निगम

3.84 अध्यक्ष, एफसीआई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 18.2.2021 को अनुचित श्रम प्रथा के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन को दिनांक 31.03.2021 से भूख हड़ताल आदि पर जाने का नोटिस जारी किया।

3.85 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें), कानपुर ने मामले को हाथ में लेते हुए सुलह की कार्यवाही की और यूनियनों द्वारा हड़ताल का आयोजन नहीं किया गया।

6. बीमा

i. ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच (जेएफटीयू)

3.86 सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा (पीएसजीआई) कंपनियों में ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच (जेएफटीयू) अर्थात **(i)** ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(ii)** नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, **(iii)** द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और **(iv)** यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपनी निम्नलिखित मांगों को लेकर 4.8.2021 को एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल पर गईं:

1. साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक के पारित होने का विरोध
2. पीएसजीआई कंपनियों के निजीकरण का विरोध
3. पीएसजीआई कंपनियों का सुदृढ़ीकरण और
4. वेतन संशोधन का तत्काल समाधान।

3.87 फील्ड कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर,बीमा क्षेत्र में देश में 4.8.2021 को दोपहर 2 बजे सम्पूर्ण हड़ताल की स्थिति 82 प्रतिशत देखी गई।

7. विविध

(i) स्कीम वर्कर्स फेडरेशन का संयुक्त मंच

3.88 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (इंटक, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी) से संबद्ध स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के संयुक्त मंच ने 24 सितंबर 2021 को स्कीम वर्कर्स की अखिल भारतीय हड़ताल (शारीरिक दूरी

और डब्ल्यूएचओ द्वारा सभी मानदंडों का पालन करते हुए) में शामिल होने का फैसला किया है। आंगनबाड़ी, आशा, एमडीएम, एनसीएलपी,एसएसए, एनएचएम आदि सहित स्कीम वर्कर्स के सभी वर्ग हड़ताल में भाग लेंगे। चूंकि यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके द्वारा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उक्त को अग्रेषित किया जाता है।

3.89 सभी क्षेत्रीय प्रमुख/उप. सीएलसी (केंद्रीय) संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में सीएलसी (केंद्रीय) को इस मामले में संबंधित राज्य श्रम प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने की सलाह दी गई थी। क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित हड़ताल हुई।

ii. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) कर्मचारी संघ

3.90 कर्मचारी संघ के महासचिव ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) के प्रबंधन को जिसमें न्यूनतम मजदूरी इत्यादि के भुगतान समेत अपनी विभिन्न मांगों को उठाने के लिए दिनांक 25.11.2021 को एक दिन की हड़ताल प्रस्तावित की गई थी। दिनांक 25.10.2021 को नोटिस जारी किया था।

3.91 एएलसी (कें.) नई दिल्ली ने मामले को सुलह में ले लिया और हड़ताल टल गई।

8. तेल

i. फील्ड ऑपरेटर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी

3.92 संयोजकों, फील्ड ऑपरेटर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी, राजमुंदरी ने ओएनजीसी के प्रबंधन को नोटिस दिया, राजामुंद्रे ने ओएनजीसी में फील्ड ऑपरेटरों के वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन में देरी को लेकर दिनांक 5.2.2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा ।

3.93 सहायक श्रमायुक्त (कें.) विजयवाड़ा ने मामले में हस्तक्षेप किया और 24.1.2021 को सुलह की कार्यवाही की और यूनियनों ने प्रस्तावित हड़ताल को टालने पर सहमति व्यक्त की।

ii. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कर्मचारी संगठनः

3.94 महासचिव, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कर्मचारी संगठन जैसे अपतटीय कर्मचारियों द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑफशोर में प्रदर्शन, फील्ड ऑपरेटरों और पैरामेडिकल स्टाफ का नियमितीकरण, वेतन संशोधन फील्ड ऑपरेटरों और पैरामेडिकल स्टाफ आदि की अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों को दबाने के लिए दिनांक 1.3.2021 को 11.3.2021 से 22.3.2021 तक हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया।

3.95 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) मुंबई ने सूचित किया है कि संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है।

iii. ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन

3.96 ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन (ओओए) के महासचिव ने ओएनजीसी के दिल्ली के प्रबंधन को ए + पीएआर ग्रेडिंग में सभी स्तरों पर 50% सीलिंग को हटाने, ई–1/ वेतन विसंगति, लंबी सेवा इनाम योजना का कार्यान्वयन, तेल सैनिकों और परिवारों के लिए कोविड 19 टीकाकरण आदि अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए 19.4.2021 से हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया।

3.97 सहायक श्रमायुक्त (कें.) नई दिल्ली ने मामले में हस्तक्षेप किया और 26.4.2021 को समझौता किया और प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया।

iv. ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन

3.98 ओएनजीसी लिमिटेड के प्रबंधन को ऑयल फील्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन (ओएफईए) द्वारा दिए गए एक नोटिस ओएनजीसी के नियमित कर्मचारियों के समान सभी माध्यमिक कार्यबल (संविदा श्रमिक) के लिए मृत्यु के मामले में दिनांक 21.4.2021 ने चिकित्सा सुविधाओं और मुआवजे जैसी अपनी मांगों को प्रभावी रूप से उठाने के लिए 1.5.2021 से रिले फास्ट पर 4.5.2021 से, आमरण अनशन पर जाने का प्रस्ताव रखा।

3.99 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) मुंबई ने मामले में हस्तक्षेप किया और प्रभावी सुलह के कारण संघ ने प्रस्तावित रिले को तेजी से स्थगित कर दिया।

9. पोस्ट और टेलीग्राफ

i. भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ

3.100 भाटिया ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के महासचिव ने भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ, मुशीदाबाद डिवीजन द्वारा दिनांक 21.12.2020 को नोटिस दिया उन्होने अपनी मांगों, जैसे कि पूरे डिवीजन में एमडीडब्ल्यू के तत्काल संशोधन, अस्थायी स्थिति एमटीएस के लंबे समय से लंबित मामलों का तत्काल निपटान, उनके बकाया आदि का समय पर भुगतान के लिए 14.1.2021 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा, जैसे कि पूरे डिवीजन में एमडीडब्ल्यू के तत्काल संशोधन, अस्थायी स्थिति एमटीएस के लंबे समय से लंबित मामलों का तत्काल निपटान, उनके बकाया आदि का समय पर भुगतान।

3.101 सहायक श्रमायुक्त (कें.) कोलकाता ने मामले को सुलह में ले लिया और हड़ताल टल गई।

10. बंदरगाह

i. विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड और डॉक वर्कर्स यूनियन

3.102 विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड और डॉक वर्कर्स यूनियन के महासचिव ने विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन को 2.2.2021 को या उसके बाद किसी भी दिन हड़ताल पर जाने के लिए प्रस्तावित पीएलआर योजना के बेहतर सुधार और निपटान, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक –2020 आदि में यूनियन/फ़ैडरेशन के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए नोटिस जारी किया।

3.103 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) विशाखापत्तनम ने हस्तक्षेप किया और मामले को सुलह में ले लिया और प्रभावी सुलह के कारण संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया

ii. कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन

3.104 कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन के महासचिव ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन को नोटिस जारी कर कोचीन पोर्ट के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सभी 3 अनुमंडलों के विलय के आदेश के खिलाफ 8.4.2021 को या उसके बाद किसी भी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया।

3.105 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) कोचीन ने हस्तक्षेप किया और 7.4.2021 को मामले को सुलझा लिया और यूनियन द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया गया।

iii. ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन

3.106 परिवहन और डॉक वर्कर्स यूनियन, मुंबई के महासचिव ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन को नोटिस दिया कि द्वीप और पीर पाऊ और एमबीपीटी के दो हार्बर टग 'अजीत' और अजिंक्य' के संचालन और रखरखाव की आउटसोर्सिंग जवाहर में टैंकरों के मूरिंग ऑपरेशन की आउटसोर्सिंग की मनमानी और एकतरफा कार्रवाई पर 10.07.2021 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव है।

3.107 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) मुंबई ने मामले में हस्तक्षेप किया और मामले को सुलह में ले लिया और प्रभावी सुलह के कारण संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया।

iv. कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन

3.108 महासचिव, कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन को दिनांक 5.7.2021 को नोटिस जारी किया, जिसमें कोचीन के रीच स्टेकर को बेचने के लिए कोचीन पोर्ट के कार्गो हैंडलिंग संचालन को विकलांग बनाने वाले श्रमिकों के हित के लिए हानिकारक बंदरगाह पोर्ट प्रबंधन की कार्रवाई के खिलाफ 19.7.2021 को या उसके बाद किसी भी दिन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा गया था।

3.109 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कोचीन ने मामले में हस्तक्षेप किया और मामले को सुलह में ले लिया और प्रभावी सुलह के कारण हड़ताल टल गई।

v. कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन

3.110 कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन के महासचिव ने दिनांक 10.8.2021 को नोटिस जारी किया था जिसमें कोचीन पोर्ट में प्रचलित कुशल योजना तथा कर्मचारियों की कुशल श्रेणियों को पहले से भुगतान किए गए लाभों

की वसूली के लिए पोर्ट प्रबंधन की कार्रवाई के खिलाफ 28.08.2021 को या उसके बाद किसी भी दिन से हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा गया था।

3.111 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन ने मामले में हस्तक्षेप किया और मामले को सुलह हेतु संज्ञान में लिया और प्रभावी सुलह के कारण हड़ताल को टाल दिया गया।

vi. मिंजुर पगुथी पोथु तोझिलालारी संगम

3.112 मिंजुर पगुथी पोथु तोझिलालारी संगम के सचिव ने कामराजर पोर्ट, चेन्नई के प्रबंधन को दिनांक 30.7.2021 को नोटिस दिया और अनुबंध श्रम अधिनियम और गोदी श्रम अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ 16.8.2021 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा।

3.113 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) चेन्नई ने हस्तक्षेप किया और मामले को सुलह में ले लिया और संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया।

vii. 5 मेजर पोर्ट्स वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय समन्वय समिति

3.114 i) ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (ii) ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) (iii) वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (iv) इंडियन नेशनल पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन पोर्ट, डॉक और (v) वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा एक नोटिस दिया गया था। अपनी मांगों के चार्टर को दबाने के लिए 15.12.2021 को या उसके बाद सभी प्रमुख बंदरगाहों पर अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा।

3.115 हड़ताल का नोटिस मिलने पर तत्काल अपर सीएलसी (कें.)/सुलह अधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप किया और 10.12.2021 को इस विषय पर संयुक्त चर्चा की। संयुक्त चर्चा के दौरान नौवहन मंत्रालय, भारतीय बंदरगाह संघ के प्रतिनिधि और 5 मेजर पोर्ट्स वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय समन्वय समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

3.116 इस विषय पर लंबी चर्चा और विचार– विमर्श के बाद, और प्रभावी सुलह के कारण प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था।

11. शक्ति

i. पावर ग्रिड

3.117 पावरग्रिड वर्कर्स द्वारा पावर–ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन को दिनांक 15.11.2021 को एक नोटिस दिया गया था, जिसमें 2.12.2021 को 3.12.2021 को सुबह 5.00 बजे से 5.00 बजे तक हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया गया था ताकि निजीकरण के खिलाफ, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, एन आर–ppp में पी एन बी सी के लिए तुरंत गुप्त मतदान आदि जैसी मांगों के लिए उनके छह सूत्रीय चार्टर को प्रभावी रूप से उठाया जा सके।

3.118 हड़ताल की सूचना मिलते ही दिनांक 23.11.2021 एवं 01.12.2021 को मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के कार्यालय में संयुक्त विचार–विमर्श किया गया तथा प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया।

ii. एचपीबीपी/भेल

3.119 एचपीबीपी/भेल से संबद्ध विभिन्न संघों/संघों के महासचिवों द्वारा संयुक्त रूप से एक नोटिस दिनांक 13.12.2021 को संयुक्त रूप से जैसे कि संयुक्त समिति की बैठक तुरंत बुलाना, बातचीत करना, पीपीपी–एसआईपी, टर्म इंश्योरेंस स्कीम आदि को अंतिम रूप देना और निष्पादित करना जैसी मांगों को प्रभावी रूप से उठाने के लिए 28.12.2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया गया था।

3.120 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) चेन्नई ने मामले में हस्तक्षेप किया और सुलह की कार्यवाही की और प्रभावी सुलह के कारण संघ प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने के लिए सहमत हो गया।

15. 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 के दौरान समझौता ज्ञापन जिसमें सीआईआरएम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:–

मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) कार्यालय, नई दिल्ली

3.121 एमओआईएल और एमओआईएल कामगार के संगठन (इन्टुक) के प्रबंधन के बीच समझौता ज्ञापन पर 16 नवंबर 2021 को मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) के समक्ष संगठन हस्ताक्षर किए गए थे । इस वेतन संशोधन समझौते से 6000 से अधिक श्रमिकों को राहत मिलेगी ।

3.122 वेतन संशोधन 10 साल की अवधि के लिए 01.08.2017 से .31.07.2027 तक है जिससे कंपनी के करीब 6000 कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। यह प्रबंधन और एमओआईएल के मान्यता प्राप्त संघ अर्थात एमओआईएल कामगार संगठन(एमकेएस) के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है । निपटान में 20% का फिटमेंट लाभ और 20% की दर से अनुलाभ/भत्ते शामिल हैं। मई, 2019 से कंपनी द्वारा बेसिक और डीए के 12% की दर से अंतरिम राहत दी गई ।

3.124 यह सहमति हुई कि एमओआईएल एक बार में बकाया भुगतान कर देगी जिससे 1 अगस्त , 2017 से 30 सितंबर, 2021 तक की अवधि के लिए लगभग 218 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित वेतन संशोधन का वित्तीय प्रभाव लगभग 87 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।

अजमेर

i. विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम मजदूरी के भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक कर्मचारी संघ/एसोसिएशन–स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के प्रबंधन के बीच एएलसी (कें.) कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। बंदोबस्त के परिणामस्वरूप, लगभग 30,000 बैंक कर्मचारी इस अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त कार्य के भुगतान के लिए लाभान्वित हुए। **30,000 बैंक कर्मचारियों को संवितरण की अनुमानित राशि लगभग 150 रु . करोड़ आती है।**

अहमदाबाद

I. अखिल दादरा और नगर हवेली कामदार द्वारा उठाए गए एक औद्योगिक विवाद में आरएलसी (कें.) बड़ौदा द्वारा किए गए एक सुलह के प्रयास के रूप में कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन के खिलाफ संघ , सिलवासा , आईडी अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3) के तहत सिलवासा समझौता ज्ञापन पर 30–03–2021 को हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते से **53 श्रमिकों को 1,20,75,024/– रुपये का मौद्रिक लाभ दिया गया ।**

ii. अखिल दादरा और नगर हवेली कामदार संघ द्वारा उठाए गए एक औद्योगिक विवाद में आरएलसी (कें.) बड़ौदा द्वारा किए गए एक सुलह के प्रयास के रूप में बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन के खिलाफ संघ , सिलवासा और उसके ठेकेदार, आईडी अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3) के तहत समझौता ज्ञापन पर 30–12–2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते से **52 श्रमिकों, को 1,20,751,024/–रुपये का मौद्रिक लाभ दिया गया है ।**

नागपुर

i. महासचिव, राष्ट्रीय मजदूर मंच, तुमसर, जिला भंडारा ने एमओआईएल लिमिटेड नागपुर के प्रबंधन के खिलाफ 18–10–2021 को एक दिन की हड़ताल के साथ–साथ वेतन समझौते से संबंधित मांग पत्र के खिलाफ औद्योगिक विवाद उठाया। मामले को सुलह के लिए जब्त कर लिया गया, जिससे सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ। एमओआईएल लिमिटेड के प्रबंधन ने एक निश्चित अवधि के भीतर वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसलिए संघ के प्रतिनिधियों ने मामलों को बंद करने करने का अनुरोध किया तथा इसपर संघ के प्रतिनिधि भी सहमत हो गए थे। समझौता होने के कारण प्रस्तावित हड़ताल टल गई। जिसके परिणामस्वरूप, **7000 मानव दिवस** बच गए और कंपनी के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

ii. महासचिव, कोयला श्रमिक सभा (एचएमएस), डब्लुसीएल, नागपुर ने श्री प्रवीण एच. अंगड़े , जनरल मजदूर , कैट–I, 24–01–2019 से प्रभावी की सेवा से कथित अवैध समाप्ति पर वेस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड, चंद्रपुरा के चंद्रपुरा क्षेत्र के प्रबंधन के खिलाफ एक औद्योगिक विवाद उठाया तथा पिछली मजदूरी के साथ बहाली और सेवाओं को जारी रखने की मांग की। मामले

को सुलह में बदल दिया गया जिससे सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया। सुलह अधिकारी और एएलसी (कें.) चंद्रपुरम के अनुनय के बाद , डब्ल्यूसीएल के प्रबंधन ने सेवा में काम करने वाले को बहाल करने के लिए सहमति व्यक्त की और ग्रेच्युटी आदि की गणना के उद्देश्य से समाप्ति और बहाली के बीच की अवधि को निरंतर सेवा के रूप में माना। इस संबंध में दिनांक 19–07–2021 को सुलह अधिकारी के समक्ष समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।

कोलकाता

i. डब्ल्यूएस के ठेकेदार के खिलाफ मांग का एक चार्टर प्रस्तुत किया । कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक तेल उद्योग इकाई है, और कोलकाता जिले में कार्यरत है। यूनियन ने 1 वर्ष से 15 वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले सदस्य कामगारों को अन्य अतिरिक्त सेवा लाभों के साथ केंद्रीय वेतन का भुगतान करने की मांग की प्रबंधन केंद्रीय वेतन प्रदान करने के लिए सहमत नहीं था और उसने कहा कि अब तक वे राज्य की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करते रहे हैं। यूनियन ने विभिन्न भत्तों के प्रति महंगाई भत्ते के साथ राज्य सरकार के भत्तों के अतिरिक्त सभी श्रेणी के कामगारों के लिए लगभग 1700/– रू. के अतिरिक्त भत्ते के भुगतान की मांग की। इस मामले को उप सीएलसी (केंद्रीय) कोलकाता द्वारा संयुक्त चर्चा/समाधान में उठाया गया था और संयुक्त चर्चा की विभिन्न तिथियों पर मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के प्रयास किए गए थे। अंततः 17–11–2021 को, अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए विस्तृत विचार–विमर्श और अनुनय के बाद, नियोक्ता यानी ठेकेदार, अर्थात् i) मैसर्स जेम इंजीनियरिंग, ii) मैसर्स सीएलआर फैसिलिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, iii) मैसर्स क्वांटा इलेक्ट्रिकल्स iv) मैसर्स डैग कंसल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड और संघ विवाद को सुलझाने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के इस बंदोबस्त से 39 कामगारों को लाभ होगा और इस बंदोबस्त के कारण वित्तीय भागीदारी **लगभग 8.5 लाख रु. प्रति वर्ष होगी।**

भुवनेश्वर

i. महासचिव, सुकिंडा क्षेत्र क्रोमाइट खदानी मजदूर संघ (एसआरसीकेएमएस) ने अपने पत्र दिनांक 31.08. 2020 द्वारा 5 मांगों का चार्टर और पत्र दिनांक 08.09. 2020 के माध्यम से 8 मांगों का चार्टर उठाया। औद्योगिक विवाद प्राप्त होने पर पक्षों को विभिन्न तिथियों पर संयुक्त चर्चा/समाधान कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये गये। सुलह/लंबी चर्चा के बाद 27.07.2021 को एक समझौता हुआ, जिससे 218 कामगारों को रु. 3,09,87,600.00 (तीन करोड़ नौ लाख सत्तासी हजार छह सौ) उपरोक्त वैधानिक बकाया राशि के लिए लाभ प्राप्त हुआ।

ii. दिनांक 16.08.2021 को मैसर्स रोइदा 'सी' आयरन तथा एमएन माइन्स (आईकेआईडब्ल्यूएल), क्योंझार तथा मैसर्स पी के ओर्स प्रा. लि. के ठेकेदार को 124 कामगारों के संबंध में भत्तों (जैसे कि अनकाश भत्ता वीडीए बकाया ग्रच्युटी आदि) कि भुगतान न करने पर दिनांक 01.09.2021 से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया। सुलह/लंबी चर्चा के बाद 30.08. 2021 को एक समझौता हुआ, जिससे 124 कामगारों को उपरोक्त सांविधिक देय राशि के लिए 55,61,874. 00 (पचपन लाख इकसठ हजार आठ सौ चौहत्तर रुपये मात्र) रुपये का लाभ हुआ ।

iii. महासचिव, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिला मजदूर संघ ने पत्र दिनांक 01.07.2021 के माध्यम से 285 कामगारों को पूर्ण और अंतिम भुगतान (अर्थात बोनस, छुट्टी मजदूरी, बीमार छुट्टी, छंटनी मुआवजा और ग्रेच्युटी) का भुगतान न करने पर मैसर्स एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बारबिल और उनके 11 ठेकेदारों के प्रबंधन के खिलाफ औद्योगिक विवाद उठाया था। इसकी प्राप्ति के पश्चात् मामले को सुलह हेतु हाथ में लिया गया। सुलह / लंबी चर्चा के बाद 12.08.2021 को एक समझौता हुआ, जिससे **285 कामगारों को 3,68,09,062.00 रुपये** का लाभ मिला ।

iv. उड़ीसा मिनरल वर्कर्स यूनियन के महासचिव ने पत्र दिनांक 11.09.2021 के माध्यम से 326 कामगारों को बोनस और अनुग्रह राशि का भुगतान न करने पर मैसर्स पेंग्विन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड, क्योंझर और उनके 08 ठेकेदारों के प्रबंधन के खिलाफ औद्योगिक विवाद उठाया था। इसकी प्राप्ति के बाद मामले को सुलह हेतु हाथ में लिया गया। पार्टियों के

साथ सुलह / लंबी चर्चा के बाद 24.09.2021 को एक समझौता हुआ, जिसके कारण 324 कामगारों को बोनस और अनुग्रह राशि के रूप में 1,32,03,671.00 रुपये (एक करोड़ बत्तीस लाख तीन हजार छह सौ इकहत्तर रुपये) का लाभ मिला ।

v. ईसीआरसीएसयू के कानूनी सलाहकार ने दिनांक 12.01.22 के पत्र के माध्यम से मैसर्स सुप्रीम सुविधाओं के प्रबंधन, ईस्ट कॉस्ट रेलवे कोचिंग डिपो, भुवनेश्वर के ठेकेदार के खिलाफ 47 श्रमिकों की सेवा समाप्त करने और 270 श्रमिकों के संविदा समाप्ति के विवाद को उठाया। इस पत्र की प्राप्ति के बाद मामले को सुलह हेतु हाथ मे लिया गया और पक्ष का विवाद निपटाने के लिए सहमत हो गए। 19.02.2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें ठेकेदार द्वारा 47 श्रमिकों को पिछली नौकरी में बहाल किया गया था और रेलवे प्राधिकरण ने 270 श्रमिकों को नए ठेकेदार के साथ फिर से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की थी। ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–एच के तहत नए ठेकेदार द्वारा कुल 317 श्रमिकों को फिर से नियुक्त किया गया।

vi. आरईईयू के महासचिव ने दिनांक 05.12.2020 के माध्यम से भत्तों और अनुषंगी लाभों के संशोधन पर मैसर्स आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ विवाद उठाया। सुलह के तहत मामले को जब्त कर लिया गया और पक्ष एमओएस के माध्यम से मामले को सुलझाने के लिए सहमत हुए और 18.06.2021 को समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। कुल 476 कामगारों को 6 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिला।

vii. पीपीडब्ल्यूयू के महासचिव ने पत्र दिनांक 26.03.21 के माध्यम से मैसर्स एसवी इंडस्ट्रीज, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के ठेकेदार के प्रबंधन के खिलाफ मांगों के 10 सूत्री चार्टर पर विवाद उठाया। सुलह के तहत विवाद को हाथ में लिया गया और 02.09.2021 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और कुल 26 कामगारों को 11,75,226 / – की राशि का लाभ मिला ।

viii. महासचिव नाल्को श्रमिक सभा अंगुल ने यूनाइटेड रेल रोड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ठेकेदार के साथ काम करने वाले 145 श्रमिकों को पूर्ण और अंतिम भुगतान के मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा किया। सुलह के तहत मामले को हाथ में लिया गया और सुलह कई तिथियों तक चली। अनुनय–विनय के बाद अंततः अक्टूबर, 2021 में ठेकेदार ने भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की तथा समझौता ज्ञापन को सुलह अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.10.2021 को हस्ताक्षरित किए गए। जिससे 145 श्रमिकों को लगभग 17 लाख रु. का लाभ मिला।

बैंगलोर

i. वासवदत्ता सीमेंट जनरल वर्कर्स यूनियन ने अनुग्रह / बोनस का भुगतान न करने पर वासवदत्ता सीमेंट्स, सेडम के प्रबंधन के खिलाफ एक औद्योगिक विवाद उठाया था । क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बेल्लारी ने मामले को सुलह में स्वीकार कर लिया था और दिनांक 10–11–2021 को एक समझौता हुआ था। इस समझौते से 899 श्रमिकों को 3.09 करोड़ रु. का लाभ मिला।

ii. श्री उमेश और 88 अन्य लोगों द्वारा मैसर्स मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रबंधन के खिलाफ टर्मिनल लाभों का भुगतान न करने पर दिनांक 09.12.2020 को एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बेल्लारी ने मामले में हस्तक्षेप किया और 89 श्रमिकों को 4.84 करोड़ रु. का लाभ मिला।

iii. एमआरपीएल के अध्यक्ष कर्मचारी संघ ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन के खिलाफ वेतन संशोधन सहित विभिन्न मांगों के एक चार्टर पर हस्तक्षेप के लिए एक विवाद उठाया था। मामले को एएलसी (केंद्रीय), मैंगलोर द्वारा सुलह में स्वीकार किया गया था और 6.2.2021 को एक समझौता हुआ था, जिससे 1032 श्रमिकों को लाभ हुआ था। प्रति माह वित्तीय निहितार्थ लगभग 1.63 करोड़ रुपये प्रति माह है। । 62.35 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया गया।

iv. अध्यक्ष, विज्ञान उद्योग मजदूर संध्या (वीआईएमएस) ने विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा 01.01.2013

से देय वेतन संशोधन सहित विभिन्न मुद्दों के निपटान के लिए एएलसी (सी), मैंगलोर के समक्ष दिनांक 29–9–2021 को एक औद्योगिक विवाद उठाया । इस मामले में संयुक्त चर्चा हुई। और एमओएस पर सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), मैंगलोर के समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे। जिससे लगभग 124 श्रमिकों को लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि से लाभान्वित किया गया।

v. श्री विनायक एंटरप्राइजेज, निमहंस, बैंगलोर के ठेकेदार द्वारा रोजगार से इनकार करने के संबंध में 19 ठेका श्रमिकों द्वारा शिकायत की गई थी । शिकायत को सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बैंगलोर द्वारा स्वीकार किया गया था और 7.9.2021 से शुरू होने वाली विभिन्न तिथियों पर चर्चा हुई थी और 14–9–2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठेकेदार द्वारा सेवा की निरंतरता के साथ सभी 19 अनुबंधों को काम पर वापस ले लिया गया ।

vi. दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बैंगलोर के समक्ष हस्ताक्षरित एमओएस में एचएमटी लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा 2 श्रमिकों को फिर से स्थापित किया गया था।

vii. कर्नाटक स्टेट ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन एंड ईएसआईसी हॉस्पिटल, पीन्या , वी4 एचआर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा लिमिटेड बेंगलुरु हाउसकीपिंग का काम कर रहे 70 श्रमिकों को रोजगार से इनकार करने के संबंध में सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बैंगलोर ने मामले में हस्तक्षेप किया और 3–5–2021 को चर्चा हुई। ठेकेदार **48 श्रमिकों को लेने के लिए सहमत हो गया क्योंकि इन श्रमिकों ने 2012 से 2013 तक काम किया था ।**

रायपुर

i. यूनियन ने आरोप लगाया कि चौटिया माइंस बाल्को नियोक्ता मैसर्स सर्वेयर्स एंड सीलिंग यार्ड प्रा. लि. ने खदान बंद होने के बावजूद 18 श्रमिकों को छंटनी मुआवजे का भुगतान नहीं किया है।

मामले को सुलह के तहत हाथ में लिया गया और पार्टियों को विभिन्न तिथियों पर नोटिस जारी किए गए। अंततः दिनांक 09–08–2021 को सुलह अधिकारी उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), रायपुर के अनुनय के बाद नियोक्ता ईएल, सीएल, छंटनी मुआवजे और बोनस का भुगतान करने के लिए सहमत हुए और उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), रायपुर के समक्ष फॉर्म पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन कोयला श्रमिक संघ (सीटू) बनाम मैसर्स सिक्योरिटी सर्वेयर और चोटिया माइंस बाल्को के सीलिंग यार्ड प्राइवेट लिमिटेड के बीच पर हस्ताक्षर किए गए और छटनी क्षतिपूर्ति एवं अन्य बकाया राशि के लिए 18 श्रमिकों को 5,76,106 /– रु. का लाभ मिला।

ii. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मैसर्स सनशाइन कैटरर्स, रेलवे ठेकेदार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 86 को पिछले 6 महीने से खानपान का काम नहीं दे रहा है और यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदार उनका शोषण कर रहा है और श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। नियोक्ता ने पहले ही अनुबंध छोड़ने का मन बना लिया था। विवाद को आईडी एक्ट के तहत लिया गया और सुलह 23–07–2021, 26–07–2021 और अंत में 11–08–2021 को हुई। उप सीएलसी (केंद्रीय), रायपुर द्वारा प्रभावी सुलह के कारण समस्या का समाधान हो गया और तदनुसार नियोक्ता प्रतिनिधि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर 86 श्रमिकों को खानपान का कार्य देने के लिए सहमत हो गया । समझौता ज्ञापन 11–08–2021 पर हस्ताक्षर हुए और इसके कार्यान्वयन से **86 श्रमिकों को जिनकों बहाल किया गया/वापस लिया गया तथा मैसर्स सनशाइन कैटरर्स रेलवे ठेकेदारों के साथ उनका काम फिर से शुरू हुआ।**

iii. श्रमिकों के एक समूह ने आरोप लगाया कि उन्होंने ओटी का बकाया, राष्ट्रीय अवकाश वेतन, और 16 श्रमिकों को पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं किया है। मामले को सुलह में लिया गया और पार्टियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करके और सीओ द्वारा किए गए सुलह के प्रयासों से वे हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। समझौता ज्ञापन से ओटी के बकाया का भुगतान, अवकाश तथा श्री चित्रकांत को पूर्ण एवं अंतिम भुगतान साहू एवं अन्य के विरुद्ध मैसर्स ललन कंस्ट्रक्शन, एनटीपीसी सीपत, बिलासपुर को 3,20,000 /– रु. का लाभ हुआ।

iv. यूनियन ने आरोप लगाया कि ठेकेदार मैसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 327 श्रमिकों को 8 दिन की

मजदूरी और छंटनी मुआवजे का भुगतान नहीं किया , हालांकि अनुबंध के उल्लंघन के कारण एसईसीएल के प्रबंधन द्वारा अनुबंध रोक दिया गया था।

मामले को सुलह में बदल दिया गया और लंबी चर्चा के बाद नियोक्ता 327 श्रमिकों को अनुग्रह राशि के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया। कोयला श्रमिकों संघ बनाम मैसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड, एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के ठेकेदार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस से कुल 327 श्रमिकों को निम्नलिखित से लाभ प्राप्त हुएः–

क. 8 दिन की मजदूरी अर्थात् 15,46,183 / – रु .

ख. छंटनी मुआवजा 89,44,906 / – रु .

ग. अनुग्रह राशि 3,14,894 / – रू .

घ. कुल राशि 1,08,05,983 / – रु .

V. मैसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र राजनांदगांव जिले के टिब्बू बोरिया में स्थित यूनियन ऑफ प्राइवेट माइन्स (लौह अयस्क) द्वारा एक विवाद उठाया गया था ।

मामला सुलह में पकड़ लिया गया और 24–08–2021, 03–09–2021, 30–09–2021,06–10–2021 और 07–12–2021 को आयोजित सुलह द्वारा फॉर्म एच में समझौता किया गया था, लेकिन तीसरी पार्टी यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय ग्राम समिति जो स्थानीय ग्रामीणों को नौकरी दिलाने में हस्तक्षेप करती है के हस्तक्षेप के कारण उसे लागू करना मुश्किल था। तथा खदान नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित होने के कारण और सुलह अधिकारी द्वारा किए गए सुलह प्रयासों के माध्यम से कुल 173 श्रमिकों को नौकरी पर वापस ले जाया गया। मैसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड बनाम श्री महेंद्र कुमार साहू और अन्य बनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । और कुल 173 कर्मचारियों की बहाली की गई।

7. अल्ट्राटेक सीमेंट, बैकुंठ में वेतन बंदोबस्त को लेकर यूनियन ने आई डी को उठाया

संघ की मांग को देखते हुए इस मामले पर नियोक्ता और संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई और लंबी चर्चा के बाद यूनियन छत्तीसगढ़ सीमेंट और खदान द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कल्याणकारी श्रमिक संघ और अल्ट्राटेक सीमेंट बैकुंठ यूनिट, जिला – बलौदाबाजार के प्रबंधन को **कुल रु. 374 श्रमिकों को वेतन बंदोबस्त के लिए 259.82 लाख लाभान्वित किया गया।**

देहरादून

ii. ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और नोएडा में मान्यता प्राप्त यूनियनों की समन्वय समिति के बीच ऑयल इंडिया लिमिटेड के यूनियन कर्मचारियों के लिए मजदूरी पर दीर्घकालिक निपटान के लिए दिनांक 01.01.2017 से आरएलसी (केंद्रीय) नोएडा से पहले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। संघबद्ध कर्मचारियों के वेतन को नियंत्रित करने वाले वेतन पर दीर्घकालिक समझौता प्रभावी था । 01.01.2017 और तदनुसार, 10.02.2021 को आरएलसी (केंद्रीय) नोएडा के समक्ष एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था क्योंकि 10.02.2011 को पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध था। समझौता उन सभी नियमित संघीकृत श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है जो 31.12.2016 को कंपनी के रोल में थे और मूल वेतन दोनों पक्षों के लिए लागू फिटमेंट फॉर्मूला के अनुसार तय किया जाएगा।

16. जनवरी से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन के माध्यम से ई–श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का पंजीकरणः

3.125 माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 31 अगस्त 2021 को "100 दिवसीय योजना" की समीक्षा के दौरान असंगठित श्रमिकों के ई– श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएलसी (कें.) संगठन के फील्ड अधिकारियों ने असंगठित कामगारों, जिनमें विकलांग व्यक्ति, ट्रांसजेंडर आदि शामिल हैं, के लिए पंजीकरण अभियान / जागरूकता शिविर आयोजित किए। इसके अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में शिविर। सीएलसी (कें.) संगठन के इन प्रयासों से 3,21,95,333 असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी आई।

मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन का विजन

विजन 2030:

औद्योगिक विवादों का समय पर और अर्थपूर्ण समाधान और शिकायतों का निपटारा कर सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना।

I. चूककर्ता और उल्लंघन पर निरन्तर नजर रखना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।

	सात साल की रणनीति		तीन-वर्षीय कार्य योजना
1.	औद्योगिक विवादों का निपटारा 30 दिन में नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के साथ निरंतर जुड़ाव। स्थापना स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना।	1.	निम्नलिखित के द्वारा 40 दिनों में औद्योगिक विवादों का समाधान नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के साथ निरंतर जुड़ाव। स्थापना स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
2.	निम्नलिखित के द्वारा 10 श्रम कानूनों के संबंध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना	2.	निम्नलिखित के द्वारा 10 श्रम कानूनों के संबंध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना
(i)	आईटी-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से डिफ़ॉल्ट और उल्लंघनों की रीयल टाइम ट्रैकिंग।	(i)	क्षेत्र स्तर की खुफिया और आईटी-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से डिफ़ॉल्ट और उल्लंघन की निरंतर ट्रैकिंग।
(ii)	2-3 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करना ।	(ii)	7 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करना ।
3.	मेगावाट अधिनियम, पीडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के तहत दावो के आवेदनों का 2 महीने के भीतर निपटान	3.	मेगावाट अधिनियम, पीडब्ल्यू अधिनियम और ईआर अधिनियम के तहत दावा आवेदनों का 3 महीने के भीतर निपटान
(i)	दावों को ऑनलाइन भरना।	(i)	दावों को ऑनलाइन भरना।
(ii)	ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर निपटान।	(ii)	के आधार पर निपटान
		(iii)	उपलब्ध रिकॉर्ड।
4.	निम्नलिखित के द्वारा 2 माह के भीतर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत आदेश पारित करना	4.	निम्नलिखित के द्वारा 3 माह के भीतर भुगतान अधिनियम के तहत आदेश पारित करना
(i)	दावों को ऑनलाइन भरना।		दावों को ऑनलाइन भरना।
(ii)	ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर निपटान।		उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निस्तारण।
5.	20 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत अपीलों का निपटान ।	5.	30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत अपीलों का निपटान ।
6.	3 दिनों के भीतर सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकरण/लाइसेंस जारी करना ।	6.	5 दिनों के भीतर सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकरण/लाइसेंस जारी करना ।
7.	15 दिनों के भीतर सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत अपीलों का निपटान ।	7.	30 दिनों के भीतर सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत अपीलों का निपटान ।

औद्योगिक संबंधों की निगरानी

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2–ए और 2 (ट) के तहत औद्योगिक विवाद के लिए समाधान पोर्टल। (https://samadhan.labour.gov.in)

3.126 श्रम और रोजगार मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी हमेशा श्रमिकों के हितों की रक्षा, संरक्षण और उत्थान की रही है । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2–ए और 2 (ट) के तहत परिभाषित औद्योगिक विवादों (आईडी) की जांच और निपटान के लिए प्रावधान करना है। उपयुक्त सरकार के सुलह अधिकारी द्वारा मध्यस्थता का तरीके को आईडी अधिनियम, 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में समाहित कर दिया गया है जिसे अभी लागू किया जाना है।

3.127 डिजिटलीकरण के वर्तमान परिदृश्य में, मंत्रालय ने एक बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से एक कामगार द्वारा विवाद दर्ज करने के लिए एक ई–विवाद पोर्टल अर्थात समाधान (निगरानी और निपटान के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, पकड़े गए/मौजूदा औद्योगिक विवादों से निपटने के लिए) विकसित किया है। जिससे विवाद दर्ज करना आसान हो गया।

3.128 समाधान, वेब पोर्टल, सचिव (श्रम और रोजगार) द्वारा 6 फरवरी, 2019 को 5 पायलट क्षेत्रों यानी अजमेर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दिल्ली और रायपुर में और मई 2019 में छठे क्षेत्र यानी जबलपुर में लॉन्च किया गया था। तत्पश्चात समस्त कर्मकारों को समय पर न्याय दिलाने के क्रम में में, 17 सितंबर, 2020 को पैन इंडिया के आधार पर पोर्टल लॉन्च किया गया था।

3.129 इस पहल ने औद्योगिक विवादों को बहुत ही सरल, उपयोगी और पारदर्शी तरीके से बिना किसी परेशानी के और समय पर निपटाने के परिणामस्वरूप औद्योगिक संबंधों के एक नए युग की शुरुआत की है, जो एक सरल, मानकीकृत और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो निगरानी में तेज़ और आसान है। औद्योगिक विवाद क़ानून के शासन में प्रतिमान परिवर्तन उद्योग में शांतिपूर्ण कार्य संस्कृति के रखरखाव को सुनिश्चित करता है ताकि औद्योगिक विकास प्रभावित न हो और कर्मचारी के अधिकार सुरक्षित रहें।

3.130 आज तक, कुल 18,400 उपयोगकर्ता आईडी हैं जिनमें से 16,110 व्यक्तिगत उपयोगकर्ता हैं और 2290 ट्रेड यूनियन उपयोगकर्ता हैं। पोर्टल के शुभारंभ के बाद से, पोर्टल के माध्यम से कुल 9382 मामले उठाए गए हैं जिनमें से 6751 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

3.131 मंत्रालय में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा एमआईएस की नियमित निगरानी और विश्लेषण किया जाता है, जिसके लिए सुलह अधिकारियों से साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट मांगी जाती है। पोर्टल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

3.132 समाधान पोर्टल का उद्देश्य

1. यह ऑनलाइन पोर्टल, श्रमिकों के अनुकूल, विवाद दर्ज करने के लिए समझने में आसान है। इसे इस तरह से पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है कि इसकी स्थिति सभी हितधारकों को हर समय दिखाई देगी। इसके अलावा, पोर्टल जवाबदेही सुनिश्चित करता है जो प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और कुशल बनाता है।

2. यह पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है जो सरकार के शासन पर श्रमिकों द्वारा समय पर न्याय और विश्वास सुनिश्चित करता है।

3. पीड़ित कर्मचारी बिना किसी सहायता के अपने मामले को स्वतंत्र रूप से स्वयं संभाल सकता है।

4. धारा 2 – ए के तहत आने वाले मामलों को सुलह अधिकारी के समक्ष 45 दिनों की समाप्ति के बाद सीधे सीजीआईटी को भेजा जाता है जो निवारण के लिए मैन्युअल आवेदन में लगने वाले समय को कम कर देगा ।

5. सिस्टम संबंधित सुलह अधिकारियों को विवादों के स्वतः वितरण को सक्षम बनाता है और विवाद निवारण को तेज करता है।

6. एक एकीकृत पोर्टल होने के नाते, श्रमिकों, सुलह अधिकारियों, सीजीआईटी और सरकार के पास विश्लेषण के लिए दस्तावेजों तक पहुंच है और दस्तावेज के लापता

और बार–बार प्रस्तुत करने से दूर है जिससे संचार में अंतर कम हो जाता है।

7. यह आँकड़ों सहित मामलों की फाइलों, निपटाए गए, लंबित, कार्यान्वित, की स्थिति के बारे में एक विहंगम दृश्य देता है और इस प्रकार यह निगरानी प्रणाली को मजबूत करेगा।

औद्योगिक संबंधों की निगरानी

3.133 श्रम ब्यूरो से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हड़तालों/तालाबंदी की संख्या और स्थानिक फैलाव, शामिल श्रमिकों की संख्या और श्रम दिवसों की हानि , छंटनी की रिपोर्ट करने वाली इकाइयों की संख्या और छंटनी की सीमा के आधार पर, मंत्रालय देश में प्रचलित औद्योगिक सद्भाव की निगरानी करता है।

3.134 2017–2021 की अवधि के दौरान हुई हड़तालों और तालाबंदी और मानव–दिवसों की कुल संख्या इस प्रकार है:

2017–2021 (पी) के दौरान हड़तालों और तालाबंदी और मानव–दिवसों की हानि की संख्या

वर्ष	हड़तालों	तालाबंदी	कुल	मानव दिव खो गया स
2017	87	25	112	5,233,46
2018 (पी)	69	17	86	3,149,55
2019 (पी)	95	10	105	2,782,546
2020 (पी)	56	5	61	1,353,717
2021 (पी) (जनवरी से नवंबर)	15	2	17	550,994

स्रोतः औद्योगिक विवादों पर डेटा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के श्रम विभागों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से हर महीने प्राप्त रिटर्न पर आधारित है।

अनंतिम तथा 31 दिसंबर, 2021 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणियों/स्पष्टीकरणों पर आधारित ।

3.135 हड़तालों और तालाबंदी और फलस्वरूप प्रभावित श्रमिकों की संख्या का स्थानिक/उद्योग–वार फैलाव एक समान नहीं है। मानव–दिवस की हानि औद्योगिक उत्पादन पर औद्योगिक अशांति के प्रभाव का प्रत्यक्ष माप है ।

3.136 अधिकांश औद्योगिक अशांति, जैसा कि हड़तालों और तालाबंदी से संकेत मिलता है, मुख्य रूप से अनुशासनहीनता और हिंसा, वेतन और भत्ते और कार्मिक मामलों से संबंधित मुद्दों के कारण होती हैं।

समापन

3.137 2017–2021 के दौरान प्रभावित इकाइयों और श्रमिकों (केंद्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में) को बंद करना।

वर्ष	बंद होने से प्रभावित इकाइयों की संख्या	प्रभावित श्रमिकों की संख्या
2017	22	2740
2018 (पी)	12	2143
2019 (पी)	6	1631
2020 (पी)	15	1753
2021 (पी) (जनवरी से नवंबर)	2	193

स्रोतः औद्योगिक विवादों पर डेटा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के श्रम विभागों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से हर महीने प्राप्त रिटर्न पर आधारित है।

अनंतिम तथा 31 दिसंबर, 2021 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणियों/स्पष्टीकरणों पर आधारित।

3.138 वित्तीय तंगी, कच्चे माल की कमी, प्रदूषण का सवाल और अन्य कारण इस अवधि के दौरान बंद होने के मुख्य कारण हैं।

लै–ऑफ

3.139 ले–ऑफ को किसी ऐसे कर्मचारी को रोजगार

देने में विफलता, इनकार या अक्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका नाम उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान के मस्टर रोल पर है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है। आपूर्ति पक्ष की अड़चनें जैसे बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी, वित्तीय तंगी और अन्य के साथ–साथ उत्पादों की मांग में मौसमी गिरावट के परिणामस्वरूप छंटनी हो सकती है।

3.140 2017–2021 के दौरान छंटनी करने वाली इकाइयों की संख्या और इस तरह की छंटनी के कारण प्रभावित श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार थी:

3.141 2017 – 2021 के दौरान प्रभावित छंटनी और कर्मचारी (केंद्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में)

वर्ष	लेज़ नापसंद	श्रमिक प्रभावित
2017	40	6274
2018 (पी)	31	6561
2019 (पी)	43	6443
2020 (पी)	38	6140
2021 (पी) (जनवरी से नवंबर)	5	773

स्रोत: औद्योगिक विवादों पर डेटा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के श्रम विभागों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से हर महीने प्राप्त रिटर्न पर आधारित है।

(पी) अनंतिम तथा 31 दिसंबर, 2021 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणियों/स्पष्टीकरणों पर आधारित ।

छंटनी

3.142 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय टबी में निहित प्रावधानों के अनुसार, 100 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने, छंटनी या ले–ऑफ करने से पहले निर्धारित आवेदन पत्र में उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों से ऐसे बंदों/छंटनी/छंटनी के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। इन आवेदनों की जांच की जाती है और प्रबंधन और कर्मचारियों दोनों को प्रबंधन की प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करने के लिए सुनवाई की जाती है। पार्टियों द्वारा किए गए मौखिक और लिखित प्रस्तुतीकरण के आधार पर, और प्रबंधन के आवेदन की तर्कसंगतता / वास्तविकता पर विचार करते हुए, बंद करने, छंटनी या ले–ऑफ की अनुमति देने/अनुमति देने का निर्णय लिया जाता है। जब भी अनुमति दी जाती है, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि जहां तक संभव हो श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए ।

3.143 2017–2021 की अवधि के दौरान छंटनी करने वाली इकाइयों और उसमें छंटनी करने वाले श्रमिकों की संख्या इस प्रकार है:

2017–2021 के दौरान प्रभावित छंटनी और श्रमिक (केंद्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में)

वर्ष	छटनी	प्रभावित श्रमिक
2017	4	87
2018 (पी)	9	116
2019 (पी)	2	98
2020 (पी)	1 1	481
2021 (पी) (जनवरी से नवंबर तक)	--	--

स्रोत: औद्योगिक विवादों पर डेटा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के श्रम विभागों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से हर महीने प्राप्त रिटर्न पर आधारित है।

–– उपलब्ध नहीं है

अनंतिम तथा 31 दिसंबर, 2021 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणियों/स्पष्टीकरणों पर आधारित।

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

3.144 ट्रेड यूनियन अधिनियम , 1926 एक केंद्रीय अधिनियम है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित है। यह अधिनियम श्रमिकों के ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण का प्रावधान करता है और कुछ मामलों में, यह पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से संबंधित कानून को परिभाषित करता है।

3.145 ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 को अंतिम बार 2001 में संशोधित किया गया था और इसे 9.1.2002 प्रभावी किया गया था । इस संशोधन का उद्देश्य ट्रेड यूनियनों के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना और ट्रेड यूनियनों की बहुलता को कम करना और आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।

3.145 ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में मिला दिया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

3.146 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान का प्रावधान करता है। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं: नियोक्ता और कामगारों के बीच मैत्री और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को बढ़ावा देना; नियोक्ताओं और नियोक्ताओं, नियोक्ताओं और कामगारों या कामगारों और कामगारों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान, अवैध हड़तालों और तालाबंदी की रोकथाम; ले–ऑफ और छंटनी के मामले में कामगारों को राहत; और सामूहिक सौदेबाजी।

3.147 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को अंतिम रूप से 2010 में संशोधित किया गया था और इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया था । 15.9.2010 पर्यवेक्षकों की वेतन सीमा को बढ़ाना, श्रमिक को श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण तक सीधी पहुंच प्रदान करना और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना।

3.148 2018 के दौरान , अधिसूचना संख्या ै6362(म) दिनांक 28.12.2018 के तहत, "रासायनिक उर्वरक उद्योग" को मद 33 के रूप में सम्मिलित करके औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था।

3.149 एक औद्योगिक विवाद के प्रसंस्करण में लगने वाले समय को कम करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 39 द्वारा प्रदत्त उपयुक्त सरकार की शक्ति को सुलह अधिकारी को सीधे धारा 2ए के तहत औद्योगिक विवादों को संदर्भित करने के लिए प्रत्यायोजित किया। उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने के बजाय न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को आईडी अधिनियम, यदि अधिसूचना संख्या ै1936(म) दिनांक 10.06.2019 के तहत सुलह की कार्यवाही के दौरान कोई समझौता नहीं किया जा सका ।

3.150 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में मिला दिया गया है ।

बागान श्रम अधिनियम, 1951

3.151 वृक्षारोपण श्रम अधिनियम , 1951 एक केंद्रीय अधिनियम है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित है। यह अधिनियम बागान मजदूरों के कल्याण का प्रावधान करता है और यह बागानों में काम करने की स्थितियों को नियंत्रित करता है। यह कानून सभी चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना और इलायची के बागानों पर लागू होता है, जो 5 हेक्टेयर या उससे अधिक के हैं, जिसमें 15 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों को अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान को किसी भी वृक्षारोपण तक विस्तारित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, भले ही वह 5 हेक्टेयर से कम का हो या उसमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 15 से कम हो। अधिनियम में कार्यालय, अस्पताल, औषधालय, वृक्षारोपण परिसर के भीतर स्कूल और क्रेच, स्वास्थ्य, कल्याण, काम के घंटे, आराम के अंतराल, बच्चों के रोजगार पर रोक आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

3.152 देश में बदलते सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन

किया, जिसे 7.6.2010 लागू किया गया था । । इन संशोधनों का उद्देश्य बागान क्षेत्र में श्रमिकों के लिए अधिनियम को अधिक कल्याणकारी बनाना है।

3.153 बागान श्रम अधिनियम, 1951 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति (वै॰) कोड 2020 में मिला दिया गया है।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

3.154 औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 एक अधिनियम है जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को औपचारिक रूप से उनके तहत रोजगार की शर्तों को पर्याप्त सटीकता के साथ परिभाषित करने और उनके द्वारा नियोजित कामगारों को रोजगार की उक्त शर्तों से अवगत कराने के लिए अधिनियमित किया गया है। उन्हें स्थायी आदेश प्रमाणित करवाना होगा जो आदर्श स्थायी आदेश के अनुरूप होना चाहिए। यह अधिनियम प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें एक सौ या अधिक कामगार कार्यरत हैं, या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे, अर्थात (i) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 2(ii) में परिभाषित औद्योगिक प्रतिष्ठान; (ii) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम); (iii) रेलवे; (iv) किसी ऐसे व्यक्ति की स्थापना, जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के स्वामी के साथ अनुबंध को पूरा करने के उद्देश्य से कामगारों को नियुक्त करता हो। उपयुक्त सरकार अधिनियम को औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अन्य वर्गों तक विस्तारित करने या जहां आवश्यक हो छूट प्रदान करने के लिए सक्षम है।

3.155 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन' की श्रेणी को औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सभी क्षेत्रों के लिए अधिसूचना संख्या जीएसआर 235 (ई) दिनांक 16.3. 2018 के तहत शामिल किया गया था।

3.156 औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में मिला दिया गया है।

बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976

3.157 सेल्स प्रमोशन (कर्मचारी) (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 एक केंद्रीय अधिनियम है जो 6.3.1976 प्रभावी हुआ। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ प्रतिष्ठानों में बिक्री संवर्धन कर्मचारियों की सेवा की कुछ शर्तों को विनियमित करना है। प्रारंभ में यह अधिनियम केवल फार्मास्युटिकल उद्योग में लगे बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए लागू था। तत्पश्चात अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया और अधिसूचना संख्या SO217(E) दिनांक 31.1.2011 के तहत अधिनियम को अतिरिक्त 10 उद्योगों पर लागू किया गया जो निम्नानुसार हैं:

i. प्रसाधन सामग्री, साबुन, घरेलू क्लीनर और कीटाणुनाशक।
ii. रेडीमेड कपड़े
iii. शीतल पेय निर्माण उद्योग
iv. बिस्कुट और मिष्ठान
v. आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाएं
vi. सहायक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स सहित ऑटोमोबाइल
vii. सर्जिकल उपकरण, कृत्रिम अंग और निदान
viii. सहायक उपकरण और पुर्जों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर
ix. बिजली के उपकरण
x. पेंट और वार्निश

3.158 अधिनियम में प्रावधान है कि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधान बिक्री संवर्धन कर्मचारियों पर लागू करें।

3.159 केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार है।

3.160 माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 8.8.2017 को बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम तैयार करने का निर्णय लिया गया। बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

3.161 बिक्री संवर्धन (कर्मचारी) (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति (ओएसएच) कोड 2020 में मिला दिया गया है।

मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961:

3.162 मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 मोटर परिवहन श्रमिकों के कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और उनके काम की शर्तों जैसे चिकित्सा सुविधाओं, कल्याण सुविधाओं, काम के घंटे, आराम की अवधि, ओवरटाइम और वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी आदि को विनियमित करना। अधिनियम को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति (OSH) कोड 2020 में मिला दिया गया है।

अध्याय-4

राष्ट्रीय श्रम पुरस्कार

4.1 श्रम मंत्रालय की ओर से डीजीफासली प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (जिसे पहले राष्ट्रीय श्रम वीर पुरस्कार कहा जाता था) और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजनाऐं सन् 1965 से क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में 1971,1978 और उसके पश्चात 2007 में सुधार किया गया। फिलहाल लागू योजनाऐं इस प्रकार हैं:

1) प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार(पीएमएसए)

4.2 प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों संगठनों के उन कामगारों (औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में यथा परिभाषित) के उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए 1985 में गठित किया गया था और जिनका कार्य निष्पादन और कार्य के प्रति समर्पण उच्च कोटि का है, जिनका उत्पादकता के क्षेत्र में अभिनव क्षमता के साथ साहसपूर्ण विशिष्ट योगदान है और साथ ही उन श्रमिकों के लिए भी है जो अपने कर्तव्य का विवेकपूर्ण निर्वहन करते समय अपने जीवन का बलिदान कर चुके हैं।

4.3 वर्ष 2004 से यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा और 500 या इससे अधिक श्रमिकों को काम पर लगाने वाली इकाई जो विनिर्माण और उत्पादन की प्रक्रिया में लगी हुई है, इन पुरस्कारों के लिए आवेदन कर सकती हैं । पुरस्कारों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है । क्रमानुसार ये पुरस्कार श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर/ वीरांगना और श्रम श्री/देवी हैं। पुरस्कार में सनद और नकद पुरस्कार– दो लाख रुपये (1 पुरस्कार), एक लाख रुपये (4 पुरस्कार), 60000 रुपये (12 पुरस्कार) और 40,000 रुपये (16 पुरस्कार) शामिल हैं।

2) विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वी आर पी)

4.4 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा क्रियान्वित एवं कामगार या कामगारों के समूहों द्वारा दिये गए अद्वितीय सुझावों के अभिज्ञान में प्रदान किए जाते है, जिनके कारण उन औद्योगिक उपक्रमों में सुरक्षा, स्वस्थ्य और परिवेश,गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार आया है जिनमें ''सुझाव योजना'' लागू है। ये पुरस्कार उन सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिनके कारण

(i) उच्च उत्पादकता

(ii) सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार

(iii) विदेशी मुद्रा की बचत (आयात प्रतिस्थापन के साथ–साथ उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा)

(iv) प्रतिष्ठान की समग्र दक्षता में सुधार हुआ हो।

4.5 पुरस्कारों को 3 वर्गों में समूहित किया गया है:

(क) 1 से 5 रैंक वाले आवेदन (5 पुरस्कार) – वर्ग "क" पुरस्कार– प्रत्येक को 75,000/– रुप्ए

(ख) 6 से 13 रैंक वाले आवेदन (8 पुरस्कार) – वर्ग "ख" पुरस्कार–प्रत्येक को 50,000/– रुप्ए

(ग) 14 से 28 रैंक वाले आवेदन (15 पुरस्कार) – वर्ग "ग" पुरस्कार – प्रत्येक को 25,000/– रुप्ए

4.6 कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन आने वाले औद्योगिक अधिष्ठानों तथा गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन तथा अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के तहत नियोक्ताओं और परमाणु ऊर्जा

विनियामक बोर्ड के अधीन संस्थानों के कामगारों के मामले में ये पुरस्कार लागू है।

3) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार

4.7 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन आने वाले औद्योगिक अधिष्ठानों तथा गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन तथा अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के तहत नियोक्ताओं और परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के अधीन संस्थानों को उनके उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

4.8 12 स्कीमों के तहत पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से एईआरबी के अंतर्गत 10 स्कीमें कारखानों/निर्माण स्थलों/ अधिष्ठापनों के लिए हैं और दो स्कीमें पत्तनों के लिए हैं। प्रत्येक पुरस्कार के तहत विजेताओं और उप–विजेताओं को शील्ड और मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रतिष्ठानों को अधिकतम श्रम घंटे के कार्य के आधार पर विभिन्न स्कीमों में बांटा जाता है ।

<u>निष्पादन वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार</u>

I. प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार

4.9 निष्पादन वर्ष 2018 के लिए प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार (पीएमएसए) केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत 69 कामगारों और 500 या अधिक कामगारों को रोजगार देने वाली निजी क्षेत्र की इकाइयों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, अभिनव क्षमताएं, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस और विवेक के प्रदर्शन के अभिज्ञान में सम्मानित किया जाना है।

4.10 इस वर्ष प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए गए हैं:

I. श्रम भूषण पुरस्कार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/– रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है

II. श्रम वीर/ श्रम वीरांगना पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति को 60,000/– रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है

III. श्रम श्री/ श्रम देवी पुरस्कार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 40,000/– रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है

4.11 वर्ष 2018 के लिए, श्रम भूषण पुरस्कारों के लिए चार (4) नामांकन, श्रम वीर/ श्रम वीरांगना पुरस्कारों के लिए बारह (12) नामांकन और श्रम श्री/ श्रम देवी पुरस्कारों के लिए सत्रह (17) नामांकनों का चयन किया गया है। जबकि इस वर्ष प्रदान किए गए श्रम पुरस्कारों की कुल संख्या तैंतीस (33) है, पुरस्कार प्राप्त करने वाले कामगारों की संख्या उनहत्तर (69) है क्योंकि कुछ पुरस्कार कामगारों और/ या कामगारों के दलों, जिनमें एक से अधिक कामगार शामिल हैं, द्वारा साझा किए गए हैं। कुल पुरस्कार विजेताओं में से उनतालीस (49) कामगार सार्वजनिक क्षेत्र से हैं, जबकि बीस (20) कामगार निजी क्षेत्र से हैं। पुरस्कार पाने वालों में आठ (8) महिला कामगार शामिल हैं। पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है:

1. **श्रम भूषण:** श्रम भूषण पुरस्कार चार (4) हैं। इसमें 1,00,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और एक 'सनद' दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2018 के लिए श्रम भूषण पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या दस (10) है।

2. **श्रम वीर/वीरांगना:** श्रम वीर/ श्रम वीरांगना पुरस्कारों की कुल संख्या बारह (12) है। इसमें 60,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और एक 'सनद' दिया जाता है। वर्ष 2018 के लिए एक (1) महिला कामगार सहित श्रम वीर/ श्रम वीरांगना पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या इक्कीस (21) है।

3. **श्रम श्री/** देवी: श्रम श्री/ श्रम देवी पुरस्कारों की कुल संख्या सत्रह (17) है। इसमें 40,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और एक 'सनद' दिया जाता है। श्रम श्री/ श्रम देवी पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या अड़तीस (38) है जिसमें सात (7) महिला कामगार शामिल हैं।

II. **विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वीआरपी):** निष्पादन वर्ष 2018 के लिए 96 पुरस्कार विजेताओं को तीन श्रेणियों क, ख और ग में कुल 28 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार विजेताओं की संख्या
1.	श्रेणी "क"	5	14
2.	श्रेणी "ख"	8	26
3.	श्रेणी "ग"	15	56
कुल		**28**	**96**

III. **राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार:** निष्पादन वर्ष 2018 के लिए कुल 80 विजेताओं और 61 उपविजेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिए जाने हैं।

अध्याय-5

मज़दूरी

5.1 भारत जैसे श्रम अधिशेष देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक समान तथा व्यापक मजदूरी नीति होना मुश्किल है। संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सामान्यतः नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच बातचीत तथा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। तथापि असंगठित क्षेत्र में, अशिक्षा के कारण और प्रभावी सौदेकारी शक्ति के अभाव में श्रमिक शोषण की आशंका रहती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

5.2 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है क्योंकि वे निरक्षरता और सौदेबाजी की शक्ति के अभाव के कारण शोषण के खतरे में हैं और नियोक्ताओं को श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य करते हैं, जैसा निश्चित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए क़ानून के तहत निर्धारित किया गया है, जिसे सामूहिक समझौते अथवा व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के अनुबंध लिंग तटस्थ हैं और इस प्रकार पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतमदरों का अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर निर्धारण/संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार "समुचित सरकारें" हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित नियोजन हैं। जब कि राज्य क्षेत्र में ऐसे नियोजनों की संख्या (संचयी) 1709 है। केन्द्र सरकार ने दिनांक 19.01.2017 से केन्द्रीय क्षेत्र में सभी कार्यक्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दर बढ़ाने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पहली बार केन्द्रीय क्षेत्र के सभी कार्य क्षेत्रों अर्थात् कृषि, गैर–कृषि, भवन निर्माण आदि के लिए न्यूनतम मजदूरी लगभग 42% तक बढ़ाई गई है।

5.3 न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ता अर्थात परिवर्ती महंगाई भत्ता, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसे वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है जो 1 अप्रैल तथा 1 अक्तूबर से प्रभावी होता है। केन्द्रीय सरकार तथा सत्ताईस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है। केन्द्रीय और राज्य, दोनों सरकारें समय–समय पर अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करती रहती हैं। दिनांक 01.10.2021 से केन्द्रीय क्षेत्र में लागू वीडीए सहित नवीनतम न्यूनतम मजदूरी की दरें **तालिका 5.1** में दी गई हैं।

तालिका 5.1

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें

				01.10.2021 की स्थिति के अनुसार
अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन (रुपये में)		
		क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1. कृषि	अकुशल	417	380	377
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	455	419	384
	कुशल/लिपिकीय	495	455	418
	अतिकुशल	547	509	455
2. पत्थर खान	**1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में*:** **(प्रति 2.831 घन मीटर या 100 घन फीट)**			
	(क) मुलायम मिट्टी	441		
	(ख) पत्थर सहित मुलायम मिट्टी	663		
	(ग) पत्थर	878		
	2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को जमा करने में:	354		
	एक पत्थर आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए:** **(प्रति ट्रक लोड 5.662 क्यूबिक मीटर या 200 क्यूबिक फीट)**			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2701		
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर	2310		
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर	1356		
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	1114		
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना*	अकुशल	654	546	437
4. पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	795	724	617
	शस्त्र सहित	864	795	724
5. लादना एवं उतारना#	अकुशल	654	546	437
6. निर्माण^	अकुशल	654	546	437
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	724	617	512
	कुशल/लिपिकीय	795	724	617
	अतिकुशल	864	795	724
7. गैर कोयला खानें$		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे	
	अकुशल	437	546	

	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	546	654
	कुशल/लिपिकीय	654	762
	अतिकुशल	762	851

* *हाथ से मल साफ करने और सूखे शौचालय का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाड़ू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन में कार्यरत कर्मचारी*

\# *लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुडस-शेडस, गोदामों, वेयर हाउस आदि और अन्य संबंधित नियोजन (iii) गोदी एवं पत्तनों में नियोजित कामगार।*

^ *निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा भवन प्रचालन जिसमें रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी संचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों में नियोजित कामगार।*

$ *जिप्समखान, बेराइट्सखान, बाक्साइटखान, मैग्नीजखान, चीनीमिट्टीखान, केनाइटखान, तांबाखान, क्लेखान, मैंग्नेसाइटखान, व्हाईटक्लेखान, पत्थरखान, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित), ओकरखान, एसबेसटसखान, फायरक्लेखान, क्रोमाइटखान, क्वार्टजाइटखान, क्वार्टजखान, सिलिकाखान, ग्रेफाइटखान, फेल्सपरखान, लेटेराइटखान, डोलोमाइटखान, रेडआक्साइडखान, वोल्फ्रेमखान, लौह-अयस्कखान, ग्रेनाइटखान, रॉकफास्फेटखान, हेमाटाइटखान, मार्बल एवं कैल्साइटखान, यूरेनियमखान, अभ्रकखान, लिग्नाइटखान, ग्रेवलखान, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में नियोजित कामगार।*

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र – "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलैक्स	
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यूए)	चैन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत मुम्बई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
नवीमुम्बई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र –"ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुद्दुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	संगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलोंग	(यूए)
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलिगुड़ी	(यूए)
भिवन्ड़ी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोची	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	तृश्शूर	(यूए)
चण्डीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बतूर	(यूए)	कोषिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार सिटी	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मेंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड़	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेडवघाला	(नगर निगम)	वृहत विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटुर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)
क्षेत्र 'ग' में वे क्षेत्र शामिल होंगे जो इस सूचि में शामिल नहीं हैं।					
नोटः यू.ए. शहरी समूह के लिए है।					

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिन्होंने परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) प्रणाली को अपनाया है/नहीं अपनाया है

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का नाम जिन्होंने	
	वीडीए अपनाया है	वीडीए नहीं अपनाया है
1	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
2	असम	गोवा
3	बिहार	हिमाचल प्रदेश
4	छत्तीसगढ	जम्मू और कश्मीर
5	गुजरात	मणिपुर
6	हरियाणा	मेघालय
7	झारखंड	मिजोरम
8	कर्नाटक	नागालैंड
9	केरल	सिक्किम
10	मध्य प्रदेश	
11	महाराष्ट्र	
12	ओडिशा	
13	पंजाब	
14	राजस्थान	
15	तमिलनाडु	
16	तेलंगाना	
17	उत्तर प्रदेश	
18	उत्तराखंड	
19	पश्चिम बंगाल	
20	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	
21	चंडीगढ़	
22	दादरा और नागर हवेली	
23	दमन और दीव	
24	दिल्ली	
25	लक्षद्वीप	
26	त्रिपुरा	
27	पुडुचेरी	

राष्ट्रीय फ्लोरस्तर की न्यूनतम मजदूरी

5.4 देश में एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी रखने के लिए तथा देश में न्यूनतम मजदूरी के अंतर को कम करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एनसीआरएल) की 1991 की सिफारिशों के आधार पर एक गैर–सांविधिक उपाय के रूप में राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी आरंभ की गई। औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी को 01.06.2017 से 160/– रुपये से बढ़ाकर 176/– रुपये प्रतिदिन कर दिया है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी)

5.5 केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं.का.आ. 898 (ई) द्वारा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) को पुनर्गठित किया है।

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड (एमडब्ल्यूएबी)

5.6 केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 29 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 527 (अ) द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड (एमडब्ल्यूएबी) को पुनर्गठित किया है।

5.7 "अनुसूची नियोजन" की परिभाषा से संबंधित अधिनियम, 1948 की धारा 2(छ) के लोप करने संबंधी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन के प्रस्ताव को वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि बोनस संदाय (संशोधित) अधिनियम, 2015 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है। विधायी कार्य विभाग ने रिट याचिकाओं के स्थगन को हटाए जाने और इनका निष्पादन होने तक प्रतिक्षा करने की राय दी है क्योंकि "अनुसूचित रोजगार" की परिभाषा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 दोनों में एक समान है।

5.8 इसी बीच दिनांक 08.08.2019 को वेतन संहिता, 2019 अधिसूचित किया गया है, जिसमें वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अनुबंध समाहित किए गए है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से संबंधित अनुबंधों के अतिरिक्त,वेतन संहिता, 2019 के अनुबंध लागू नहीं हुए हैं।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

5.9 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 उद्योग में

नियोजित कर्मकारों का चालू सिक्के या करेंसी नोट अथवा बैंक खाते में चेक या जमा राशि द्वारा मजदूरी के भुगतान में विलम्ब को विनियमित कर अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार अधिनियमित करता है।

5.10 मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017:– मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 में 16.02.2017 को संशोधन किया गया है ताकि कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान चालू सिक्के अथवा करेंसी नोट अथवा चेक द्वारा करने अथवा उनके बैंक खाते में जमा करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। यह संशोधन समुचित सरकार को भी समर्थवान बनाता है जिससे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठान को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका नियोक्ता ऐसे उद्योग अथवा अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मजदूरी का भुगतान केवल चेक द्वारा अथवा उनके बैंक खातों में मजदूरी राशि जमा करेगा।

5.11 केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों नामतः रेलवे, हवाई यातायात सेवाएं, खान और तेल क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान करने के लिए केवल चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने वाले प्रावधान 26.04.2017 को अधिसूचित किए गए हैं।

5.12 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अनुप्रयोग्यता हेतु 1982 में मजदूरी सीमा 1600/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। अधिनियम के अनुप्रयोग्यता के लिए दिनांक 29.08.2017 प्रतिमाह मजदूरी सीमा से 18000/रुपये– से बढ़ाकर 24000/– रुपये कर दी है।

मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009

5.13 महिलाओं को पुरुषों के पूर्ण समान मजदूरी के भुगतान के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेष कार्यबल की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 जून, 2009 की अधिसूचना जीएसआर संख्या 822 (अ) द्वारा मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009 अधिसूचित किए है जिसमें नामिती की प्रक्रिया को परिभाषित किया है तथा कामगारों द्वारा यथा संभव अपने परिवार के सदस्यों को ही नामित करने हेतु इसे सीमित किया है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

5.14 सरकार संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण और कुशलता को बेहतर बनाने और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। जबकि केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुरक्षित होता है जिन्हें आमतौर पर केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के रूप में नामित किया जाता है, राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

5.15 1950 और 60 के दशक में जब संगठित श्रम क्षेत्र अपने विकास की आरम्भिक अवस्था में था तब सरकार ने कुछ क्षेत्रों में मजदूरी निर्धारण के क्षेत्र में उठने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय की स्वीकृत नीतियों के अनुरूप समय–समय पर विभिन्न वेतन बोर्डों का गठन किया था। वेतन बोर्ड त्रिपक्षीय स्वरूप के होते हैं, जिनमें कामगारों, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सदस्य भाग लेते हैं और सिफारिशों को अंतिम रूप देते हैं। इस समय केवल दो वेतन बोर्ड एक श्रमजीवी पत्रकारों और दूसरा गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए सांविधिक वेतन बोर्डों के रूप में प्रचालन में हैं। अन्य सभी वेतन बोर्ड समाप्त हो गए हैं।

5.16 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 को व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच संहिता) में शामिल कर लिया गया है जो दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित कर दी गई है।

समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड

5.17 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र

कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (अधिनियम) में श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 9 और 13ग में, अन्य बातों के साथ–साथ, क्रमशः श्रमजीवी पत्रकारों समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों के गैर–पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें निर्धारित और संशोधित करने के लिए मजदूरी बोर्डों के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार मजदूरी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:

- समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;
- अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मजदूरी बोर्ड के लिए कार्यरत पत्रकारों के 3 प्रतिनिधि और धारा 13 ग के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए गैर–पत्रकार समाचार पत्र के कर्मचारियों के 3 प्रतिनिधि ;
- चार स्वतंत्र व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो होना चाहिए और उसे मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

5.18 अधिनियम में वेतन बोर्ड की आवधिकता का उल्लेख नहीं है। पूर्व में श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए विभिन्न वेतन बोर्ड समय समय पर गठित किए जाते थे जो निम्ननुसार तालिका में दिया गया है:–

क.सं.	उद्योग का नाम	वेतन बोर्ड की नियुक्ति की तारीख	तारीख जिस पर अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी	सरकार द्वारा सिफारिश को स्वीकार करने की तारीख	वेतन बोर्ड का नाम
1	2	3	4	5	6
I.	श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	02-05-1956	लागू नहीं	11-05-1957	**दिवतिया वेतन बोर्ड**
II.	(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	12-11-1963	17-07-1967	27-10-1967	**शिंदे वेतन बोर्ड**
	(ख) गैर-पत्रकार समाचार श्रमिकों के लिए वेतन बोर्ड	25-02-1964	17-07-1967	18-11-1967	
III.	(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	11-06-1975	13-08-1980	26-12-1980 और 20-07-1981	**पालकर वेतन बोर्ड**
	गैर-पत्रकार समाचार पत्र श्रमिकों के लिए वेतन बोर्ड	06-02-1976			
IV.	श्रमजीवी-पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार पत्र श्रमिकों के लिए वेतन बोर्ड	17-07-1985	30-05-1989	31-08-1989	**बछावत वेतन बोर्ड**
V.	श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार पत्र श्रमिकों के लिए वेतन बोर्ड	02-09-1994	25-07-2000	05-12-2000 और 15-12-2000	**मानिसाना वेतन बोर्ड**
VI.	श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार कार्यतर समाचार पत्र श्रमिकों के लिए वेतन बोर्ड	24-05-2007	31-12-2010	11-11-2011	**मजीठिया वेतन बोर्ड**

5.19 सरकार ने दो वेतन बोर्ड गठित किए थे – एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए, जिन्हें श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की क्रमशः धारा 9 और 13ग के अंतर्गत गठित किया गया और दिनांक 24.05.2007 के एस.ओ.सं.809 (अ) और 810 (अ) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना के माध्यम से बम्बई उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया को सामान्य अध्यक्ष नियुक्त किया। वेतन बोर्डों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31.12.2010 को प्रस्तुत कर दी है। मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें दिनांक 25.10.2011 को सरकार द्वारा जिस रूप में स्वीकृत की गई थी, वह दिनांक 11.11.2011 के एसओ सं.2532 (अ) के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई थी।

5.20 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समाचार प्रतिष्ठानों द्वारा दर्ज हुई रिट याचिकाओं द्वारा मजीठिया वेतन बोर्ड के नियम–संग्रह और सिफारिशों को चुनौती दी गई । माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिटयाचिकाओं को खारिज कर दिया और निदेश दिया है कि यथा संशोधित निर्धारित वेतन 11.11.2011 से देय होंगे जब से भारत सरकार मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचित किया अपने अतिंम निर्णय में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नियमों के अनुसार मजीठिया वेतन बोर्ड के तहत पत्रकार सहित समाचार पत्र कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के बकायों और पात्रताओं का निर्धारण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निदेश जारी किए। चूंकि सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपेक्षित है अतः इसका अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को सूचित कर दिया गया था। मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें वर्तमान में प्रचलन में है।

5.21 अधिसूचना के क्रियान्वयन का प्रबोधन करने के लिए केंद्र स्तरीय प्रबोधन समिति (सीएलएमसी) का गठन किया गया है। सीएलएमसी की संरचना को जब भी आवश्यक हो संशोधित किया जाता है और इसे मंत्रालय के दिनांक 20.09.2021 के आदेश संख्या वी–24011/1/2018–डब्ल्यूबी के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था:

(i) विशेष सचिव/अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय– अध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेतन बोर्ड अनुभाग का प्रभारी) – सदस्य

(iii) संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय–सदस्य

(iv) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)– सदस्य

(v) निदेशक/उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय– सदस्य सचिव (वेतन बोर्ड अनुभाग का प्रभारी)

5.22 समिति समय–समय पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय (नई दिल्ली) दोनों स्तरों पर बैठक करती है। समिति की पिछली बैठक दिनांक 09.07.2018 को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें देश में वेतन बोर्ड पुरस्कार के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया था। पिछली सीएलएमसी बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को तेज करने और नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। कार्यान्वयन की स्थिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त की जाती है। एक सदस्यीय प्रतिष्ठान वाले राज्यों को छोड़कर 26 राज्यों ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के राज्य स्तरीय कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी के लिए त्रिपक्षीय समिति के गठन की सूचना दी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्वयन स्थिति आदिनांक हैः 25.38% पूर्णतः क्रियान्वित, 5.61% आंशिकतः क्रियान्वित वेतन बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन में सबसे अग्रणी राज्य उत्तराखण्ड (100%), पुडुचेरी (100%), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (100%), तामिलनाडु (98.68%), राजस्थान (87.10%), आंध्र प्रदेश (82.35%) हैं।

5.23 स्टेट्समैन लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामलों में एलपीए 549/2018 और सी.एम. संख्या 39593/2018 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 05–12–2018 के आदेश के अनुपालन में विधि विभाग के साथ परामर्श में मानिसाणा वेतन बोर्ड की सिफारिशों को पुनः अधिसूचित करने की प्रक्रिया विधायी

विभाग के परामर्श से पूर्ण कर ली गई है। मानिसाणा वेतन बोर्ड की सिफारिशों को राजपत्र में दिनांक 13.10.2020 को एस.ओ.3596 (अ) के तहत अधिनियम के तहत निर्धारित सभी उचित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पुनः अधिसूचित किया गया है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

5.24 बोनस संदाय अधिनियम, 1965, 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों में लाभ अथवा उत्पादन अथवा उत्पादकता और उससे जुड़ी बातों के आधार पर, उनमें नियोजित व्यक्तियों को बोनस के भुगतान का प्रावधान करता है। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को वेतन संहिता, 2019 में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसे 08.08.2019 को अधिसूचित किया गया है।

5.25 अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योगों और प्रतिष्ठान द्वारा 8.33% की दर से न्यूनतम बोनस देय होता है। उत्पादकता से जुड़े बोनस सहित न्यूनतम बोनस जो किसी लेखाकरण–वर्ष में दिया जा सकता है, वह अधिनियम की धारा 31क के अंतर्गत किसी कर्मचारी के वेतन/मजदूरी के 20% से अधिक नहीं होगा।

5.26 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत दो अधिकतम सीमाएं उपलब्ध हैं। धारा 2 (13) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा जो अधिनियम के अंतर्गत किसी पात्र कर्मचारी को परिभाषित करती है, को सामान्यतः पात्रता सीमा के रूप में जाना जाता है। दूसरा, धारा 12 एक कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले बोनस की गणना के लिए सीमा निर्धारित करती है। दोनों सीमाओं के मूल्य वृद्धि और वेतन संरचना में वृद्धि से मेल बिठाने हेतु संशोधित किया जाता है। पिछले वर्षों में हुए दो सीमाओं का संशोधन निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	वर्ष में सुधार	योग्यता अवधि (रुपये प्रतिमाह)	गणना की उच्चतम सीमा (रुपये प्रतिमाह)
1.	1965	1,600	750
2.	1985	2,500	1,600
3.	1995	3,500	2,500
4.	2007	10,000	3,500
5.	2016 (01.04.2014 से)	21,000	7,000 प्रति माह या अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम वेतन, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा तय किया गया है, जो भी अधिक हो।

5.27 बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 जिसे 01.01.2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया और जो 01.04.2014 से प्रभावी हुआ, के अनुसार देशभर के विभिन्न प्रतिष्ठानों ने उक्त संशोधन की सांविधिक वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दाखिल की हैं। मंत्रालय का विचार है कि सभी मामले संविधान के अनुच्छेद 139क के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किए जाएं। अब तक, मंत्रालय को देश के 18 उच्च न्यायालयों में दायर 149 रिट याचिकाएं प्राप्त हुई हैं और इन सभी याचिकाओं को संविधान के अनुच्छेद 139 क के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की गई है ताकि आम निर्णय दिया जा सके।

अध्याय-6

सामाजिक सुरक्षा

6.1 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संगठित कार्य बल के एक छोटे से भाग को ही कवर करती हैं, जिन्हें ऐसे कामगारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनका किसी संगठन में सीधा नियमित नियोक्ता–कर्मचारी संबंध होता है। भारत में सामाजिक सुरक्षा विधान भारतीय संविधान में यथा–अंतर्विष्ट राज्य के निर्देशक सिद्धांतों से शक्ति तथा भावना प्राप्त करते हैं। ये केवल नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले अथवा नियोक्ता तथा कर्मचारियों के संयुक्त अंशदान के आधार पर अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्रदान करते हैं। यद्यपि, कर्मचारियों को सुरक्षात्मक हकदारी उपार्जित होती है, तथापि अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्यतः नियोक्ता पर रहती है।

सामाजिक सुरक्षा कानून

6.2 भारत में संगठित क्षेत्र के लिए अधिनियमित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून हैं :

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;
- कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (कोयला खदानों तथा असम राज्य में चाय बागानों में कार्यरत कामगारों तथा नाविकों के लिए पृथक भविष्य निधि विधान अस्तित्व में है);
- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923;
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961;
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों का प्रशासन

6.3 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों को पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नकद हितलाभ केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क.रा.बी.निगम के साथ मिलकर प्रदान की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। खदानों तथा सर्कस उद्योग में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबंध केंद्र सरकार द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के माध्यम से तथा कारखानों, बागानों व अन्य स्थापनाओं में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापनाओं, एक से अधिक राज्य में शाखाओं वाली स्थापनाओं, मुख्य बंदरगाहों, खदानों, तेल–क्षेत्रों तथा रेल कंपनियों में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 को केंद्र सरकार द्वारा तथा अन्य सभी मामलों में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह अधिनियम कारखानों तथा अन्य स्थापनाओं पर लागू होता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

6.4 व्याप्ति (कवरेज)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 दस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के उपबंध चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रवार लागू किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में एक समर्थकारी उपबंध शामिल है, जिसके अंतर्गत "समुचित सरकार" को इस अधिनियम के उपबंधों को स्थापनाओं की अन्य श्रेणियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा तक विस्तारित किए जाने की शक्ति प्रदान की गई है। इन उपबंधों के अंतर्गत उचित सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाली दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स,

पूर्वदर्शन थियेटरों सहित सिनेमागृहों, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार पत्र स्थापनाओं, शैक्षिक तथा चिकित्सा संस्थाओं, बीमा व्यवसाय में नियोजित स्थापनाओं, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों, पत्तन न्यास, विमानपत्तन प्राधिकरणों तथा भंडारण स्थापनाओं आदि तक विस्तारित किया है। अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं के वे कर्मचारी जो 21,000/– प्रतिमाह की मासिक मजदूरी आहरित कर रहे हैं तथा 25,000/– प्रतिमाह आहरित करने वाले दिव्यांग व्यक्ति योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं। क.रा.बी. योजना अब 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तारित है। दिनांक 01.12.2021 की स्थिति के अनुसार, 3.39 करोड़ बीमित व्यक्ति एवं परिवार इकाइयां तथा 13.15 करोड़ लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं।

6.5 प्रशासन

क.रा.बी. योजना एक सांविधिक निकाय अर्थात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा प्रशासित होती है, इसके सदस्यों में नियोक्ताओं, कर्मचारियों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय तथा संसद के प्रतिनिधि शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। निगम के सदस्यों में से गठित एक स्थायी समिति इस योजना के प्रशासन के लिए अधिशासी निकाय के रूप में कार्य करती है और इसकी अध्यक्षता सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार करते हैं। यहां 26 क्षेत्रीय बोर्ड और 244 स्थानीय समितियां अस्तित्व में हैं। महानिदेशक निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा वे निगम के साथ–साथ स्थायी समिति के भी पदेन सदस्य हैं। क.रा.बी.निगम का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। निगम के देशभर में 24 क्षेत्रीय कार्यालय, 39 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ प्रदान करने हेतु 593 शाखा कार्यालय 80 औषधालय–सह–शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.) हैं।

6.6 क.रा.बी. योजना का वित्तपोषण और संचालन

क.रा.बी. योजना को क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। अंशदान की दर मासिक वेतन का 4% है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान का भाग क्रमशः 3.25% और 0.75% होता है। निगम क.रा.बी. हितलाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को चिकित्सा देखभाल व्यय के लिए एकमुश्त लेखागत भुगतान करता है। वर्तमान में प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार के लिए निर्धारित सीमा 3,000/– रुपये प्रति वर्ष से अनधिक है, जिसे चिकित्सा हितलाभ क.रा.बी. निगम और राज्य सरकार के बीच 7:1 के अनुपात में साझा किया जाता है, इसे अप्रैल, 2019 से मार्च 2022 तक तीन साल की अवधि के लिए समाप्त कर दिया गया है। कुछ शर्तों के अधीन, क.रा.बी. अधिनियम की धारा 58(5) के अंतर्गत राज्यों द्वारा राज्य स्वायत्त निकाय का निर्माण शुरू किया गया है, जहां अधिकतम 100% की सीमा तक व्यय को वहन करने का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तावित है। क.रा.बी. अस्पताल और उनके रखरखाव सहित अन्य भवनों के निर्माण पर सभी पूंजीगत व्यय विशेष रूप से क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाता है।

6.7 निवेश

क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त पूरा अंशदान और निधि (फंड) से संबंधित अन्य पूरा धन, जो कि दिन–प्रतिदिन के खर्चों को चुकाने के लिए तत्काल आवश्यक नहीं हैं, क.रा.बी. (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 27 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से निवेश किया जाता है। क.रा.बी.निगम फंड का निवेश राज्य विकास ऋण (एसडीएल), सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), एएए रेटेड पीएसयू बांड्स, सावधि जमा आदि में क.रा.बी.निगम द्वारा नियुक्त पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से क.रा.बी. निगम की अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार किया जाता है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 की स्थितिनुसार, विशेष जमा खाते (एसडीए) सहित फंड का कुल निवेश 1,20,242.87 करोड़ रुपये है।

6.8 क.रा.बी. की बकाया देय राशि

व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं के नियोक्ताओं से चूक/बकाया राशि के रूप में दिनांक 31.03.21 को बकाया के रूप में 4459.69 करोड़ रुपये की राशि बकाया

है। 1943.22 करोड़ की राशि, विभिन्न कारणों जैसे कि कारखानों का परिसमापन हो जाना, बीआईएफआर/एनसीएलटी मामले, नियोक्ताओं के ठिकाने का पता न होना, न्यायालयों में विवाद आदि के कारण वसूली योग्य नहीं पाई गई । शेष राशि 2516.47 करोड़ रूपये वसूली योग्य बकाया को दर्शाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधान के अंतर्गत और चूककर्ता नियोक्ताओं से क.रा.बी. देय राशि की वसूली के लिए दंड संहिता के अंतर्गत क.रा.बी. निगम वसूली तंत्र, कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई और अभियोजन के माध्यम से आवश्यक वसूली की कार्रवाई कर रहा है।

6.8 क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना अस्पतालों की सूची सहित क.रा.बी.योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ

कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितजनों को चिकित्सा सेवा, उपचार, दवाओं और ड्रेसिंग, विशेषज्ञ परामर्श और अस्पताल में भर्ती के रूप में व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। एक बीमित व्यक्ति एवं उसके आश्रितजन बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के दिन से चिकित्सा हितलाभ पाने के हकदार हैं। बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है जिसमें रोगियों की आवश्यकता के अनुसार आउट पेशेंट देखभाल/इनपेशेंट देखभाल, विशेष चिकित्सा देखभाल और अति विशिष्ट चिकित्सा देखभाल शामिल है। इसके अलावा आयुष के तहत चिकित्सा सुविधाएं यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा भी प्रदान की जाती हैं। हितलाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल अस्पतालों, औषधालयों, डिस्पेंसरी–सह–शाखा कार्यालयों (डी.सी.बी.ओ.), विशेषज्ञ केंद्रों, बीमा चिकित्सीय व्यवसायी क्लीनिकों, संशोधित–बीमा चिकित्सा व्यवसायी और संशोधित– ईयूडी और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों सहित टाई–अप व्यवस्था सहित एक बड़े बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं में निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। क.रा.बी. अस्पतालों के माध्यम से एवं पैनल के अंतर्गत आने वाले निजी और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से इन–पेशेंट सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

6.9 चिकित्सा शिक्षा

विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए हैं। क.रा.बी. निगम द्वारा स्थापित और चलाए जा रहे संस्थान इस प्रकार हैं: –

स्नातकोत्तर संस्थानः

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 03 स्टैंडअलोन पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (पी.जी.आई.एम.एस.आर.) क.रा.बी. योजना अस्पताल, मानिकतला, कोलकाता (डब्ल्यू.बी), क.रा.बी. निगम अस्पताल बसईदारापुर, नई दिल्ली और क.रा.बी. निगम, अंधेरी (ई.) मुंबई (एम.एच.) में चलाए जा रहे हैं; ।

मानिकतला (पश्चिमी बंगाल) में स्नात्कोत्तर संस्थान में प्रवेश शैक्षणिक वर्ष 2020–21 (क.रा.बी. निगम की 178 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में) से बंद कर दिया गया है। दिनांक 17.12.2018 को हुई आगजनी की घटना के कारण अंधेरी (ई.), मुंबई में स्नात्कोत्तर संस्थान में प्रवेश वर्ष 2019–20 से रोक दिया गया है। अस्पताल के फिर से चालू होने के बाद इसे पुनः शुरू किया जाएगा।

चिकित्सा महाविद्यालयः

क.रा.बी. निगम द्वारा राजाजीनगर, बंगलोर (कर्नाटक) के.के. नगर, चेन्नई (तमिलनाडु); जोका, कोलकाता (पश्चिम बंगाल); गुलबर्गा (कर्नाटक); फरीदाबाद (हरियाणा) और सनथनगर, हैदराबाद (तेलंगाना) में 06 क.रा.बी. निगम, चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं एवं संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है।

इसके अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2021–22 से अलवर (राजस्थान) और बिहटा, पटना (बिहार) में क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) से अनुमति पत्र प्राप्त हुआ है।

दंत्य महाविद्यालयः

क.रा.बी. निगम द्वारा रोहिणी, दिल्ली (डी.सी.आई. द्वारा दी

गई मान्यता) और गुलबर्गा, कर्नाटक में 02 दंत महाविद्यालय चलाए जा रहे हैं (5वें बैच के बी.डी.एस. छात्रों (2021–22) को प्रवेश दिया जाना है)

नर्सिंग महाविद्यालय

क.रा.बी.निगम इंदिरा नगर, बेंगलुरु (कर्नाटक) और गुलबर्गा (कर्नाटक) में 02 नर्सिंग महाविद्यालयों का संचालन कर रहा है। इंदिरा नगर, बेंगलुरु स्थित क.रा.बी. निगम नर्सिंग महाविद्यालय वर्ष 2013–14 में तथा गुलबर्गा, कर्नाटक स्थित क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय वर्ष 2015–16 में प्रारंभ किया गया है।

परा–चिकित्सा संस्थानः

क.रा.बी.निगम गुलबर्गा, कर्नाटक में 01 परा–चिकित्सा संस्थान का संचालन कर रहा है। क.रा.बी.निगम परा–चिकित्सा संस्थान, गुलबर्गा, कर्नाटक में वर्ष 2019–20 में दो पाठ्यक्रम यथा डिप्लोमा इन ओटी एवं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी; तथा डिप्लोमा इन मेडिकल रिकार्ड्स टेक्नोलॉजी प्रारंभ किये गए हैं। वर्तमान में यह संस्थान परा–चिकित्सा पाठ्यक्रम के आठ विषयों का संचालन कर रहा है ।

डीएनबी पाठ्यक्रम का प्रारंभः

क.रा.बी.निगम ने उन अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम प्रारंभ किये हैं जो चिकित्सा महाविद्यालय/ स्नातकोत्तर संस्थानों के साथ सम्बद्ध नहीं हैं ताकि एमसीआई के अधीन संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के साथ कोई भेद न हो सके। तथापि डीएनबी पाठ्यक्रम क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय, सनतनगर में भी वर्ष 2019–20 से प्रारंभ किये गए हैं ।

प्रस्तावित क.रा.बी.नि. चिकित्सा महाविद्यालय– उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं का राज्य सरकारों को हस्तांतरण/एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों का प्रारंभ निगम द्वारा चिकित्सा शिक्षा के संबंध में निर्णय की समीक्षा के परिणामस्वरूप (i) कोयम्बतूर, तमिलनाडु, (ii) परिपल्ली, केरल एवं (iii) मंडी, हिमाचल प्रदेश में तत्समय प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं जिन्होंने उन स्थानों पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ कर दिया है ।

6.11 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं को प्रशासित करता है। क.भ.निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 एक कल्याणकारी विधान है जिसका प्रवर्तन कारखानों तथा अन्य स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा निक्षेप संबद्ध बीमा निधि संस्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारी तथा उनके परिवारों, को संकट में और/या पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व पूरा करने में असमर्थ होने पर और वृद्धावस्था, अपंगता, कमाने वाले की असमय मृत्यु तथा समान प्रकार की आकस्मिकताओं में संरक्षण प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

6.12 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई योजनाएं

इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएं तैयार की गई हैं :–

(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (क.भ.नि.) – (01 नवम्बर, 1952 से प्रभावी) भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना पर आधारित है, जहां कर्मचारी और नियोजक दोनों अपने हिस्से का अनिवार्य अंशदान करते हैं।

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ई.पी.एस.) – (16 नवम्बर, 1995 से प्रभावी) {कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 से परिवर्तित करते हुए} "परिभाषित अंशदान" और "परिभाषित हितलाभ" के संयोजन से पेंशन योजना तैयार होती है । कर्मचारी को इस योजना के लिए अंशदान नहीं देना होता है।

(iii) कर्मचारी जमा सहबद बीमा योजना, 1976 (ई.डी.एल. आई.) – (01 अगस्त, 1976 से प्रभावी)

बीमा योजना एक जमा सहबद्ध योजना है जो कर्मचारियों

से किसी भी अंशदान के बिना 7,00,000/– रुपये तक के हितलाभों हेतु उपबंध करता है।

दिनांक (तक)	निधि (करोड़ रूपये में)
31.03.2021	15,54,859.00
31.12.2021	16,98,543.16 (अनंतिम)
31.03.2022	17,47,258.70 (अनुमानित)

6.13 स्थापनाओं और सदस्यों की व्याप्ति

वर्तमान में, यह अधिनियम उन ईकाईयों/ स्थापनाओं की उन श्रेणियों पर लागू होता है जो अधिनियम की अनुसूची -I में विनिर्दिष्ट हैं अथवा कोई भी गतिविधि जो केंद्र सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है और 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करता है। अनिवार्य व्याप्ति हेतु उपबंध के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक व्याप्ति हेतु भी उपबंध मौजूद हैं। दिनांक 01.09.2014 से किसी कर्मचारी का व्याप्त स्थापना में कार्यग्रहण करने और 15,000/– रुपये तक की मजदूरी प्राप्त करने की स्थिति में निधि का सदस्य होना अपेक्षित है। निम्नलिखित तालिका दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक क.भ.नि.सं. एवं इसकी सेवाओं की पहुंच दर्शाती है:

i.	व्याप्त स्थापनाओं की कुल संख्या	265126
ii.	नए सा.भ.नि. सदस्यता प्राप्त (छूट प्राप्त)	380804
iii.	नए सा.भ.नि. सदस्यता प्राप्त (जो छूट प्राप्त नहीं हैं)	10349032
iv.	अंशदान करने वाले कुल सदस्य	58772120
v.	अंशदान करने वाली कुल स्थापनाएं	658690
vi.	कुल निस्तारित दावे	39041672

6.14 अधिनियम के अंतर्गत संचयी निधि

सा.भ.नि.सं. द्वारा तीनों योजनाओं– क.भ.नि., क.पे.यो. एवं क.ज.लिं.यो. के अंतर्गत प्रबंधित निधि से संबंधित आंकड़े जो छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों द्वारा प्रबंधित निधि को छोड़कर हैं, निम्नानुसार हैं –

6.15 ब्याज की दर

वर्ष 2020–21 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि पर घोषित ब्याज की दर 8.50% (वर्तमान मासिक शेष पर) थी ।

6.16 कर्मचारी पेंशन योजना 1995

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ई.पी.एस.) (16 नवम्बर, 1995 से प्रभावी) {कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को परिवर्तित करते हुए} "परिभाषित अंशदान" और "परिभाषित हितलाभ" के संयोजन से पेंशन योजना बनती है। कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 (ई.डी.एल. आई.) (01 अगस्त, 1976 से प्रभावी), एक निक्षेप सहबद्ध योजना है जो कर्मचारियों से बिना अंशदान के 7,00,000/– रुपये तक का हितलाभ का उपबंध करता है।

6.17 यह योजना नियोक्ता के हिस्से के भविष्य निधि अंशदान का 8.33% तथा केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी के मूल मजदूरी के 1.16% की दर के अंशदान अंतरण द्वारा वित्त पोषित होती है। कर्मचारी परिवार पेंशन निधि के बंद खाते की संचयित रकम ही पेंशन निधि होती है ।

6.18 पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ

कर्मचारी पेंशन योजना 1995, सदस्यों तथा उनके परिजनों को निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध कराती है :–

- मासिक सदस्य पेंशन
- निःशक्तता पेंशन
- विधवा/विधुर पेंशन
- संतान पेंशन
- अनाथ पेंशन
- दिव्यांग संतान/अनाथ पेंशन
- नामिति पेंशन

- आश्रित माता–पिता पेंशन
- आहरण हितलाभ

6.19 वर्ष 2021–22 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निपटाए गए पेंशन दावों '' (सभी हितलाभों) का वर्ग–वार ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:–

दावों का वर्ग	01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान निपटान किए गए दावों की संख्या	जनवरी- मार्च 2022 अवधि के लिए आकलन
* मासिक पेंशन हितलाभ	3.42 लाख	0.86 लाख
मासिक पेंशन के अलावा **	42.46 लाख	10.62 लाख
कुल	45.88 लाख	11.48 लाख

फॉम *10* डी का निपटान किया गया

****योजना प्रमाणपत्र सहित *10*सी दावों का निपटान किया गया**

6.20 पेंशनभोगी

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) ने अपने आरंभ से लेकर अब तक हितलाभार्थियों के मामले में तीव्र गति से प्रगति की है। पिछले पांच वर्षों में योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले पेंशनभोगियों के मामले की समग्र वृद्धि–दर में 5% – 10% से भी अधिक की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि सारणी तथा ग्राफ में नीचे दी गई है:

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पेंशन का वितरण							
वर्ष	सदस्य पेंशन	विवाहिती पेंशन	संतान पेंशन	नामिति पेंशन	माता-पिता पेंशन	अनाथ पेंशन	कुल पेंशनभोगी
2017-18	4211685	1431613	556510	10562	41740	21080	6273190
2018-19	4325413	1477583	573580	10538	43264	21368	6451746
2019-20	4477710	1565361	562352	10424	46922	19948	6682717
2020-21	4627733	1657184	555785	10402	49791	18928	6919823
01.01.2021 से 31.12.2021	4749585	1756464	567281	10362	53009	18402	7155103
जनवरी- मार्च 2022 के लिए प्रेक्षण	1187396	439116	141820	2591	13252	4601	1788776

6.21 पेंशनभोगियों में, कुल सदस्य पेंशन भोगियों की संख्या का लगभग 66% विवाहिती पेंशन और कुल पेंशनभोगियों की संख्या का लगभग 33% संतान पेंशन है।

6.22 वर्ष 2021–2022 में पेंशनभोगियों का वितरण नीचे दिए गए आंकड़ों दर्शाया गया है: –

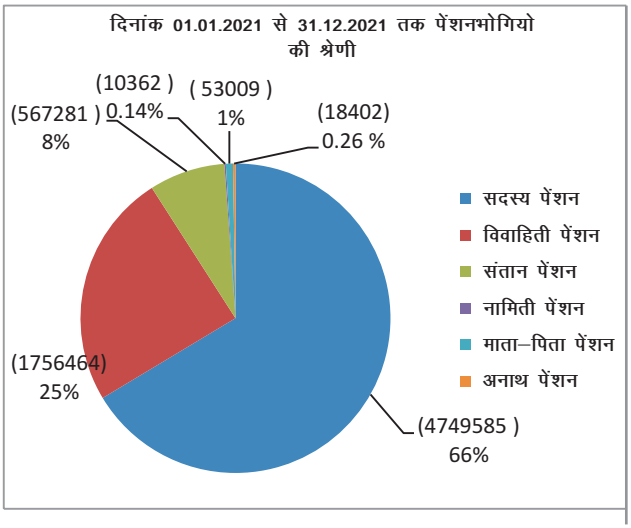

6.23 कर्मचारी पेंशन योजना निधि प्राप्तियॉ, भुगतान और कोष

पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि के साथ पेंशन के रूप में संवितरित राशि में भी पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। हालांकि, निधि के मूल्यांकन में प्रक्षेपित बीमांकिक घाटा होने के बावजूद भी इस निधि में अब तक नकदी प्रवाह की कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। पिछले पांच वर्षों में कर्मचारी पेंशन योजना से संबंधित खर्च का विवरण इस प्रकार है:

कर्मचारी पेंशन योजना भुगतान(करोड़रू में)			
वर्ष	पेंशन का संवितरण	आहरण लाभ	कुल
2017-2018	9,613.59	6,983.45	16,597.04
2018-2019	11,207.34	7,636.41	18,843.75
2019-2020	11,320.89	6,796.62	18,117.51
2020-2021	12,172.56	8,206.41	20,378.97
01.01.2021 से 31.12.2021	12,759.26	8,661.16	21,420.42
जनवरी-मार्च 2022 के लिए आकलन	3189.82	2165.29	5355.11

कर्मचारी पेंशन योजना भुगतान (करोड़ रू में)

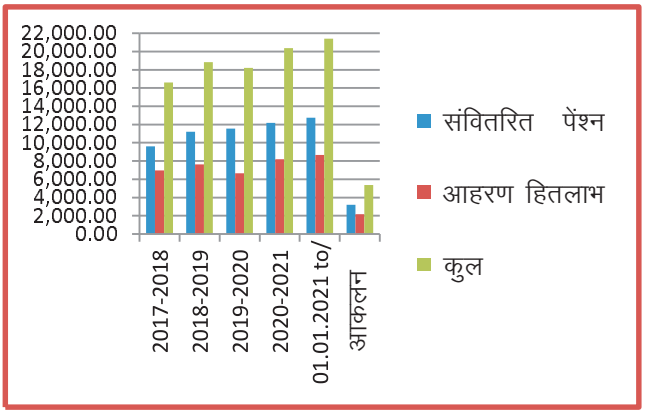

6.24 :–पेंशन तथा आहरण हितलाभ भुगतानों में वृद्धि के साथ ही सदस्यता एवं मजदूरी में हुई सामान्य वृद्धि के कारण इसकी आवतियों और कोषों में निरंतर वृद्धि हुई है. पिछलों पांच वर्षों में आवतियों और कोषों में वृद्धि को नीचे तालिका और ग्राफ में दर्शाया गया है –

पेंशन निधि आवतियों और कोष (करोड़ रु में)					
वर्ष	अंशदान (नियोक्ता का अंश)	अंशदान (सरकार का अंश)	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान	ब्याज	वित्तीय वर्ष के अंत में कोष
2016-17	32,108.65	4,284.80	36,393.45	25,381.19	3,18,412.38
2017-18	36,618.23	5,757.42	42,375.65	30,260.66	3,93,604.40
2018-19	40,259.74	6,401.90	46,661.64	32,982.68	4,37,762.54
2019-20	44,448.55	7,504.59	51,953.14	39,042.05	5,30,846.39
2020-21	44,009.53	6,552.48	50,562.01	35,773.36	5,93,546.52

**अलेखा–परीक्षित

6.25:– कर्मचारी पेंशन योजना के संचित कोष में सतत वृद्धि हुई है और वर्ष 2016–17 के कोष में लगभग 86. 41% तक की वृद्धि हो गयी है.

6.26:– **न्यूनतम पेंशन का प्रावधान लागू करना**

वर्ष 2014–15 के दौरान लम्बे समय से प्रतीक्षित मांगों में से एक न्यूनतम पेंशन की मांग को प्रभावी बनाया गया था। केंद्र सरकार ने दिनांक 19.08.2014 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 593(ई) जारी की जिसमें सदस्य /विधवा/ (विदुर)/दिव्यांग/नामिती/पेंशनभोगी आश्रित माता–पिता के लिए रु० 1000/– प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन, अनाथ पेंशन भोगियों को रु० 750/– प्रतिमाह एवं संतान पेंशन भोगियों को रु० 250/– प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।

संशोधित न्यूनतम लागू पेंशन का भुगतान सितम्बर, 2014 से प्रारंभ हो चुका है. इससे प्रभावित पेंशन भोगियों एवं पिछले पांच वर्षों में उनको वितरित (भुगतान) की गयी राशि के विवरण इस प्रकार हैं –

वर्ष	लाभान्वित पेंशन भोगियों की संख्या	वास्तविक पेंशन के अनुसार भुगतान की गयी राशि (करोड़ रु० में)	न्यूनतम पेंशन की अधिसूचना के अनुसार भुगतान की गयी राशि (करोड़ रु० में)	अंतर राशि (करोड़ रु० में)
2016-17	18,34,624	1333.63	2146.6	813.0
2017-18	17,21,904	1,342.47	2,177.30	834.83
2018-19	20,03,143	1,433.64	2,354.07	920.43

2019-20	19,82,612	1,403.97	2,311.83	907.86
2020-21	19,70,670	1415.03	2315.70	900.67
01.01.2021 to 31.12.2021	**20,95,013**	**1430.84**	**2357.55**	**926.71**
जनवरी-मार्च 2022 के लिए अनुमान	**5,23,753**	**357.71**	**589.39**	**231.68**

6.27:– न्यूनतम पेंशन अधिसूचना लागू होने के उपरांत सभी सदस्य/विधवा/(विदुर)/दिव्यांग/नामिती/ पेंशनभोगी आश्रित माता–पिता, जिनका मूल पेंशन रु० 1000/–प्रतिमाह से कम था, उनका पेंशन रु० 1000/–प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। विनियम, पूंजी की वापसी तथा लघु सेवाओं जैसे दावों के लिए सदस्यों द्वारा आहरित हितलाभों पर कटौती रु० 1000/– प्रतिमाह के न्यूनतम पेंशन पर लागू होंगे। न्यूनतम पेंशन अधिसूचना लागू होने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना,1995 का निर्धारण योजना के प्रावधानों तथा न्यूनतम पेंशन अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त लागू संशोधन के अनुसार किया गया है। विनियम, पूंजी की वापसी आदि की कटौती के बिना 1000/– रु० प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की स्वीकृति वैसे सदस्य/ पेंशन भोगी, के लिए अपर्याप्त तथा अनुचित होगी जिन्होंने दावे के समय इन हितलाभों का लाभ नहीं लिया था तथा बिना किसी वैकल्पिक हितलाभ के केवल मूल पेंशन हेतु विकल्प दिया था।

6.28:– **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का बीमांकक मूल्यांकन**:– कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 परिभाषित अंशदान की संयुक्त विशेषताओं सहित एक वित्तपोषित योजना है। तदनुसार यह योजना भुगतान योग्य अंशदान के साथ स्वीकार्य हितलाभों की दर को भी निर्धारित करती है। कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के पैरा संख्या 32 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गए मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से कर्मचारी पेंशन निधि के वार्षिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा वर्ष 2017–18 की क्रमशः 22 वीं एवं 23 वीं मूल्यांकन रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत किये जाने की संभावना है। पेंशन निधि के लिए वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए क्रमशः 24 वें एवं 25 वें मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।

6.29:– **पेंशन का संवितरण** :– वर्तमान में पेंशन का वितरण, पेंशन संवितरण बैंकों की कोर बैंकिंग प्लेटफार्म (सीबीएस) के माध्यम से किया जा रहा है। पेंशन भोगियों के खाते में माह के प्रथम कार्यदिवस को पेंशन जमा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र कार्यालय को अनुदेश जारी किये गए हैं ।

6.30:– मासिक पेंशन हितलाभ का संवितरण उन बैंकों के शाखा तंत्र के माध्यम से किया जाता है जिनसे करार किया जा चुका है। क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों के साथ करार किया है। सम्पूर्ण भारत में पेंशन एवं अन्य हितलाभों का संवितरण करने के लिए केन्द्रीय पेंशन संवितरण की व्यवस्था हेतु एच.डी.एफ सी बैंक, आई.सी.आई.सी आई बैंक, एक्सिस बैंक एवं डाकघरों के साथ भी करार किया गया है।

6.31 कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976

कर्मचारी जमा बीमा योजना 1 अगस्त, 1976 से शुरू की गयी . यह योजना नियोजक के नाम मात्र के 0.5% अंशदान से चलती है. इस योजना के लाभ के लिए कर्मचारियों से कोई भी अंशदान देय नहीं है। केवल 0. 005% का प्रशासनिक प्रभार नियोजकों द्वारा देय था परन्तु दिनांक 01.06.2018 से इसे भी बंद कर दिया गया है। तथापि, अगर स्थापना को कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत छुट प्रदान किया गया है तो, 0.005% की दर से निरीक्षण शुल्क देय है।

6.32 अनुप्रयोग एवं व्याप्ति

यह योजना उन सभी कारखाना/प्रतिष्ठान पर लागू है जिनपर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 लागू है। वे सभी कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के भी सदस्य हैं ।

6.33 योजना के तहत हितलाभ

किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो उसकी मृत्यु के

समय इस योजना का सदस्य था, निम्नलिखित हितलाभ प्रदान किए जाते हैं: –

i. यदि सदस्य ने 12 महीने से कम की सेवा प्रदान की है। परिवार को पिछले 12 महीनों के दौरान पीएफ खाते में औसत शेष राशि के बराबर राशि मिलेगी; इसके सिवाय जहां औसत शेष पचास हजार रुपये से अधिक है, वहां देय राशि पचास हजार रुपये और पचास हजार रुपये से अधिक की राशि का 40% होगी, जो कि 1 लाख रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन होगी।

ii. यदि मृत्यु 15.02.2018 से 27.04.2021 के बीच होती है, जहां मृतक सदस्य उसी प्रतिष्ठान में नियोजित था (जिस महीने उसकी मृत्यु हुई, उससे पूर्ववर्ती बारह महीने की निरंतर अवधि तक) तो लाभ की मात्रा, जिस महीने उसकी मृत्यु हुई, उससे पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान आहरित औसत मासिक मजदूरी (अधिकतम 15,000/– रुपये के अध्यधीन) का तीस गुना और इस निधि में या अधिनियम की धारा 17 के तहत या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 27 या 27क के तहत, जैसा भी मामला हो, छूट प्राप्त भविष्य निधि में मृतक के खाते में पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान औसत शेष राशि का पचास प्रतिशत, एक लाख पचास हज़ार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, होगी। बशर्ते कि आश्वासन लाभ दो लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

iii. यदि मृत्यु 28.04.2021 को और उसके बाद होती है:– जहां मृतक सदस्य रोजगार में था (जिस महीने उसकी मृत्यु हुई, उससे पूर्ववर्ती बारह महीने की निरंतर अवधि तक) तो लाभ की मात्रा जिस महीने कर्मचारी की मृत्यु हुई, उससे पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान आहरित औसत मासिक मजदूरी (अधिकतम 15,000/– रुपये के अध्यधीन) का पैंतीस गुना और इस निधि में या अधिनियम की धारा 17 के तहत या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 27 या 27क के तहत, जैसा भी मामला हो, छूट प्राप्त भविष्य निधि में मृतक के खाते में पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान औसत शेष राशि का पचास प्रतिशत, एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, होगी, बशर्ते कि आश्वासन लाभ दो लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, बशर्ते यह भी कि आश्वासन लाभ सात लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

केंद्रीय विश्लेषण और निरीक्षण इकाई

6.34 चूक प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत, फेसलेस डिजिटल इंटरेक्टिव प्रणाली:

यह नियोक्ताओं के साथ ईपीएफओ का एक नया डिजिटल इंटरफेस है जिसके तहत प्रत्येक कैलेंडर माह की 21 तारीख को ईसीआर दाखिल नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की जाती है और ऐसे प्रतिष्ठानों को तुरंत एसएमएस भेजा जाता है। कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, नियोक्ता लॉगिन में संदेश भेजा जाता है। जो प्रतिष्ठानों एसएमएस और संदेश का जवाब देने में विफल रहता है और तीन महीने या उससे अधिक के लिए चूक करता रहता है उसके लॉगिन में ई–निरीक्षण प्रपत्र डाल कर रख दिया जाता है।

ई–निरीक्षण प्रपत्र के माध्यम से, नियोक्ता निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

i. व्यवसाय बंद होने की सूचना और उसका प्रमाण अपलोड कर सकता है

ii. न चुकायी गई राशि की घोषणा और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किश्तों की मांग कर सकता है

iii. बकाया राशि की जानकारी और उसका भुगतान कर सकता है।

ई–निरीक्षण प्रणाली गैर–इरादतन चूककर्ताओं के लिए अनुपालन की लागत को कम करने और नियोक्ताओं के लिए व्यापर सुगमता को बढ़ाने के लिए एक कदम है। यह नियोक्ताओं को अनुपालनात्मक व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। यह ईपीएफओ को अपनी प्रवर्तन तंत्र के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में भी मदद करता है और बेहतर चूक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लागत, समय और प्रयास को कम करने वाला तंत्र है।

6.35 शिकायत और वैकल्पिक निरीक्षण पोर्टलः

ईपीएफओ का प्रत्येक जोनल कार्यालय अब ईपीएफओ में सूचीबद्ध अनिवार्य निरीक्षणों के अलावा अन्य सभी प्रकार के मामलों में निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुमति देने के लिए सीएआईयू (एचओ) की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, जोनल कार्यालयों को मौजूदा दिशा–निर्देशों के आधार पर मामलों की जांच करने और अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता है।

6.36 इस पोर्टल में अपवंचन और गैर–अनुपालन से संबंधित शिकायतों की स्थिति के साथ–साथ अन्य मामलों के लिए निरीक्षण की स्थिति की रीयल टाइम ट्रैकिंग की जा सकती है। इससे निरीक्षण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी क्योंकि प्रत्येक स्तर पर लम्बित होने की स्थिति (अर्थात निरीक्षण पंजीकरण, जोनों द्वारा अनुमति प्रदान करना, निरीक्षण करना और निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना) का पता लगाया जा सकता है। इससे बेहतर दक्षता भी मिलेगी क्योंकि सुचारू प्रसंस्करण के लिए निरीक्षण अनुमति देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे प्रतिष्ठानों द्वारा पीएफ का भुगतान न किए जाने के संबंध में शिकायतों का त्वरित समाधान होगा।

6.37 ईपीएफ के अंतर्गत व्याप्त प्रतिष्ठानों में शामिल होने वाले कर्मचारियों को यूएएन के ऑनलाइन स्व–सृजन की सुविधाः

योजनाओं में स्वयं कर्मचारियों द्वारा नामांकन की अनुमति दी गई है तथा पात्र प्रतिष्ठानों की सदस्यता के विस्तार में अपवंचन और गैर–व्याप्ति के संबंध में आसूचना डेटा भी तैयार किया जा सकता है।

ग्राहक सेवा प्रभाग

6.38 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत निवारण तंत्रः

ईपीएफओ अपने उद्देश्यों के अनुरूप ग्राहक सेवा और सभी हितधारकों की शिकायतों के निवारण पर जोर देता है। पूरे देश में फैले अपने कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से अपने हितधारकों अर्थात नियोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए संगठन के पास एक मजबूत तंत्र है। ईपीएफओ प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में मौजूद ग्राहक सेवा प्रभाग और संगठन देश भर के 21 क्षेत्रों और 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में फील्ड फॉर्मेशन सभी हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्ण सुविधा केंद्रों, पीआरओ और सहायक कर्मचारियों से लैस है। शिकायतों को दर्ज करने और निवारण करने के निम्नलिखित विभिन्न तरीके हैं–

- सीपीग्राम्स
- शिकायत संबंधी अपील
- ईपीएफआईजीएमएस
- कॉल सेंटर
- व्हाट्सएप व्यवसाय सहायता केंद्र
- ईपीएफओ और श्रम और रोजगार मंत्रालय का ट्विटर और एफबी अकाउंट
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- सुविधा केंद्र

6.39 ईपीएफओ के अंशधारकों, पेंशनभोगियों, खाताधारकों और छूट प्राप्त और बिना छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से सीधे और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निदेशालय(डीएआरपीजी), श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। कोविड –19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन और कार्यालय में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित होने के बावजूद शिकायतों की संख्या में बड़े प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद शिकायतों का समाधान तेजी से किया जाता था।

6.40 ग्राहक सेवा प्रभाग का शासनः

प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा प्रभाग का नेतृत्व एसीसी (मुख्यालय) स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता सीसी (सीएसडी), आरपीएफसी–1, आरपीएफसी–2, एपीएफसी और अन्य कर्मचारी अधिकारी करते हैं। प्रत्येक जोनल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान के कार्य को देखने वाले नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।

6.41 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.) :

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग पद्धति भारत सअरकार के लो०शि० पोर्टल (www.pgportal.gov.in)पर उपलब्ध है। यह एन.आई.सी. द्वारा लो०शि०निदेशालय (डीपीजी) तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के साथ मिलकर विकसित किया गया (एनआईसीएनईटी) ऑनलाइन वेब सक्षम प्रणाली है। (सीपीग्राम) वेब तकनीक पर आधारित प्लेटफार्म है जिसका लक्ष्य प्राथमिक रूप से कहीं से भी और कभी भी (24X7) के आधार पर पीड़ित नागरिकों की शिकायतों को मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों, जो इसकी संवीक्षा करती है तथा त्वरित एवं उनके पक्ष में निवारण के लिए कार्रवाई करती है, को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है, जिसे ईपीएफओमें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। सभी कार्यालय नियमित रूप से सीपीग्राम का प्रयोग शिकायतों के निवारण तथा उनकी निगरानी के लिए कर रहे हैं।

6.42 सीपीग्राम पोर्टल के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की निगरानीः

- सीपीग्राम पोर्टल के तहत शिकायतों को श्रम मंत्रालय के माध्यम से ईपीएफओ मुख्यालय में ग्राहक सेवा प्रभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है। शिकायतों की प्राप्ति के बाद उन्हें सम्बंधित क्षेत्र के अधिकारी के साथ साथ मुख्यालय में सम्बंधित विभाग के एसीसी को भी निवारण के लिए भेजा जाता है।
- क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारित समय के भीतर शिकायतों का निवारण करते हैं और अपना उत्तर सीएसडी के प्रधान कार्यालय केपीजी पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
- सीएसडी इसके अंतिम निपटान के लिए इस उत्तर को श्रम मंत्रालय को अग्रेषित करती है। तब श्रम मंत्रालय, सिर्फ डीपीजी से सम्बंधित शिकायतों को छोड़कर, जिसका निपटन स्वयं डीपीजी द्वारा किया जाता है, सम्बंधित नागरिक को उत्तर देता है।
- शिकायतों की सभी स्तरों पर गहन निगरानी की जाती है। लंबित स्थिति और निपटान की रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार की जाती है और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न माध्यमों जैसे ई–मेल, व्हाट्सएप कॉल आदि से जाँच की जाती है।
- सीपीग्राम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के सम्बन्ध में, सीपीग्राम पोर्टल पर शिकायतों के निवारण की गुणवत्ता जानने के लिए हर महीने 20 शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाता है।
- सीपीग्राम पोर्टल पर दर्ज कोविड–19 सम्बन्धी शिकायतों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है जिनका निपटान तीन दिनों के अन्दर किया जाना होता है।

सीपीग्राम के माध्यम से शिकायतों की प्राप्ति तथा निवारण:

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाए गए शिकायतों की संख्या	निपटान का प्रतिशत	आनुपातिक समय
01.01.21 से 31.12.21	81716	78332	95.70 %	12 दिन

भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों का निपटान :

क्रम सं.	शिकायत का श्रोत	कुल प्राप्ति	निपटाए गए	निपटान का प्रतिशत
1	लो०शि०नि०	2656	2404	90.51%
2	प्र०सु०एवं लो०शि०विभाग	2267	2170	95.72%

3	स्थानीय/इन्टर नेट	60458	58027	95.9%
4	राष्ट्रपति सचिवालय	413	402	97.3%
5	पेंशन	5402	5072	93.96%
6	प्रधानमंत्री कार्यालय	10590	10250	96.7%

6.43 नियमित समीक्षा बैठक : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रति माह लोक शिकायतों के निपटान की समीक्षा की जाती है।

01.01.21 से 31.12.21 तक की अवधि के लिए सीपीग्राम में उच्च 10 श्रेणियों का गुणात्मक विश्लेषण :

क्रम सं.	शिकायत की श्रेणी	अग्रेगित /	इस दौरान प्राप्त	कुल प्राप्ति
1	19/ 20/ 10सी /31 के अंतिम निपटान की निकासी	224	30298	30522
2	सदस्यों के विवरण में सुधार (केवाईसी) अद्यतन कराना	163	16684	16687
3	अन्य	148	12427	12575
4	पीएफ संग्रह (एफ-13) का अंतरण	155	7369	7524
5	पेंशन से सम्बंधित	219	7281	7446
6	जिन्हें श्रेणी नहीं दी गयी	4	1863	1867
7	अनुपालन क्षेत्र	53	1662	1715
8	कोविड-19 सम्बन्धी मामले	7	1174	1181
9	ब्याज सम्बन्धी	7	512	519
10	पीएफ स्लिप पीएफ शेष जारी करना	4	490	494

01.01.21 से 31.12.21 के दौरान प्राप्त कर्मचारियों की शिकायतवार सीपीग्राम श्रेणी :

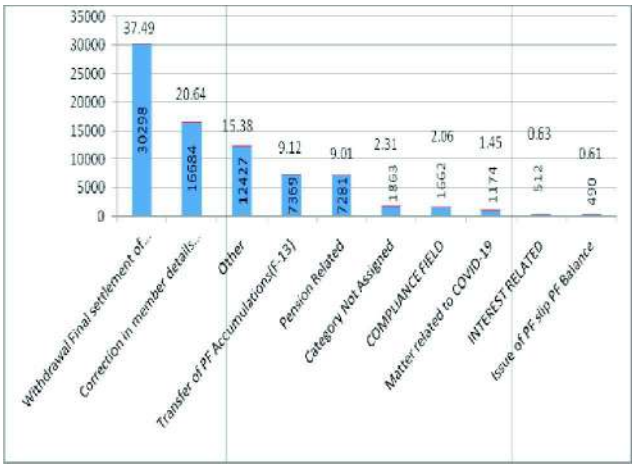

6.44 कर्मचारी भविष्य निधि ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस) :

ईपीएफओ ने अपने हितधारकों के लिए कई नई सेवाएँ जैसे ईसीआर, यूएएन, पासबुक, पीएमपीआरवाई, ऑनलाइन अंतरण, ऑनलाइन दावे की प्रोसेसिंग इत्यादि प्रतिपादित की हैं। ईपीएफओ के सेवा क्षेत्र में विस्तार के कारण 2010 में विमोचित ईपीएफआईजीएमएस चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा था तथा सदस्यों के सम्मुख आ रही नई समस्याओं के कारण इसमें सुधार किया जाना आवश्यक था। 21 अगस्त 2019 को हैदराबाद में माननीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा संशोधित ईपीएफआईजीएमएस) को लागू किया गया।

इस सिस्टम ने न सिर्फ सदस्यों को अपनी शिकायतें/ प्रश्न दर्ज करने में सुविधा प्रदान की है बल्कि यह क्षेत्र कार्यालयों में शिकायतों के प्रबंधन में भी बहुमूल्य साबित हुआ है। सदस्य ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायतें कहीं भी और कभी भी दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें सदस्यों. पेंशन भोगियों, स्थापनाओं व अन्य लोगों द्वारा भी दर्ज करवाई जा सकती हैं।

6.45 ईपीएफआईजीएमएस के विकास का उद्देश्य एक सिंगल विंडो प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना है जो शिकायतों को रिकॉर्ड, स्वीकार व ट्रैक/ मॉनिटर कर सके जब तक उनका निपटान न हो जाए। यह संशोधित

ईपीएफआईजीएमएस नागरिक केन्द्रित होने के साथ ही ईपीएफओ को शिकायतों का निपटान कुशलता, पारदर्शिता व अधिक उत्तरदायिता के साथ करने में सहायता करता है। इसने ईपीएफओ की प्रक्रिया व सदस्यों के व्यवसाय के सरलीकरण में भी सहायता की है। संशोधित ईपीएफआईजीएमएस 2.0 में कई नई विशेषताएं हैं जो निम्नानुसार हैं :–

- द्विभाषी रूप में, क्योंकि शिकायतें हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में दर्ज की जा सकती हैं।
- उपयोगकर्ता के प्रमाणन के लिए ओटीपी सत्यापन।

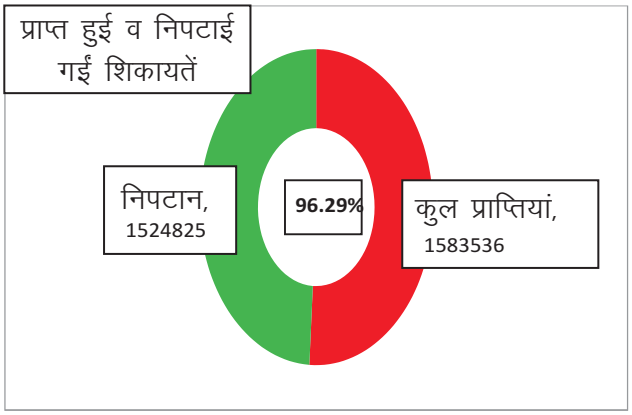

- यूएएन पर आधारित परिवाद/शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराना।
- ईपीएफओ के मास्टर डेटाबेस के साथ यूएएन समेकन के परिणामस्वरूप शिकायतों के निवारण में ईपीएफ कार्यालय की पहचान।
- त्वरित समाधान – दर्ज की गयी शिकायतें उस अधिकारी के पास जाती हैं जो सदस्य का अकाउंट संभाल रहा है ।
- व्यापक वर्गीकरण – शिकायतों के स्वरूप की सटीक पहचान हेतु 59 श्रेणियाँ बनाई गई हैं ।
- शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायतों का समापन।
- (क) पोर्टल इंटरफ़ेस (ख) समाधान की गुणवत्ता पर शिकायतकर्ता की प्रतिपुष्टि।
- कई दस्तावेज़ अपलोड करना : एक शिकायत में 3 दस्तावेज़ अपलोड किये जा सकते हैं।
- इंटरैक्टिव (पारस्परिक) सिस्टम : पूछे जाने पर शिकायतकर्ता ऑनलाइन अभ्युक्तियाँ (टिप्पणियाँ)/स्पष्टीकरण दे सकता है।
- शिकायत के निवारण में विलम्ब होने की स्थिति में शिकायतकर्ता को अंतरिम प्रत्युत्तर भेजा जा सकता है।
- सम्प्रेषण व सूचना भेजने हेतु ईमेल व एसएमएस की सुविधा
- शिकायतों का त्रि–स्तरीय निपटान– क्षेत्रीय कार्यालय आंचलिक, कार्यलय और प्रधान कार्यालय के स्तर पर
- डैशबोर्ड व एमआईएस रिपोर्टों के माध्यम से दैनिक मॉनिटरिंग

01.01.2021 से 31.12.2021 के दौरान ईपीएफआईजीएमएस में दर्ज की गई व निपटायी गईं शिकायतें

वर्ष	शिकायतों की संख्या	निपटायी गयीं	निपटान का प्रतिशत %
01.01.2021 से 31.12.2021	15,83,536	15,24,858	96.29%

6.46 दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 के दौरान 30 दिनों के अन्दर 95% शिकायतों का निपटान किया गया। 15.25% का निपटान 3 दिनों के अन्दर, 43.50% का 4 से 7 दिनों के अन्दर, 27.45% का 8 से 15 दिनों के भीतर व 9.1% का निपटान 15 से 30 दिनों के अन्दर किया गया। इसके अतिरिक्त, शीर्ष प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से शिकायत निपटान प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है।

6.47 ईपीएफआईजीएमएस की कोविड–19 शिकायतें कोविड–19 महामारी के दौरान ईपीएफआईजीएमएस में शिकायतों के तीन वर्ग शामिल किये गए :

क. कोविड–19 अग्रिम से सम्बंधित

ख. पीएमजीकेवाई संबधित

ग. एक से अधिक बार अस्वीकृत दावा

01.01.2021 से 31.12.2021 तक कोविड–19 महामारी की अवधि के दौरान, कोविड–19 अग्रिम से संबंधित 33,108 शिकायतें प्राप्त हुईं व 98% निपटान के साथ 32,425 का

निवारण किया गया ।

6.48. 01–07–2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान ईपीएफआईजीएमएस में शिकायतों का गुणात्मक विश्लेषण. शिकायतों की शीर्ष 10 श्रेणियां

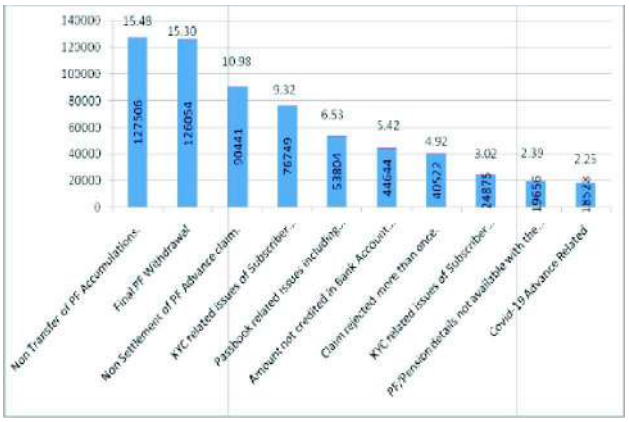

नोट : डाटा की बड़ी मात्रा के कारण , 01.07.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि हेतु डाटा लिया गया है (शिकायतों की कुल संख्या 8,23,662 है)

श्रेणी विश्लेषण नियमित रूप से किया जा रहा है क्योंकि यह शिकायतों को कम करने की प्रणाली सुधार के प्रबंधन की सहायता करने वाला एक उपकरण है।

6.49 उमंग एप में ईपीएफआईजीएमएस

सितम्बर, 2020 में ईपीएफआईजीएमएस उमंग एप पर डाला गया है। तथापि, उमंग एप से यह डाटा नवम्बर, 2020 में प्राप्त हुआ है।

अवधि	दर्ज की गई शिकायतें	उमंग के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें	प्रतिशतता
नवंबर2020	95,350	8,421	8.83%
दिसंबर 2020	1,11,991	8,568	7.7%
जनवरी 2021	1,35,195	13,508	9.99%
फरवरी 2021	1,20,742	8,970	7.43%
मार्च 2021	1,24,841	12,086	9.68%
अप्रैल 2021	55,811	14,292	25.61%
मई 2021	1,30,568	13,074	10.01%
जून 2021	1,61,132	16,359	10.15%
जुलाई 2021	1,48,396	12,094	8.15%
अगस्त 2021	1,45,825	11,930	8.18%
सितंबर 2021	1,28,452	10,414	8.11%
अक्टूबर 2021	1,26,699	10,590	8.36%
नवंबर 2021	1,24,004	11,434	9.22%
दिसंबर 2021	1,51,191	15,024	9.94%

01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि हेतु ईपीएफआईजीएमएस में दर्ज नियोक्ता शिकायतों के शीर्ष 5 श्रेणी विश्लेषण

नोट : नियोक्ता शिकायतों की कुल संख्या 67,603 है ।

01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि हेतु ईपीएफआईजीएमएस में पेंशनर शिकायतों के शीर्ष 5 श्रेणी विश्लेषण

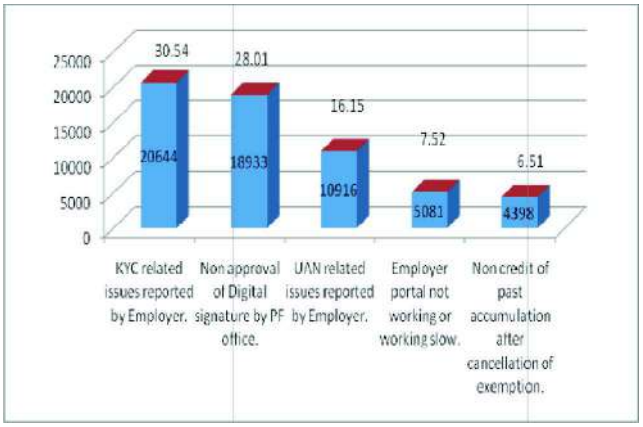

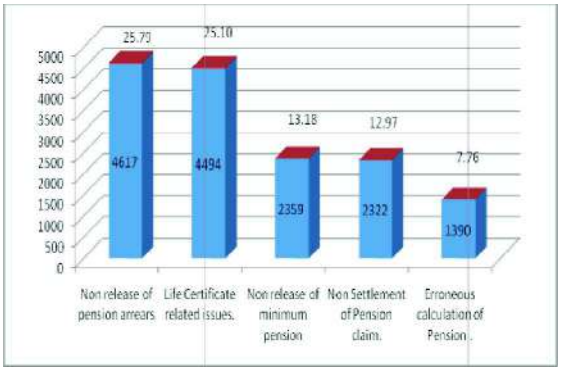

नोट : पेंशनभोगी शिकायतों की कुल संख्या 17905 है ।

6.50 कार्यालयों की स्टार रेटिंग

शिकायत निपटान की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए शिकायतों के निपटान के लिए हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है । वर्ष 2021 के दौरान कुल 15,83,536 शिकायतों में से 15,24,858 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है जो कुल शिकायत का (96. 29%) है । ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. पोर्टल के अनुसार 01.01.2021 से 31.12.2021 तक 15,24,858 शिकायत निपटान में से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को हितधारकों यानी (16%) से 2,44,046 फीडबैक प्राप्त हुआ । इसके अलावा, उस 2,44,046 फीडबैक में से 83,715

(34%) फीडबैक 3 स्टार और उससे अधिक के हैं । इसलिए, यह माना जाता है कि 81% से अधिक हितधारक ईपीएफओ में शिकायत समाधान तंत्र से संतुष्ट हैं । पोर्टल के प्रदर्शन और सुधार के लिए हितधारकों से फीडबैक भी प्राप्त किया । 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. पोर्टल के प्रदर्शन के संबंध में 81% फीडबैक 3 स्टार और उससे अधिक हैं ।

6.51 शिकायत अपील :

अपील की पहल 21 अप्रैल को शुरू हुई । डीपीएआरजी द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 31 अक्टूबर, 2021 तक सभी 4773 लंबित अपीलों का निपटारा किया गया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 31.12.2021 तक 7033 अपील मामले अग्रेषित किए । इनमें से 6984 का निपटारा किया जा चुका है और दिनांक 31.12.2021 को 49 मामले लंबित थे।

6.52 संतुष्ट :

मंत्रालय में शिकायत समाधान संतुष्ठ प्रकोष्ठ के गठन के बाद, क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मामले को उठाने के लिए नियमित आधार पर ईमेल प्राप्त हो रहे हैं।

अवधि	प्राप्त ई-मेल की संख्या	संबंधित फिल्ड कार्यालयों को अग्रेषित की गई ई-मेल
01.10.2021 to 31.12.2021	1260	1260

6.53 कॉल सेंटर

ईपीएफओ का पूरे भारत में अपने हितधारकों से टोल फ्री नंबर 1800118005 पर प्राप्त प्रश्नों के समाधान के लिए एनडीसी, द्वारका में एक कॉल सेंटर है । कॉल सेंटर कोविड–19 महामारी के दौरान भी काम कर रहा था । वर्ष 2021 के दौरान कॉल सेंटर में 14,22,230 कॉलों का उत्तर दिया गया । कॉल सेंटर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह सात बजे से शाम नौ बजे तक तीन पालियों में काम करता है । इसके अलावा सीएससी वीसीसी (वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर) को लागू करके जनवरी, 2021 में कॉल सेंटर को नया रूप दिया गया है, जिसमें पहले की प्रणाली पर निम्नलिखित लाभ हैं: –

- कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा
- कॉल निगरानी सुविधा
- रीयल टाइम डैशबोर्ड
- मिस्ड कॉल्स को स्टोर करने का प्रावधान
- कॉल बैक सुविधा
- एसएमएस भेजने का प्रावधान
- हितधारकों से प्रतिक्रिया
- विस्तृत रिपोर्ट के लिए प्रावधान

6.54 नए कॉल सेंटर की क्षमता में लगभग 100% की वृद्धि हुई है । पहले के 2000 कॉलों की तुलना में अब प्रतिदिन लगभग 4,500 कॉलों का उत्तर दिया जाता है । अंग्रेजी और हिंदी के अलावा स्थानीय स्थानीय भाषा में हितधारकों की सहायता के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर सुविधाओं का विस्तार किया गया है । इंटरसेप्शन की सुविधा का उपयोग करके लाइव कॉल की निरंतर निगरानी ने हितधारकों को दिए गए उत्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित की है ।

6.55 आंचलिक कॉल सेंटर:

आंचलिक कॉल सेंटर सुविधा का परीक्षण और कार्यान्वयन सितंबर, 2021 से निम्नलिखित आंचलिक कार्यालयों में किया गया है। कॉल का जवाब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली और मराठी में दिया जा रहा है।

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालय/विवरण	अंचल के अंतर्गत व्याप्त राज्य	हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य स्थानीय भाषाएँ
1	आंचलिक अपर केन्द्रीय आयुक्त का कार्यालय, चेन्नई एवं पुद्दुचेरी	तमिलनाडु एवं पुद्दुचेरी	तमिल
2	आंचलिक अपर केन्द्रीय आयुक्त का कार्यालय, तेलंगाना	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	तेलुगु

3	आंचलिक अपर केन्द्रीय आयुक्त का कार्यालय, गुजरात(अहम दाबाद)	गुजरात	गुजराती
4	आंचलिक अपर केन्द्रीय आयुक्त का कार्यालय, बांद्रा	महाराष्ट्र, पुणे, थाणे एवं गोवा	मराठी
5	आंचलिक अपर केन्द्रीय आयुक्त का कार्यालय, (पश्चिम बंगाल) और अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम	पश्चिम बंगाल	बंगाली
6	आंचलिक अपर केन्द्रीय आयुक्त का कार्यालय, राजस्थान(जयपुर)	राजस्थान	हिंदी
7	आंचलिक अपर केन्द्रीय आयुक्त का कार्यालय (हुबली)	कर्नाटक एवं गोवा	कन्नड़

छह महीने की समयावधि की सभी कॉल को रिकॉर्ड करने की सुविधा शिकायत के सत्यापन को सुनिश्चित करती है। कुल एजेंट, लॉगिन एजेंट, सक्रिय एजेंट, फ्री ब्रेक, एजेंट, कतार में प्रतीक्षा कर रहे एजेंट, ग्राहक आदि की संख्या से संबंधित रीयल टाइम और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कॉल सेंटर के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है। 45 एजेंट द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में सुबह 7 से रात 9 बजे तक 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं।

6.56 व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइनः

- ईपीएफओ ने जुलाई, 2020 से सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइन कॉल नंबर शुरू किया है, ताकि पणधारी द्वारा उनके घरों से ही उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। ये व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइन नंबर ईपीएफओ की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं, ताकि पणधारी अपने संबंधित पीएफ कार्यालय के नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकें।
- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में इस कार्य के लिए एक समर्पित टीम है जो 24 घंटे के भीतर प्रश्नों का उत्तर देना सुनिश्चित करती है।
- दिनांक 31.12.2021 तक व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त 962096 शिकायतों/प्रश्नों में से 9,35,622 का समाधान किया जा चुका है।
- सभी पणधारी के लाभ के लिए हेल्पलाइन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न/स्व–व्याख्यात्मक पाठ और मानकीकृत इन्फोग्राफिक को हेल्पलाइन के कैटलॉग में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में साझा किया गया है।
- एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन की पूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित किया है।
- व्हाट्सएप हेल्पलाइन ग्राहकों के लिए निर्बाध एवं निरंतर सेवा सुनिश्चित करती है।

6.57 सोशल मीडिया

ईपीएफओ की सोशल मीडिया पर प्रभावशाली उपस्थिति है। ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल से सोशल मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर प्राप्त ईपीएफओ से संबंधित प्रश्नों के भी जवाब दिए जाते हैं और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को उनके हैंडल पर पोस्ट करने के लिए भेजे जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों और दिए गए उत्तरों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:

6.58 सोशल मीडिया शिकायतें (श्रम और रोजगार मंत्रालय / राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) से प्राप्त):

श्रम और रोजगार मंत्रालय और राज्य मंत्री (श्रम और रोजगार) (स्वतंत्र प्रभार) के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राप्त ईपीएफओ से संबंधित शिकायतों / प्रश्नों का निवारण भी किया गया। दिनांक 01.01.2021 31.12.2021 की अवधि के दौरान, 2981 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए हैं और उनका निवारण किया गया है।

फेसबुक पर प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	ट्विटर पर प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	कुल शिकायतें (फेसबुक+ट्विटर)	निपटान
73	2908	2981	2981(100%)

ईपीएफओ की फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और कोरा

सोशल मीडिया पर प्रभावशाली उपस्थिति रही है। ईपीएफओ ने अक्टूबर, 2020 में कोरा के मंच से काम किया। सोशल मीडिया पर दिनांक 31.12.2021 तक दिए गए जवाब इस प्रकार है :–

	प्राप्त प्रश्नों की संख्या	प्रश्नों के उत्तरों की संख्या	लंबित	निपटान
फेसबुक	51095	51095	0	100%
ट्विटर	47091	47091	0	100%
कोरा	4	4	0	100%

6.59 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नः

- वित्त, सूचना सेवा प्रभाग, पेंशन, अनुपालन, ईडीएलआई, वसूली और ग्राहक सेवा प्रभाग से प्राप्त 375 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पणधारी की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में संकलित और अनुवाद किया गया।
- इनका 13 भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमी, उड़िया, नेपाली, डोगरी और पंजाबी) में अनुवाद किया गया है।
- 375 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ईपीएफओ वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में अपलोड किया गया है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रयास किया जा रहा है।
- अक्सर पूछे जाने वाले 375 प्रश्नों को सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर और कोरा) पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अपलोड किया गया है।
- एबीआरवाई से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले 38 प्रश्नों का 19 भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली,पंजाबी, ओड़िया, नेपाली, कोंकणी, असमिया, सिंधी, संथाली, मैथिली, उर्दू और संस्कृत) में अनुवाद।

6.60 सहायक और सुविधा केंद्रः

संगठन के प्रत्येक कार्यालय में एक पीआरओ (जनसंपर्क अधिकारी) और एक सुविधा केंद्र होता है। सभी आगंतुकों का सुविधा केंद्र पर स्वागत किया जाता है और उन्हें संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं/लाभों के बारे में उचित मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण दिया जाता है। उनकी शिकायत, यदि कोई हो, का भी निवारण किया जाता है।

6.61 प्रणालीगत परिवर्तनः

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवा की गुणवत्ता को परिवर्धित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए समय समय पर व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा कार्यालय प्रमुख और आंचलिक कार्यालयों द्वारा व्यापक तौर पर उनकी निगरानी की जा रही है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं को और अधिक कारगर व ग्राहक सहायक बनाने के प्रयास के रुप में निम्नांकित नीतिगत नवाचार प्रारंभ किए गए हैं:

- ऐसे सभी पी.एफ. ग्राहकों को एक एसएसएस भेजा जाता है, जिनके खाते में नियोजक के अंशदान जमा नहीं हुए हैं ।
- और अधिक पारदर्शिता लाने एवं शिकायतों को कम करने के लिए पीएफ के निकासी के समय ग्राहकों तथा पेंशनभोगियों को स्वीकृत पेंशन के ब्यौरा के साथ आकलन शीट प्रदान किए जाते हैं ।

6.62 संचार एवं जनसंपर्क प्रभाग

संचार एवं जनसंपर्क प्रभाग (सी एवं पीआर) हितलाभार्थियों विशेषकर मीडिया और समाज में जनमत तैयार करने वाले अन्य समुदायों से संपर्क स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने वाले प्रभाग का प्रतिनिधित्व करता है । इसके कार्यों में जनसंपर्क अभियानों का खाका तैयार करना, प्रेस विज्ञिप्ति जारी करना, संगठन के प्रवक्ता के रुप में कार्य करना, प्रेस के साथ समन्वय करना, वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के तथ्यों का अनुरक्षण करना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ब्रांड इमेज बनाते हुए नागरिक उन्मुख ईकाई के रुप में सरकार की छवि को स्थापित करना । कोविड महामारी ने हाल के वर्षों में पारंपरिक क्रियाकलापों के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की हैं । तथापि, सी एवं पी आर प्रभाग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रारंभ किए गए जीविका की सुलभता, व्यापर की सुगमता, कुशल डिलीवरी सेवाओं और

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभों के पहुंच को विस्तारित करने की सुविधाओं की मुहैया से संबंधित नवाचारों की जागरुकता फैलाने की दिशा में अति सक्रिय रही है ।

6.63 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नवीन परिवर्तनों, खासकर ऐसे परिवर्तनों से जो कोविड युग के कुप्रभावों के निवारण के नवाचारों से संबंधित हों, से जनसाधारण को अवगत कराने के लिए समय–समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी किए गए हैं। उसका उद्देश्य था प्रेस विज्ञिप्ति, वेबिनार, अधिकारियों द्वारा मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के माध्यम से उन तक पहुंच बनाना । इसके फलस्वरुप, अनिवार्य सेवा मुहैया की वास्तविक सहायता के रुप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रयासों ने जनसेवा के अनुरोध के निपटान से जन आस्था का अर्जन किया है। राष्ट्रीय मडिया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समाचार को सरकार के सामाजिक सुरक्षा की मुहैया की प्रतिबद्धताओं को व्यापक तौर पर प्रसारित करने का कार्य किया। सभी के सभी नवाचारों के सकारात्मक प्रयोग साबित हुए जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना, जिसकी शुरुआत ही लॉकडाउन की आपदाओं से निवारण के लिए हुई थी, जिसमें दिनांक 28.04.2021 से ईडीएलआई के अंतर्गत 6 लाख से 7 लाख के हितलाभ का आश्वासन था तथा जिसके अंतर्गत ईपीएफ के सदस्यों को दूसरा (अदायगी मुक्त) कोविड–19 अग्रिम सुलभ हो सका। डिजिटल गवर्नेंस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का केंद्रीकृत क्षेत्र था। इसने प्रधान नियोजकों (पीई) के लिए पीएफ अनुपालन और ठेकेदारों के मासिक ईसीआर में प्रेषण को देखने के लिए ई–सुविधा और निबंधन, प्रक्रियाधीन करने और शिकायतों की निगरानी के लिए वेब सुविधा। इसने मीडिया के प्रभावी ध्यानाकर्षण एवं परिचर्चा को सृजित किया। 2021–2022 के दौरान जब कोविड–19 के द्वारा गहरी चुनौतियां उत्पन्न हो गई थीं, सी एवं पीआर प्रभाग ने हितलाभार्थियों को सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञ करने के लिए फेसबुक, ट्वीटर, बैनर्स, कार्टून, और यूट्यूब पर विडियो के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार के उपायों को पोस्ट करके प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया ।

6.64 आजादी के 75 वें वर्ष की स्मृति में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के एक भाग के रुप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों के ई–नामांकन हेतु प्रोत्साहन के लिए एक अभियान शुरु किया । इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं को प्राप्त करने की नई आजादी मिलेगी । हितलाभार्थियों के बीच जागरुकता लाने के लिए मुख्यालय के संचार एवं जनसंपर्क प्रभाग (सी एवं पीआर) क्रियेटिव्स, यूट्यूब विडियो और जीआईएफ सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं । इसलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने परिसर में कार्यरत सभी संविदात्मक स्टाफ का ई–नामांकन सुनिश्चित कर ली है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सोशल मीडिया प्लेटफार्म का एक 'आउटरीच टूल' के रुप में व्यापक प्रयोग किया गया है । दिनांक 31.12.2021 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 283595 फेसबुक और 172500 ट्विटर के फॉलोअर हो चुके हैं ।

6.65 जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक ईपीएफओ द्वारा आरंभ की गई नई पहलेः

ईपीएफओ ने विभिन्न पहलें की हैं जिसमें बहुत से पहलों का निम्नानुसार अत्यधिक प्रभाव रहा हैः

I. यूएएन के स्वयं निर्मित होने की सुविधाः

कोई भी कर्मचारी, जिसे एकीकृत पोर्टल पर नियोजक द्वारा यूएएन आवंटित नही किया गया हो, द्वारा यूएएन को स्वयं सृजित करना। यह सुविधा उमंग एप के द्वारा दी जा रही है ।

II. अपने यूएएन को जानने की सुविधाः

कई बार सदस्य अपने यूएएन को नियोजक से नहीं ले पाते और उन्हें इनके ऑनलाइन सुविधा के उपयोग की जानकारी नहीं होती । बहुत से एसे सदस्य भी हैं, जिन्होंने इसे 01.01.2010 से पहले इसे छोड़ दिया है और उनका यूएएन जनरेट ही नहीं हुआ । ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए, उनके यूएएन के संबंध जानकारी प्राप्त करने एवं मौजूदा सदस्यों के यूएएन को जनरेट करने की सुविधा प्रदान की गई है।

iii. अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर पोर्टल पर ई–साईन की सुविधा(आईडब्ल्यूयू)

आईएस प्रभाग ईपीएफओ की प्रक्रियाओं को पेपरलैस

करने का निरंतर प्रयास कर रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर से संबंधित सेवाओं की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई–साईन सुविधा को नियोजक पोर्टल एवं ईपीएफओ पोर्टल पर दिया गया है। यह सुविधा इस प्रक्रिया को आसान करने में मदद करती है ताकि सीओसी (व्याप्ति का प्रमाणपत्र), सीओसी–विस्तार और सीओसी–बीपी रद्द को अनुमोदित करे ।

iv. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना(एबीआरवाई) कार्यक्षमता:

इस योजना के अनुसार, भारत सरकार 12% कर्मचारी का अंशदान एवं 12% नियोजक का अंशदान दोनों ही का भुगतान करेगी–यथा दो साल से अधिक के लिए 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले संस्थानों में नए कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी का 24% ईपीएफ को जाएगा । इसके निर्बाध कार्यान्वन के लिए ईपीएफओ ने एबीआरवाई की कार्यक्षमता को विकसित किया है।

v. मुख्य नियोजक, ठेका कामगार:

ईपीएफओ ने मुख्य नियोजकों के लिए इलेक्ट्रानिक सुविधा शुरु की है जिससे वे अपने ठेकेदार के ईपीएफ अनुपालन को देख सकें । मुख्य नियोजक(पीई) जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं है वे ठेकेदार एवं ठेके के कर्मचारियों के ब्यौरे देने के लिए लॉग–इन/पासवर्ड प्राप्ति के लिए एकीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कर लें ।

vi. एसबीआई द्वारा बैक खातों का स्वयं सत्यापन:

ऐसे सभी कर्मचारी जिनका बैंक खाता एसबीआई में है, उनके बैंक खाते का सत्यापन बैंक द्वारा स्वयं किया जाएगा और सत्यापन के बाद खाते का ब्यौरा सदस्य के केवाईसी में बिना नियोजक के हस्तक्षेप डाल दिया जाएगा। यह कार्यक्षमता केवाईसी प्रक्रिया से मैनुअल चरण से हटकर प्रयोक्ता के अनुभव में सुधार लाएगी।

vii. शिकायतों की मॉनिटरिंग , पंजीकरण, प्रोसेसिंग एवं मॉनिटरिंग हेतु वेब सुविधा तथा क्षेत्रीय कार्यालय (आर. ओ.), प्रखंड कार्यालयों एवं मुख्यालय द्वारा वैकल्पिक निरीक्षण सीए आईयू लॉग इन में पंजीकरण, प्रोसेसिंग एवं शिकायतों के मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण हेतु कार्य क्षमता विकसित की गई है इस कार्यक्षमता द्वारा कोई क्षेत्रिय कार्यालय, निरीक्षण हेतु अनुरोध अपलोड कर सकते है; जिसे जांच के बाद प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित या रद्द किया जा सकता है अनुमोदित निरीक्षण हेतु क्षेत्रिय कार्यालय प्रर्वतन अधिकारी नियुक्त कर सकते है और निरीक्षण के उपरांत रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है प्रत्येक निरीक्षण की प्रगति रिपोर्ट की मॉनिटरिंग प्रखंड कार्यालयों द्वारा एवं सीएआईयू, मुख्यालय द्वारा की जाएगी ।

viii. डीएससी/ई–साइन प्राधिकरण पत्र के नियोजक के लॉग इन में अपलोड करने की सुविधा।

पहले योजना के पैरा–12 ए के अनुसार पेंशनभोगियों को तीन तरीके से पेंशन के रूपांतरण का विकल्प था। यह विकल्प आरम्भ से 26 सितम्बर 2008 तक उपलब्ध था। जिन पेंशनभोगियों ने आरओसी–III (एकमुश्त) का विकल्प लिया और जो इस लाभ के लिए योग्य नहीं थे उनको लाभान्वित करने के लिए फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक नई कार्यक्षमता को जोड़ा गया था ।

ix. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आरओसी ।।। को दिए जाने की कार्यक्षमता:

ईपीएफओ को पेपरलेस करने के प्रयास में एकीकृत पोर्टल में डीएससी/ई–साइन प्रधिकरण पत्र को डिजीटली अपलोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । यह संस्थान में सुधार एवं डीएससी/ई–साइन अनुमोदित आवेदनों की अच्छी मॉनीटरिग मे मदद करेंगी ।

x. नियोजकों हेतु समापन घोषित करने की सुविधा:

आरंभिक समझौते में पोर्टल की मदद से गैर योगदान नियोजकों द्वारा समापन घोषित की एवं फील्ड अधिकारी द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्य की सुविधा प्रदान करना। यह नियोजकों के डाटाबेस को अपडेट करने में मदद करता है । आरंभ में नियोजकों को समापन घोषित करने के लिए मैनुअली कार्य करना पड़ता था।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

6.65 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) 9 अगस्त 2016 को शुरु की गई है।

6.66 औपचारिक क्षेत्र नए रोजगार का सृजित एवं प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना में यह व्यवस्था है कि भारत सरकार कर्मचारी का पेंशन योजना (ईपीएस 95) के अन्तर्गत सभी नए कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार के पहले तीन वर्षों तक जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफओ के साथ) 8. 33% का अंशदान का भुगतान करेगी। इसका उद्देश्य था नियोजकों को बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर को उत्पन्न करना । लक्षित समुदाय के अर्ध–कुशल और अकुशल कामगारों को रोजगार देने की चुनौती में यह योजना ऐसे लोगों के लिए लागू थे जिनकी आय/मजदूरी 15000/– प्रतिमाह तक है तथा जिसने ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में 01.04.2016 से पहले तक कार्य नहीं किया है तथा जिनके पास यूएएन 01/04/2016 से पहले नहीं था । उस योजना का दोहरा लाभ यह था कि एक तरफ नियोजक रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किए गए। दूसरी तरफ, इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ मिलना सुनिश्चित हुआ। त्रुटियों के दोहरेपन को रोकने और गैर–हकदार सदस्यों को लाभ से बाहर करने के लिए यह अनिवार्य किया गया कि यूएएन हितलाभार्थियों को आधार के साथ सहबद्ध किया जाएगा ।

6.67 कपड़ा (परिधान) क्षेत्र के मामले में जहां प्रतिष्ठान विशेष रूप से पहनने के परिधानों के निर्माण का निपटान करता है, नियोक्ता भी प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना **(पीएमपीआरपीवाई)** के अधीन सरकार द्वारा भुगतान किए गए ईपीएफ अंशदान के 3.67% नियोक्ता के हिस्से को प्राप्त करने के लिए पात्र थे। (ईपीएस के 95 अंशदान के 8.33% का भुगतान करने के अलावा)

6.68 दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी, ईपीएफ और ईपीएस अंशदान का पूरा नियोक्ता हिस्सा (जैसा भी मामला हो 10% या 12%) नए कर्मचारियों और मौजूदा के संबंध में उनके बचे तीन वर्षों की अवधि हेतु नियोक्ताओं को तीन साल की अवधि के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसलिए, प्रतिष्ठान और कर्मचारी जिन्हें पीएमआईपीवाई और पीएमपीआरपीवाई दोनों के तहत दोहरा लाभ मिल रहा था, अब 01.04.2018 से पीएमआईपीवाई के तहत 12% (या 10%) के पूर्ण लाभ के पात्र हैं। स्थापना के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी ।

6.69 योजना को नियोक्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। हालांकि शुरुआत में थोड़ा धीमा, लेकिन नियोक्ता और नियोक्ता संघों और कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों दोनों के साथ संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से प्रधान कार्यालय और ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रभावी और बड़े पैमाने पर प्रचार के साथ, प्रतिक्रिया तेजी से बड़ी और योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि तक, 185022 प्रतिष्ठानों ने 13791049 कर्मचारियों के साथ पंजीकरण कराया था। इसमें से 12169960 कर्मचारियों के संबंध में 152900 प्रतिष्ठान राशि रु. 9255.32 करोड़ तक (31 दिसंबर 2021 तक) लाभान्वित हुए थे। वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है–

6.70 सरकार ने अपने आदेश दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से योजना दिशानिर्देशों को दिनांक 23.02.2017 को संशोधित किया है। इसका यह प्रभाव हुआ है कि किसी भी प्रतिष्ठान के लिए पीएमआरपीवाई के तहत एक विशेष वेतन महीने के लिए अग्रिम लाभ प्राप्त करने हेतु, अब यह अनिवार्य है कि ईसीआर अगले महीने की 15 तारीख तक दाखिल कर दिया जाए।

पीएमआरपीवाई

वित्तीय वर्ष	नए अद्वितीय लाभार्थी	लाभान्वित नियोक्ता	वितरित अनुदान(रु. करोड़ में)
2016-17	33031	868	2.58
2017-18	3025084	39423	491.96
2018-19	8746888	144736	3870.88

2019-20	364957	135760	3393.60
2020-21	शून्य	111568	1197 84
2021-22 (01.01.2021 से 31.12.2021)	शून्य	83477	282.44

6.71 एसीसी (मुख्यालय) पीएमआरपीवाई की पहल पर और समवर्ती लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ के साथ–साथ आईएस डिवीजन की मदद से, पीएमआरपीवाई योजना के तहत लाभार्थियों के डेटा की जांच की गई थी और इसे 01.04. 2016 से पहले मौजूद सदस्यों के विरासत डेटा के विभिन्न मापदंडों जैसे, पैन, आधार, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लाभार्थियों के लिंग के आधार पर मान्य किया गया था । परिणाम में डुप्लिकेट मामलों के सदस्यों की बड़ी संख्या पाई गई, जिनका पीएमआरपीवाई योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के होने का संदेह था।ऐसे खातों को अवरुद्ध कर दिया गया था और संदिग्ध यूएएन के संबंध में पीएमआरपीवाई योजना के तहत लाभान्वितों के आगे प्रवाह को रोक दिया गया था।

पीएमपीआरपीवाई

वित्तीय वर्ष	नए अद्वितीय लाभार्थी	लाभान्वित नियोक्ता	वितरित अनुदान (रु. करोड़ में)
2016-17	3900	19	0.18
2017-18	218304	689	18.75
2018-19	46840	781	5.04
2019-20	दिनांक 01.04.2018 की अधिसूचना के बाद पीएमपीआरपीवाई योजना को पीएमआरपीवाई में मिला दिया गया है।		
2020-21			
2021-22			

6.72 ऐसे मामलों की सूची को उनकी प्रामाणिकता के सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों के लॉगिन में भेज दिया गया था। संबंधित आरपीएफसी द्वारा सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने या उन मामलों को स्थायी रूप से अवरुद्ध करने के अनुरोध के साथ एक नोटिस भी जारी किया गया था।

6.73 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पीएमआरपीवाई के तहत पंजीकृत लगभग 8.98 लाख यूएएन के सत्यापन को शामिल करते हुए डी–डुप्लीकेशन अभ्यास पूरा किया गया। इसमें से कुल 762013 अपात्र सदस्य लाभार्थियों के एवज में नियोक्ताओं ने पीएमआरपीवाई के तहत लाभ उठाया था।तदनुसार, आईएस प्रभाग द्वारा ब्याज और हर्जाने के साथ मूलधन की वसूली के लिए एक वसूली मॉड्यूल तैयार किया गया था। नियोक्ताओं से की गई वसूली का विवरण निम्न प्रकार है

6.74 इस अभ्यास ने भारत सरकार के लिए बड़े पैमाने पर बचत की है, पहला अपात्र लाभार्थियों के संबंध में पहले से वितरित सब्सिडी की वसूली करके, और दूसरा ऐसे खातों में आगे सब्सिडी वितरण को रोककर। हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि कुल बचत रुपये 500 करोड़ से अधिक होगी।

मूलधन	266.67 करोड़ (93.41%)
हर्जाना	30.57 करोड़
ब्याज	15.33 करोड़
कुल	312.57 करोड़

6.75 पात्रता

- कोई भी प्रतिष्ठान जो क.भ.निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत हो और उसके पास लॉगिन नंबर (लिन) हो
- कोई भी नया कर्मचारी
- 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद क.भ.निधि संगठन से पंजीकृत हो
- 01अप्रैल, 2016 के बाद यूनिक प्राधिकार संख्या (यूएएन) जनरेट की गई हो
- आधार के साथ यूनिक प्राधिकार संख्या यूएएन को जोड़ा गया हो
- रू15,000/– प्रति माह तक (और उतनी राशि) की आमदनी हो।

- यदि अन्य शर्तें पूर्ण होती हो तो नौकरी बदलने पर भी किसी कर्मचारी का हितलाभ जारी रहेगा
- योजना में शामिल होने की पहली तारीख से एक कर्मचारी के लिए अधिकतम 3 साल तक लाभ देय होगा।

6.76 असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ)

असम के चाय बागानों में कार्यरत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का संचालन असम की राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एटीईपीएफओ द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जाती हैं :–

(i) जमा सहबद्ध बीमा योजना

(ii) परिवार पेंशन सह जीवन आश्वासन योजना

6.77 जमा सहबद्ध बीमा योजना

जमा सहबद्ध बीमा योजना वर्ष 1984 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना असम के चाय बागानों के सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित हितलाभ (कर्मचारियों के निधि का सदस्य रहते हुए हुई उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार से संबंधित सदस्य या अन्यथा पात्र व्यक्ति को देय, कर्मचारी के भविष्य निधि खाते के औसत शेष से सम्बद्ध भुगतान) उपलब्ध करवाती है।

केंद्रीय सरकार इस योजना के तहत डीएलआई निधि के अंतर्गत डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के लिए 0.25% (अंशदान) तथा भ.नि.सदस्य की मजदूरी का 0.05% (प्रशासनिक प्रभार) के अंशदान का भुगतान करती है। एटीईपीएफओ के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज ने अप्रैल 2020 से आश्वासन हितलाभ की मौजूदा सीमा न्यूनतम 50,000/–रु से बढ़ाकर 100,000/– रु तथा अधिकतम 100,000/–रु से बढ़ाकर 200,000/–रु तक कर दी है।

वर्ष के दौरान (जनवरी,2021 से दिसंबर,2021 तक), एटीईपीएफओ ने 1608 डीएलआई दावों का निपटान किया जिसकी कुल राशि 14.93 करोड़ रूपए थी।

साथ ही, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 में असम के बागान कामगारों हेतु 'डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना' (निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना) के अधीन 4.24 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा, उक्त योजना के तहत वर्ष 2021– 2022 (31.12.2021 तक) के दौरान 6. 185 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

6.78 परिवार पेंशन सह जीवन आश्वासन योजना

परिवार पेंशन योजना दिनांक 01.04.1972 से प्रभावी हुई है। परिवार पेंशन–सह–जीवन आश्वासन योजना असम चाय बागान भविष्य निधि योजना के सभी सदस्यों के पेंशन/परिवार पेंशन के मामलों को कवर करती है। सदस्यों की सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवा समाप्ति तथा सेवा के दौरान उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिवारों को परिवार पेंशन उपलब्ध करवाती है।

केंद्र सरकार असम चाय बागान भविष्य निधि योजना के तहत परिवार पेंशन योजना में भविष्य निधि के सदस्यों की मजदूरी का 1.16% की दर से पेंशन निधि के अंशदान का भुगतान करती है। केंद्र सरकार योजना के लिए पूरी तरह से प्रशासनिक लागत का भुगतान भी कर रही है।

वर्ष के दौरान (जनवरी, 2021 से दिसंबर,2021 तक), एटीईपीएफओ ने कुल 200131 दावों का निपटान किया जिसकी राशि रु. 30.42 करोड़ थी ।

भारत सरकार ने असम में बागान श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन सह जीवन बीमा योजना के तहत वर्ष 2020–21 के लिए 23.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। इसके अलावा,उक्त योजना के तहत वर्ष 2021–2022 (31.12.2021 तक) के दौरान 23.815 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

6.79 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम,1923 एक कर्मचारी के आश्रितों को रोजगार की चोट के कारण कर्मचारी की मृत्यु के बाद नियोक्ता की लागत पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है।

यह रोजगार के दौरान रोजगार की चोट के मामले में मुआवजे का भी प्रावधान करता है।

6.80 यदि कोई कर्मचारी रोजगार के दौरान किसी व्यावसायिक बीमारी का शिकार हो जाता है,तो इसे अधिनियम के तहत दुर्घटना के कारण हुई चोट के रूप में माना जाता है।

6.81 कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 में जोड़ी गई धारा 17अ के अनुसार, "प्रत्येक नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को रोजगार देते समय तुरंत उसे इस अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के उसके अधिकार के बारे में लिखित में और साथ ही इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या रोजगार वाले क्षेत्र की राजभाषा में सूचित करें जिसे कर्मचारी द्वारा भली–भांति समझा जाए।" इसके अतिरिक्त, धारा 18अ के तहत अधिनियम के उल्लंघन होने पर आर्थिकदण्ड की वर्तमान राशि 5,000/– रुपये से बढ़ाकर 50,000/– रुपये की गई है जिसे एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। धारा 30 के अनुसार अपील करने के लिए विवाद की राशि को 300/– रुपये से 10,000/– रुपये या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उच्चतम राशि को परिशोधित किया गया ताकि मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।

6.82 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 कारखानों, खदानों, सर्कस उद्योग, बागानों और 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करनी वाली दुकानों या स्थापनाओं में नियोजित महिलाओं के लिए शिशु के जन्म से पहले एवं बाद की अवधि के लिए और प्रसूति तथा अन्य हितलाभों को विनियमित करता है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी. अधिनियम 1948) के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है। यह सम्पूर्ण भारत में विस्तारित है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं: –

- महिला को दो जीवित संतानों तक 26 सप्ताह की अधिकतम अवधि जिसमे प्रसव की अपेक्षित तिथि से आठ सप्ताह पहले की अवधि भी शामिल है के लिए प्रसूति प्रसुविधा देय है। गोद लेने वाली/कमीशनिंग माताओं एवं दो से अधिक जीवित संतानों के लिए 12 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था है।
- गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे के समय से पहले जन्म (गर्भपात, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन) से होने वाली बीमारी से पीड़ित महिला कार्यकर्ता को एक महीने का प्रसूति अवकाश।
- बच्चे के 15 महीने के होने तक 15 मिनट के दो नर्सिंग ब्रेक।
- 3500/– का चिकित्सा बोनस यदि नियोक्ता द्वारा कोई प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल निःशुल्क प्रदान नहीं की जाती है।
- 10 सप्ताह तक हल्के काम दिए जाएँ ।
- गर्भावस्था के दौरान की अनुपस्थिति के कारण बर्खास्तगी से उन्मुक्ति।
- मातृत्व लाभ की हकदार महिला के वेतन में कटौती नहीं।
- घर से काम करने की सुविधा।
- स्थापनों में जहाँ 50 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों तो प्रतिदिन चार बार विजिट करने की सुविधा सहित शिशु गृह की व्यवस्था ।

उपदान संदाय अधिनियम,1972

6.83 उद्देश्य

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 फैक्ट्रियों, खदानों, तेल–क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेलवे कंपनियों, मोटर परिवहन उपक्रमों, दुकानों या अन्य स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी कम से कम पांच वर्षों की लगातार सेवा के पश्चात् अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या मृत्यु अथवा दुर्घटना या बीमारी से हुई अक्षमता होने पर अनिवार्य उपदान भुगतान की योजना उपलब्ध कराता है। बशर्ते कि पांच वर्षों की लगातार सेवा उस स्थिति में अनिवार्य नहीं होगी जहां मृत्यु अथवा अक्षमता के कारण रोजगार समाप्त हुआ हो। उपदान संदाय अधिनियम में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार उपदान के भुगतान की देयता नियोजक की होगी।

6.84 व्याप्ति

- प्रत्येक कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन और रेलवे कंपनी।
- प्रत्येक दुकान या स्थापना जो किसी राज्य में दुकानों और स्थापनाओं के संबंध में उतने समय के लिए लागू किसी विधि के अंतर्गत इस के आशय के अधीन आता हो, जहां दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पिछले बारह माह की अवधि में किसी भी दिन नियोजित थे।
- ऐसी अन्य स्थापनाएं या स्थापनाओं की श्रेणियां जहां दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हैं या पिछले बारह माह की अवधि में कभी भी नियोजित थे, जैसा कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में उल्लेख करें।
- एक दुकान या स्थापना एक बार व्याप्त हो जाने के पश्चात् लगातार व्याप्त रहेगी, बावजूद इसके कि इसमें नियोजित व्यक्ति किसी भी समय दस से कम हों।

6.85 पात्रता

प्रशिक्षुओं को छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी अपनी मजदूरी के निरपेक्ष उपदान का पात्र होगा यदि उसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक समय की सेवा पूर्ण की हो। उपदान सेवा के समापन पर या तो (i) अधिवर्षिता पर या (ii) सेवानिवृत्ति पर अथवा त्यागपत्र देने पर या (iii) या मृत्यु या दुर्घटना या बीमारी के फलस्वरूप अक्षमता होने पर देय है। सेवा समापन में छंटनी भी शामिल है। हालांकि पांच वर्ष की लगातार सेवा की अनिवार्यता मृत्यु या अक्षमता के कारण समाप्त हुई सेवा हेतु आवश्यक नहीं है । किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसे देय उपदान उसके नामिती को दिया जाएगा और यदि कोई नामांकन नहीं किया गया है तो उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।

6.86 हितलाभों की गणना

नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक पूर्णवर्ष अथवा उसके छः माह से अधिक हो जाने पर अंतिम आहरित मजदूरी की दर से पंद्रह दिन की मजदूरी के उपदान का भुगतान किया जाएगा। अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार किसी कर्मचारी को देय उपदान की राशि केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की गई राशि से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में अधिनियम के तहत यह सीमा 20,00,000/– रुपये है।

6.87 प्रशासन

यह अधिनियम केंद्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों द्वारा लागू किया जाता है। धारा 3 उपयुक्त सरकार को प्राधिकृत करती है कि वह अधिनियम के प्रशासन हेतु किसी अधिकारी को नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करे। केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन खदानों, मुख्य बंदरगाहों, तेल क्षेत्रों, रेलवे कंपनियों तथा स्थापनाएं और ऐसी स्थापनाएं जिनकी एक से अधिक राज्यों में शाखाएं हैं, को केन्द्रीय सरकार नियंत्रित करती हैं। शेष कारखानों तथा स्थापनाओं की देखरेख राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

6.88 अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय/राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियंत्रण प्राधिकारी तथा निरीक्षक नियुक्त करती हैं। अधिनियम के प्रबंधन हेतु केंद्रीय/राज्य सरकारें नियम भी बनाती हैं। महाराष्ट्र में अधिनियम के प्रशासन हेतु विभिन्न स्थानों में श्रम न्यायालयों को नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6.89 माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसरण में अधिनियम के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को व्याप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 2(ङ) के अनुसार 'कर्मचारी' की परिभाषा को उपदान संदाय (संशोधित) अधिनियम, 2009 द्वारा दिनांक 31.12.2009 को अधिसूचित किया गया है जो कि पूर्वव्यापी रूप से अर्थात 3 अप्रैल, 1997 से प्रभावी है।

6.90 दिनांक 29.03.2018 को अधिसूचित उपदान संदाय (संशोधित) अधिनियम, 2018 के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने दिनांक 29.03.2018 की अधिसूचना संख्या सां. आ. 1420(ई) द्वारा उपदान की उच्चतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है जो कि प्रत्याशित रूप से अर्थात् दिनांक 29.03.2018 से प्रभावी है।

अध्याय-7

श्रम कल्याण

श्रम कल्याण (स्वास्थ्य) योजना

7.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण संगठन (i)बीड़ी, (ii) सिने, (iii) लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क, (iv) अभ्रक एवं डोलोमाइट खान कामगारों के कल्याणार्थ संसद के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित कल्याणकारी निधियों का प्रशासन करता है। श्रम कल्याण निधि की अवधारणा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सहायता उपायों को प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा बीड़ी उद्योग में नियोजित कामगारों, कतिपय गैर–कोयला खानों और सिने कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा देख–रेख, शिक्षा और मनोरंजनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पाँच कल्याण निधियां गठित करने हेतु अलग से विधान अधिनियमित किए गए थे।

7.2 कल्याण निधियों की योजना नियोजक और कर्मचारी के विशिष्ट संबंधों के ढाँचे से अलग है, क्योंकि गैर–अंशदायी आधार पर सरकार द्वारा संसाधन जुटाये जाते हैं और कामगार के व्यक्तिगत अंशदान को जोड़े बिना कल्याण सेवाएं प्रभावी की जाती हैं। सैक्टरल पहुंच वाली कामगार निधियां अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त है, जिनकी क्षेत्रीय पहुंच है और जिनके लिये इनमें से अधिकांश कामगार भी पात्र हैं।

7.3 इस योजना का मूल उद्देश्य 50 लाख से अधिक गरीब और निरक्षर बीड़ी/सिने/लौह, मैंगनीज, क्रोम/अभ्रक कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये कामगार समाज के असंगठित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं। इन कामगारों की बहुत निम्न साक्षरता दर, स्वास्थ्य के अपर्याप्त मानदण्ड तथा निम्न प्रतिव्यक्ति आय होती है। यह योजना कामगारों के इस वर्ग के रहन–सहन के मानकों में बढ़ोतरी का माध्यम बनती है।

7.4 संपूर्ण देश में स्थित **10** अस्पतालों और **285** औषधालयों के माध्यम से बीड़ी, सिने और गैर–कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

7.5 बीड़ी/एलएसडीएम/ मिका/ आईओएमसी/ सिने कामगारों और उनके आश्रितजनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित करना।

7.6 लगभग 50 लाख बीड़ी/ एलएसडीएम/ मिका/ आईओएमसी/ सिने कामगारों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

क्र.सं.	स्वास्थ्य योजना	मुख्य विशेषताएं	
1.	बीड़ी, सने और गैर-कोयला कामगारों और उनके परिवारों को देशभर में स्थित 10 श्रम अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान की जाती है।	गंभीर रोग के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त अस्पतालों के अंतर्गत लिए गए विशेषीकृत उपचार के लए व्यय की प्रतिपूर्ति।	
		कैंसर	कामगारों अथवा उनके आश्रितों द्वारा वहन गए गए उपचार, औष धयों और आहार शुल्क पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।

		तपेदिक	कामगारों के लिए तपेदिक अस्पतालों और गृह आधारित उपचार में विस्तरों का आरक्षण उपचार करने वाले चिकित्सक की सलाह के अनुसार 750 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक प्रतिमाह निर्वाह भत्ता अनुमत्य है।
		हृदय रोग	कामगारों को 1,30,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
		गुर्दा प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
		हरनिया, एपेंडोक्टोमी,अलसर, स्त्री रोग और प्रोस्ट्रेट रोग	कामगारों और उनके आश्रितों को 30,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।

7.7 पंजीकृत बीड़ी कामगारों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	कुल
1.	अहमदाबाद	गुजरात	39011
2.	अजमेर	राजस्थान	38791
3.	इलाहबाद	उत्तर प्रदेश	412757
4.	बंगलुरु	कर्नाटक	295501
5.	भुवनेश्वर	ओड़िशा	208212
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	458040
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	440556
8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1829203
9.	गुवाहाटी	असम	24398
10.	कन्नूर	केरल	40276
11.	नागपुर	महाराष्ट्र	155089
12.	पटना	बिहार	296972
13.	रायपुर	छत्तीसगढ़	3893
14.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	603076
15.	रांची	झारखण्ड	136519
	कुल		49,82,294

7.8 श्रम कल्याण संगठन के अध्यक्ष महानिदेशक (श्रम कल्याण) हैं। राज्यों में इन निधियों के प्रशासन के प्रयोजनार्थ उनकी सहायता के लिए सत्रह (17) क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त हैं। प्रत्येक कल्याण आयुक्त के क्षेत्राधिकार को निम्न दर्शाई गई सारणी में बताया गया है:

कल्याण आयुक्त और उनके क्षेत्राधिकार		
क्र.सं.	**क्षेत्र का नाम**	**शामिल किए गए राज्य**
01.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
02.	अहमदाबाद	गुजरात, दीव
03.	अजमेर	राजस्थान
04.	बंगलुरू	कर्नाटक
05.	भुवनेश्वर	ओडिशा
06.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
07.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
08.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन
09.	रांची	झारखंड
10.	पटना	बिहार
11.	रायपुर	छत्तीसगढ़
12.	देहरादून	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम
14.	गुवाहाटी	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम
15.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु, पुदुचेरी
16.	चंडीगढ़	पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर
17.	कुन्नूर	केरल एवं लक्षद्वीप

कौशल विकास कार्यक्रम

7.9 एनएसडीसी और एमओएसडीई के सहयोग से श्रम और रोजगार मंत्रालय सभी 17 श्रम कल्याण क्षेत्रों में वैकल्पिक नौकरी में बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितजनों को नियुक्त करने के लिए उनको कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। दिसंबर 2021 तक कुल 7262 लाभार्थियों ने कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभ उठाया है, जिसमें से 2746 लाभार्थियों को वैकल्पिक नौकरियों में नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, एमओएसडीई और एनएसडीसी के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति ने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) (2016–2020) के अंतर्गत बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितजनों को कौशल विकास के माध्यम से वैकल्पिक व्यवसायों के प्रोत्साहन हेतु विशेष परियोजना 'अनुकूल विकल्प' का भी प्रतिपादन किया है। 'अनुकूल विकल्प' विशेष परियोजना को परियोजना में शामिल करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी कल्याण आयुक्तों

को अग्रेषित किया गया है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

7.10 कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पंजीकृत कामगार को प्रशिक्षण में भाग लेते समय होने वाली मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें वजीफे का भुगतान।
- प्रशिक्षु चाहे कामगार हो या उसका आश्रितजन, उसके निवास–स्थान से **व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी)** तक आने–जाने की यात्रा के खर्च को शामिल करने के लिए यात्रा व्यय।
- यदि कामगार या उसके आश्रितजन को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अपने निवास–स्थान से दूर ठहरने की आवश्यकता हो, तो आवास और भोजन के व्ययों हेतु सहायता।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित वीटीपी में बीड़ी बनाने वालों और उनके आश्रितजनों को प्रशिक्षण दिया जाना।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसके अधीन प्रमाणित कौशल हेतु राष्ट्रीय वैधता वाला प्रमाणन।
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षुओं का स्थापन और ट्रंकिग कि वे प्रशिक्षण के बाद वैकल्पिक रोजगार में बने रहें। वजीफे की अंतिम किस्त का भुगतान, सफल स्थापन और ट्रंकिग की शर्त पर है।
- बीड़ी बनाने वालों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सीधे प्रशिक्षुओं को किए जाने वाले सभी भुगतान ऑनलाइन लेन–देन अर्थात प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किए जाएं।

7.11 कौशल विकास प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम

1. खाता प्रयोक्ता टेली
2. सीएनसी ऑपरेटर
3. होटल मेनेजमेन्ट (फ्रंट ऑफिस एसोसिएट)
4. सिलाई मशीन ऑपरेटर
5. भोजन एवं पेय–पदार्थ सेवा
6. एसी और फ्रिज मैकेनिक
7. ग्राहक देखरेख कार्यपालक
8. सौलर पीवी संस्थापन
9. सिलाई
10. सौलर पैनल संस्थापन
11. सहायक इलैक्ट्रीशियन
12. सहायक सौंदर्य चिकित्सक
13. मूल कम्प्यूटर पाठ्यक्रम
14. सामान्य ड्यूटी सहायक
15. फील्ड तकनीशियन
16. ऑटोमोबाईल मरम्मत
17. नलसाजी
18. प्रसाधक
19. मशरूम की खेती
20. बैंकिंग एवं लेखा–कार्य
21. मेडिकल एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम
22. हस्त–कढ़ाई
23. जैम एवं जैली बनाना
24. कम्प्यूटर हार्डवेयर
25. अचार बनाना
26. सिलाई और फैशन डिजाईनिंग
27. सॉफ्ट टॉय बनाना
28. अगरबत्ती बनाना
29. थैले बनाना
30. एलईडी तकनीशियन
31. सीसीटीवी तकनीशियन

7.12 स्वास्थ्य संघटक के अंतर्गत लाभार्थियों और व्यय का विवरण– सभी क्षेत्रों के लिए समेकित

दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक		दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक (अनुमान)	
व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी
6.81(करोड़)	900114	3.66 (करोड़)	4,51,060

परिशोधित एकीकृत आवास योजना, 2016

7.13 1,50,000 रुपये प्रति लाभार्थी परिवार की सहायकी सहित दिसम्बर, 2016 से नवीकृत आवास योजना (आरआईएचएस, 2016) लागू की गई है। आरआईएसएच, 2016 श्रम कल्याण संगठन (एलडब्ल्यूओ) के साथ पंजीकृत बीड़ी/लौह अयस्क खानों/मैग्नीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क खानों (आईओएमसी) चूना पत्थर अयस्क खानों, डोलोमाइट अभ्रक खानों (एलएसडीएम) और सीने उधोगों में संलग्न कामगारों पर लागू है।

7.14 इस योजना में 25:60:15 के अनुपातों में 3 किश्तों में 1,50,000/– रुपये की सहायता जारी की जाती है (पहली अग्रिम राशि के तौर पर दूसरी लिंटल स्तर पर और तीसरी यह निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि मकानों का निर्माण हर प्रकार से पूरा हो चुका है)।

इस योजना के अंतर्गत सहायता डीबीटी के माध्यम से जारी की जाती है।

परिशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएचएस) के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के दौरान ब्योरा निम्नानुसार है:

दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक		दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक (अनुमान)	
व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी
10.40 (करोड़)	3824	18.72 (करोड़)	6247

आवासीय योजना का अभिसरण

7.15 सचिव (व्यय) की अध्यक्षता के तहत दिनांक 11.05.2018 को आयोजित श्रम कल्याण योजना के मूल्यांकन और निरंतरता हेतु वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (शहरी) के प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के साथ आरआईएचएस के अभिसरण करने की संभावनाओं का पता लगाएगी। समय–सीमा तैयार करने और पारगमन योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया था, जब आरआईएचएस के तहत सभी नई मंजूरी रोक दी जाएगी और आवासीय सहायकी पीएमएवाई द्वारा आहरित की जाएगीआरआईएचएस के तहत जब सभी नई मंजूरी रोक दी जाएगी तब एक पारगमन योजना तैयार की जाएगी और आवासीय सहायकी पीएमएवाई से आहरित की जाएगी। तदनुसार सभी कल्याण आयुक्त को आरआईएचएस के तहत सहायकी की पहली किश्त को जारी करने का और पीएमएवाई के तहत संबंधित खण्डों/शहरी स्थानीय निकायों को लंबित आवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया गया था।

छात्रवृत्ति

7.16 छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बीड़ी/सिने/गैर कोयला खान कामगारों के कार्यों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 250/– रुपये से 15000/– रुपये की राशि प्रदान की जाती है।आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जो सभी केंद्रीय मंत्रालयों की छात्रवृत्ति के लिए सामान्य पोर्टल है।भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान छात्रवृत्ति योजना का विवरण इस प्रकार है:–

दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक		दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक	
व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी
16.89 (करोड़)	1.10 लाख	30 करोड़	2.00 लाख

अध्याय-8

असंगठित कामगार

8.1 असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत गृह आधारित श्रमिक, स्व–नियोजित श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संगठित क्षेत्र का वह श्रमिक भी शामिल है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या संहिता के अध्याय III से VII अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उपदान प्रसूति प्रसुविधा, कर्मचारी प्रतिकर के अंतर्गत शामिल नहीं है।

8.2 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2017–18 में किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आधार पर, देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 47 करोड़ था। इसमें से लगभग 9 करोड़ संगठित क्षेत्र में और बाकी 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक देश में कुल रोजगार का 81 प्रतिशत से अधिक हैं। असंगठित श्रमिकों की एक बड़ी संख्या गृह आधारित है और वे बीड़ी रोलिंग, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, सिलाई और कढ़ाई के काम जैसे व्यवसायों में लगे हैं, इनमें फैरी वाले मीड डे मिल कामगार, बोझा उठाने वाले ईंट भट्टा कामगार, मोची, कूडा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, घरखाता कामगार कृषि कामगार सन्निर्माण कामगार, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार, दृश्य–श्रव्य कामगार और इसी प्रकार के व्यवसायों में लगे कामगार शामिल हैं।

8.3 असंगठित श्रमिक रोजगार के अत्यधिक मौसमी रोजगार चक्र, औपचारिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों की एक कमी और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण और अन्य कल्याण योजनाओं जैसे रूग्ढ़ता और बेरोजगारी भत्ते के अभाव का अक्सर शिकार होते हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान

8.4 असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में मिला दिया गया है। यह संहिता 29.09.2020 से लागू हो गयी है। पहली बार सभी असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। तदनुसार, असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई–श्रम पोर्टल 26.8.2021 को लॉन्च किया गया था, जिसे आधार के साथ जोड़ा गया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार और परिवार के विवरण आदि का विवरण है ताकि उनको रोजगार योग्यता की अधिकतम प्राप्ति हो सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। 31.12.2021 तक, 17 करोड़ से अधिक श्रमिकों को ई–श्रमपोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस पोर्टल के तहत असंगठित क्षेत्र के और कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है: –

1. सभी असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) के केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक आदि शामिल हैं, को आधार से जोड़ा जाएगा।

2. असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करना।

3. यूडब्ल्यू के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण और बाद में अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलायी जा रही योजनाओं का भी एकीकरण।

4. पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों / विभागों / बोर्डों /

एजेंसियों/ केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई के माध्यम से उनके द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।

5. प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता।

6. भविष्य में कोविड–19 जैसे किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना।

8.5 इसके अलावा जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधाओं; वृद्धावस्था सुरक्षा तथा गिग कामगारों तथा प्लेट फार्म कामगारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य लाभों के विषयों पर सामाजिक सुरक्षा स्कीमें प्रदान करने के लिए भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। इन अस्थायी कामगारों को भी आधार के साथ इसी राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा, और ऐसे कामगारों के समूहक गिग एवं प्लेट फार्म कामगारों के कल्याण में अंत्यत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

8.6 कोविड महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों पर अनुभवों से सीखते हुए राज्य सरकार और राज्य भवन कामगार कल्याण बोर्डों को उनके भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों का पंजीकरण करने और राज्यों में उन्हें सामाजिक सुरक्षा स्किमों का लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के पंजीकरण, नवीनीकरण अद्यतन को सुविधाजनक बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के नियम में नोडल अधिकरी का प्रावधान किया जा रहा है ताकि वह पंजीकरण, नवीनीकरण और विवरणों के अद्यतनों के लिए जवाबदेह रहे। इसके अलावा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए लाभों की सुवाह्यता, उनके पंजीकरण, पंजीकरण को समाप्त करने और राज्य में, जहां पर वे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार के रूप में काम कर रहे हैं, लाभ प्राप्त करने की रीति की प्रक्रिया के लिए समर्थकारी प्रावधान नियमों में बनाए जा रहे हैं।

8.7 असंगठित कामगारों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की मुख्य–मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

- सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 109 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के लिए प्रावधान किए गए हैं कि वह असंगठित कामगारों के लाभ के लिए जीवन एवं अपंगता कवर; स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधाओं; वृद्धावस्था सुरक्षा और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य लाभों के लिए स्कीमें बनाने हेतु प्रावधान किए गए हैं और ऐसे ही प्रावधान राज्य सरकार के लिए भी किए गए है कि वे भविष्य निधिः रोजगार चोट लाभ; आवास; बच्चों के लिए शैक्षिक स्कीमें, कामगारों के कौशल उन्नयन; अंतेष्टी सहायता और वृद्धावस्था गृहों के लिए स्कीमें बनाएं।

- सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 109 (3) और (4) में इस प्रावधान के अंतर्गत बनायी गई प्रत्येक स्कीम को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करना अपेक्षित होगा। अधिसूचना में स्कीम का दायरा ,पात्रता शर्त, स्कीम को कार्यान्वित करने वाला प्राधिकारी, स्कीम के लाभार्थी, स्कीम के संसाधन कार्यान्वयन एजेंसी' व्यथा निवारण तंत्र आदि शामिल होंगे।

- ऐसे ही प्रावधान संहिता की धारा 114 में गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के लिए भी बनाए गए हैं।

8.8 केंद्र सरकार ने 2017 में आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) की सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ जोड़ दिया है ताकि असंगठित श्रमिकों के समूह को बीमा कवर प्रदान कियाजासके।योजनाओं के तहत लाभ इस प्रकार हैं–किसी कारण से मृत्यु और स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये। दोनों योजनाओं के लिए वार्षिक प्रीमियम 342/– रुपये (पीएमजेजेबीवाई के लिए 330 रुपये + पीएमएसबीवाई के लिए 12 रुपये) है। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई क्रमशः 18–50 वर्ष और 18–70 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। 31.10. 2021 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत संचयी पंजीकरण क्रमशः 11.67

करोड़ और 26.85 करोड़ है। सितंबर, 2019 में लिए गए भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, परिवर्तित पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों को 1 अप्रैल, 2020 से सब्सिडी व्यवस्था से पूर्ण प्रीमियम भुगतान में परिवर्तित किया जाना है। इन योजनाओं को सीधे बैंकों के माध्यम से लागू और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

8.9 प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम): भारत सरकार ने असंगठित कामगारों का वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम–एसवाईएम) के नाम में असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन 15 फरवरी, 2019 से आरम्भ हो चुका जिसका औपचारिक शुभारंभ 5.5.2019 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया। 31.12.2021 तक 45.90 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं।

8.10 असंगठित कामगार अधिकतर घरेलू आधारित कामगार, गलियों में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कामगार, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टे कामगार, मोची, कचरा चुनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शाचालक, भूमिहीनमजदूर, स्वयं खाता कामगार, दृश्य – श्रव्य कामगार और इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों में कार्यरत कामगार,इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यह 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित कामगारों के लिए उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 15000/– रूपये अधिक नहीं है। इसके अलावा उसे नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह आयकरदाता न हो। लाभार्थियों का मासिक अंशदान उनके प्रवेश की आयु के आधार पर 55/–रुपये से लेकर 200/–रुपये प्रतिमाह होगा। केन्द्र सरकार द्वारा भी समान अंशदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पहले महीने की अंशदान की राशि का भुगतान नकद किया जा रहा है और बाद के महीनों के अंशदान का भुगतान संबद्ध बैंक खाते के माध्यम से आटो डेबिट होता है।

8.11 प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन में नामांकन देश भर में फैले कॉमन सेवा केन्द्रों के 4 लाख केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति पोर्टल www.maandhan.in पर जा कर भी अपना नामंकन कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन निधि प्रबंधक है और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

8.12 इस योजना की मुख्य बातें निम्नवत हैं:–

1. 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर न्यूनतम 3000/– रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी।
2. पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवन साथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50%, परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।
3. यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है (60 वर्ष की आयु से पहले) तब उसका जीवन साथी नियमित अंशदान का भुगतान करने पर योजना में शामिल होने और बने रहने या योजना को छोड़ने के प्रावधान के अनुसार योजना को छोड़ सकता है और योजना से यथा लागू ब्याज सहित रकम निकालने का हकदार होगा।

8.13 व्यापारियों, दुकानदारों और स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना: व्यापारियों, दुकानदारोंऔर स्व –नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (पूर्व में इसका नाम प्रधान मंत्री कर्मयोगी था) का शुभारंभ 12.09.2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना की पात्रता और अन्य बातें पीएम–एसवाईएमो योजना के समान हैं। यह भी स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना में वार्षिक बिक्री 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए और अंशदाता ईपीएफओ /ईएसआईसी /एनपीएस /पीएम–एसवाईएम का सदस्य न हो और वह आय कर दाता न हो। 31.12.2021 तक 47,000 से अधिक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं।

इस स्कीम का कार्यान्वयन भारतीय जीवन कीमा निगम और कॉमन सेवा केन्द्रों– एसपीवी के माध्यम से किया जा

रहा है। लाभार्थियों का नामांकन देश भर में फैले कॉमन सेवा केन्द्रों के 4 लाख केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति पोर्टल www.maandhan.in पर जा कर भी अपना नामंकन कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन निधि प्रबंधक है और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

8.14 मिशन मोड के तहत पहल करने के लिए मंत्रालय में इन योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में दोनों योजनाओं के तहत असंगठित क्षेत्र के और अधिक श्रमिकों को शामिल किया जाएगा। एग्जिट मॉड्यूल, डोनेट–ए–पेंशन मॉड्यूल आदि पर इस मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचारकिया जा रहा है और इन मॉड्यूलों के शीघ्र ही प्रारम्भ होने की संभावना है। इसके अलावा www.maandhan.in के साथ ई–श्रमपोर्टल के एकीकरण की संभावना भी तलाशी जा रही है ताकि ई–श्रमपंजीकरण के लिए आने वाले पात्र असंगठित श्रमिकों को भी पीएम–एसवाईएमपेंशन योजना के तहत एक साथ नामांकित किया जा सके।

8.15 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार

सन्निर्माण कामगार असंगठित क्षेत्र में कामगार की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक हैं। वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, एमओएसपीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 5.02 करोड़ श्रमिक निर्माण कार्य में नियोजित हैं। सरकार ने सन्निर्माण कामगारों के लिए निम्नलिखित विधान अधिनियमित किए हैं: –

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;

8.16 इसके अलावा, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर नियम 1998 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्ते) केन्द्रीय नियम, 1998 क्रमशः दिनांक 26.03.1998 एवं 19.11.1998 को अधिसूचित किए जा चुके हैं।

8.17 ये विधान राज्य स्तर पर गठित राज्य कल्याण बोर्डों के माध्यम से सन्निर्माण कामगारों के लिए, रोजगार एवं सेवा शर्तों, सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपायों को विनियमित करने के प्रावधान करते हैं। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा राज्य कल्याण बोर्डों का गठन किया गया है। तमिलनाडु सरकार अपना स्वयं का अधिनियम लागू कर रही है। कल्याणकारी उपायों का वित्त–पोषण नियोक्ता द्वारा निर्माण कार्य पर किए गए व्यय पर उपकर लगाकर किया जाता है (सरकार द्वारा एक प्रतिशत उपकर अधिसूचित किया गया है)।

8.18 इस प्रकार एकत्र किए गए धन का उपयोग पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। लगभग 78521.24 करोड़ रुपए (संचयी) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपकर के रूप में एकत्रित किए गए हैं और लगभग 35399.40 करोड़ रुपए (संचयी) की राशि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों हेतु कल्याणकारी स्कीमों पर खर्च की गई है।

8.19 अधिनियम के विधिवत् कार्यान्वयन के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को समय–समय पर निर्देश जारी करती रही है इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भवन और अन्य निर्माण, विशेष तौर पर अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रगणित कल्याण योजनाओं के लिए राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा उपकर निधि को उपयोग करने के संबंध में सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह निगरानी समिति समय–समय पर राज्य/संघ शासित श्रम विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ बैठक आयोजित करती है।

8.20 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (आरईसीएस) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का कार्यान्वयन सन्निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधार हेतु मैसर्स राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम संघ भारत एवं अन्य के बीच रिट

याचिका (सिविल) संख्या 2006 की 318 में माननीय न्यायालय की गहन जांच के अधीन था। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 19 मार्च, 2018 के निर्णय और 04.10.2018 के आदेश के अनुसरण में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार तथा कार्ययोजना (कार्यान्वयन तंत्र की मजबूती के लिए) आदर्श स्कीम बनाई गई और उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया। यह आदर्श स्कीम मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार बीओसी डब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ ढांचा तैयार किया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार सामाजिक लेखा–परीक्षा कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

8.21 मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) तैयार किया गया था और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को एमएमपी को तुरंत लागू करने की सलाह के साथ अग्रेषित किया गया था ताकि उन सभी बीओसी श्रमिकों को पंजीकृत किया जा सके जो राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पंजीकृत बीओसी कार्यकर्ताओं को राज्य कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र/राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएम–जेएवाई (आयुष्मान भारत) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएम–जीवन ज्योति बीमा योजना,पीएम–सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से जीवन और विकलांगता कवर और पीएम–श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन पेंशन और बीओसी कामगारों के कल्याण के लिए उपकर निधि का उपयोग करके बेरोजगारी, बीमारी, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निर्वाह भत्ताका लाभ मिले।

8.22 बीओसीडब्ल्यू और आयुष्मान भारत पीएम–जेएवाई के एकीकरण का मामला प्रक्रिया में है ताकि सभी बीओसी श्रमिकों को आयुष्मान भारत पीएम–जेएवाई के दायरे में लाया जा सके और इसलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड और राज्य स्तर पर उक्त एकीकरण के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां (एसएचए) विभिन्न विचार–विमर्शों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। चरण–I में, बिहार, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई) के लाभों को उन भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) और उनके परिवारोंतक पहुंचाने से संबंधित योजना को लागू करना शुरू कर दिया हैजो राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा, अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसे चरण–।। में शुरू करने की सलाह दी गई है।

8.23 बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 60 के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासकों, सभी प्रधान सचिव/सचिव/श्रम आयुक्त; और, सभी बीओसीडब्ल्यू राज्य कल्याण बोर्डों के सचिवों को राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों को नकद सहायता के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के उपयोग और लाभ के वितरण पर प्रतिबंध के संबंध मेंएक आदेश जारी किया गया है।उक्त आदेश, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश देता है कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत कोई भी मौद्रिक सहायता केवल लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी और प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, आग, व्यावसायिक खतरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं या इसी तरह के अन्य संकट की असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अन्य किसी रूप में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा तथा इसे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और श्रम महानिदेशक,भारत सरकार को सूचना देते प्रदान किया जाएगा।

8.24 भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर, अधिनियम, 1996 को निरस्त कर दिया गया है और परिणामस्वरूप व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता में शामिल कर लिया गया है।

2020 (ओएसएच संहिता, 2020) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (SS कोड, 2020) क्रमशः, जिन्हें 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है।

8.25 वर्तमान महामारी अवधि में भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कामगारों (बीओसीडबल्यू) के वित्तीय संकट को कम करने और उन्हें कोविड–19 महामारी तथा देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आर्थिक व्यवधानों से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता, खाने के पैकेट और अन्य लाभ देने के लिए कई उपाय किए हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकत्र उपकर निधि से सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी मोड) के माध्यम से सन्निर्माण कामगारों के बैंक खातों में पर्याप्त निधि अंतरित करने हेतु स्कीम बनाने के लिए 24.03.2020 को परामर्शी दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इसके उत्तर में कोविड–19 की पहली लहर के दौरान, राज्य कल्याण बोर्डों ने संचयी रूप से लॉक डाउन और तत्पश्चात प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत 1.83 करोड़ बीओसी कामगारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 5618करोड़ रुपये से अधिक रूपये वितरित किए गए। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपकर निधि से लगभग 30 लाख कामगारों को खाद्य सहायता पैकेज भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान, 1.23 करोड़ बीओसी कर्मचारियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1795 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

प्रवासी कामगार और अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार

8.26 प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, केंद्र सरकार ने भारत के भीतर नौकरियों के लिए प्रवास करने वाले प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवाओं की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है। रोजगार के बेहतर अवसर। अधिनियम में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों के लाइसेंस आदि का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय आवास, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि का भुगतान प्रदान किया जाना है।

8.27 अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है और संहिता को 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त कोड जिसे आमतौर पर ओएसएचकोड के रूप में जाना जाता है, काम करने की अच्छी स्थिति, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, कौशल में वृद्धि और प्रवासी श्रमिकों सहित सभी श्रेणी के संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। संहिता हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होती है जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन 10 या अधिक अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं या कार्यरत थे।

8.28 हालांकि, ओएसएच कोड सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को लागू होगा। ओएसएच कोड के लागू होने से अंतर–राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और शर्तें सेवाओं का विनियमन) अधिनियम, 1979 निरसित हो जाएगा। अध्याय XI (भाग–II) की धारा 59–65 में आईएसएम डब्ल्यू कामगारों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।

8.29 ओएसएच कोड, 2020 में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक प्रतिष्ठान में कार्यरत है:– (i) नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक राज्य में स्थित ऐसे प्रतिष्ठान में रोजगार के लिए ठेकेदार के माध्यम से भर्ती किया गया है। दूसरे राज्य में या (ii) एक राज्य से अपने दम पर आया है और दूसरे राज्य की स्थापना में रोजगार प्राप्त किया है या बाद में गंतव्य राज्य के भीतर इस तरह के रोजगार के लिए एक समझौते या अन्य व्यवस्था के तहत प्रतिष्ठान को बदल दिया है और राशि से अधिक नहीं मजदूरी प्राप्त करता है 18000/–रुप्ये प्रति माह।

8.30 एक अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों जैसे ईपीएफओ,

ईएसआईसी, बीमा, पेंशन और अन्य लाभों का हकदार है जो राज्य में किसी भी प्रतिष्ठान में समान रूप से रखे गए श्रमिकों के लिए उपलब्ध हैं।

8.31 ओएसएच संहिता, 2020 (धारा 59 से 65) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: –

(क) अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करने वाले एक प्रतिष्ठान के ठेकेदार/नियोक्ता को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काम की उपयुक्त स्थिति सुनिश्चित करनी होगी कि प्रवासी श्रमिक को अपने राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में काम करना आवश्यक है।

(ख) घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट के मामले में, नियोक्ता/ठेकेदार को दोनों राज्यों के निर्दिष्ट अधिकारियों और कार्यकर्ता के करीबी रिश्तेदारों को भी रिपोर्ट करना होगा।

(ग) प्रवासी कर्मचारी ईएसआईसी, ईपीएफओ और अन्य लाभों सहित उस प्रतिष्ठान के नियमित कर्मचारी को उपलब्ध सभी लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र है।

(घ) वह वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता के लिए पात्र है।

(ङ) वह अपने मूल राज्य या गंतव्य राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभों के लिए पात्र है, जहां वह कार्यरत है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नामक पहल के तहत।

(च) यदि वह भवन और अन्य निर्माण (बीओसी) कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है तो वह उपकर निधि से परिभाषित लाभों के लिए पात्र है।

(छ) एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का प्रावधान है।

(ज) अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के अध्ययन का भी प्रावधान है।

(झ) पिछले दायित्व के ऋण की वसूली के लिए न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही प्रवासी कामगार के खिलाफ रोजगार पूरा होने के बाद नहीं होगी।

8.32 अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन का मुख्य उत्तरदायित्व क्रमशः केंद्रीय एवं उन राज्य सरकारों के क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होगी।

8.33 प्रवासी अभिगमन की समस्या को रोकने के लिए ग्रामीण विकास, बेहतर बुनियादी सुविधाओं के विकास के प्रावधान, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए संसाधनों के समानुपाती वितरण, रोजगार सृजन, भूमि सुधार, साक्षरता में वृद्धि, वित्तीय सहायता आदि जैसे बहुआयामी उपायों के माध्यम से प्रयास करने होंगे। राज्य स्तर पर बेहतर रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (इंदिरा आवास योजना) आदि प्रारम्भ की गई हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण लोगों को 100 दिनों के गारंटित रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है।

8.34 कोविड–19 की पहली लहर के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अपने गृह राज्य लौटने वाले अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की संख्या 1,14,30,968 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं:–

क्र. सं	राज्य का नाम	प्रवासी श्रमिकों की संख्या जो अपने गृह राज्य लौट आए हैं*
1	आंध्र प्रदेश	32,571
2	अण्डमान और निकोबार	4,960
3	अरुणाचल प्रदेश	2,871
4	असम	4,26,441
5	बिहार	15,00,612

6	चंडीगढ़	39230
7	छत्तीसगढ	526900
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	43,747
9	दिल्ली	2,047
10	गोवा	85620
11	गुजरात	0
12	हरियाणा	1,289
13	हिमाचल प्रदेश	18,652
14	जम्मू और कश्मीर	48,780
15	झारखंड	5,30,047
16	कर्नाटक	1,34,438
17	केरल	3,11,124
18	लद्दाख	50
19	लक्षद्वीप	456
20	मध्य प्रदेश	7,53,581
21	महाराष्ट्र	1,82,990
22	मणिपुर	12,338
23	मेघालय	4,266
24	मिजोरम	8446
25	नागालैंड	11,750
26	उड़ीसा	853,777
27	पुदुचेरी	1,694
28	पंजाब	5,15,642
29	राजस्थान	13,08,130
30	सिक्किम	33,015
31	तमिलनाडु	72,145
32	तेलंगाना	37,050
33	त्रिपुरा	34,247
34	उत्तर प्रदेश	32,49,638
35	उत्तराखंड	1,97,128
36	पश्चिम बंगाल	13,84,693
	कुल	**1,14,30,968**

**** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।***

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

8.35 2021 का लॉकडाउन प्रकृति में स्थानीय, बिखरा हुआ और चयनात्मक रहा है और जिसमें अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी और इसलिए, पूरे देश में स्थिति बहुत सामान्य थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान केवल 5,17,332 अंतर–राज्यीय प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों में लौटे। उनमें से अधिकांश वास्तव में फसल काटने, शादी, छुट्टी के लिए लौट आए, जिसे हर साल नियमित आंदोलन कहा जा सकता है और निश्चित रूप से पलायन नहीं।

8.36 26 अगस्त 2021 को मंत्रालय ने सभी असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए ई–श्रम पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें प्रवासी कामगार भी शामिल हैं। यह पोर्टल मौजूदा और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएम–एसबीवाई, पीएम–जेजेबीवाई, पीएम–एसवाईएम आदि के वितरण के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में काम करेगा।

कोविड –19 महामारी के दौरान आजीविका की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय

8.37 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उठाए गएकदमः

क) 1 अक्तूबर, 2020 से लागू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत कोविड–19 के दौरान, रोजगार की बहाली तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार के निर्माण के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया गया।

ख) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), केतहत 100 कर्मचारियों तक वाले प्रतिष्ठानों के लिए जिसमें 90% कर्मचारियों की कमाई 15000 रू. से कम है, मार्च से अगस्त, 2020 के मजदूरी माह के लिए, सरकार द्वारा 12% नियोक्ता का हिस्सा और 12% कर्मचारियों के हिस्से्दोनों का भुगतान किया गया।

ग) तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के वैधानिक पीएफ योगदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया।

घ) कर्मचारी भविष्यौ निधि विनियमों को महामारी को सम्मिलित करने के लिए संशोधित किया गया जिस कारण से उनके खातों से 75% की गैर वापसी अग्रिम राशि या तीन माह की मजदूरी, जो भी कम हो,की अनुमति प्रदान की जा सके।

ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भवन और अन्यनिर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 के तहत बीओसी श्रमिकों के बैंक खाते में धन के हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करने की सलाह दी गई। इसकी प्रतिक्रिया में, कोविड –19 की पहली लहर के दौरान, 1.83 करोड़ बीओसीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं को 5618 करोड़ रुपये वितरित किए गए और दूसरी लहर के दौरान 1.23 करोड़ श्रमिकों को 1795 करोड़ रूपयों का वितरण किया गया।

च) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा बेरोजगारी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं इसे कोविड –19 महामारी के कारण औसत कमाई का 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया जो कि रोज़गार खोने वाले बीमित श्रमिकों के लिए पात्रता शर्तों में रियायत के साथ 90 दिनों तक देय है।

छ) ईएसआईसी योजना के तहत बीमित व्यक्ति (आईपी) के परिवारों को सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईपी के सभी निर्भर परिवार के सदस्य जिन्होंने कोविड–19 बीमारी का पता लगने से पहले अपना ईएसआईसी पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया था तथा बाद में इस बिमारी से मौत हो गई थी, वो कतिपय पात्रता शर्तों के अध्यधीन श्रमिकों द्वारा लिए गए दैनिक भत्ते के 90% के बराबर आश्रित पेंशन का हकदार होगा।

ज) ईपीएफओ एम्लो एि इज डिपोजिट लिंक्डक इंश्योरेंस स्किम के तहत कर्मचारी के काम के दौरान मौत के मामले में परिवार के सभी जीवित निर्भर सदस्य ईडीएलआई के लाभों को पाने के हकदार होंगे। मृतक

कर्मचारी के परिवार के सदस्य के लिए लाभ की अधिकतम राशि रूपये 6 लाख से बढ़ाकर रूपये 7 लाख कर दी गई है।

झ) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)/सीएलसी (केंद्रीय) कार्यालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्रमिकों की शिकायतों मुख्यकतः मजदूरी से संबंधित तथा प्रवासी श्रमिक मुद्दों का निवारण करने के लिए 11.04.2021 को अखिल भारतीय आधार पर 20 कंट्रोल रूम स्थापित किये गए थे।

8.38 अन्य मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमः

क) मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रू.से बढ़ाकर 202 रु. प्रतिदिन कर दिया गया है, जोकि 01.04.2020 से प्रभावी है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।

ख) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए), के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण अवसंरचना को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पहल कि गई हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे विशेषकर प्रवासी कामगारों के लिए। पीएमजीकेआरए 125 दिनों के मिशन मोड अभियान में 6 राज्यों के 116 जिलों को कवर करता है।

ग) पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेन्डरर्स के लिए अपने व्यवसायों को पुनः चालू करने के लिए जो कि कोविड–19 महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/– हजार रुपये जमानत मुक्त कार्यशील पूंजीगत ऋण की सहायता देने के लिए प्रारंभ की गई है।

घ) सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में कोविड–19 से निपटने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 30.03.2020 से एक बीमा योजना आरंभ की गई ताकि लगभग 22.2 लाख जन स्वास्थ्य देख–रेख प्रदाताओं ो 50 लाख रु0 का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर उपलब्ध कराया जा सके।

ङ) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। इस योजना को मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

च) प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत वर्ष 2020–21 में देय 2000 रूपये की पहली किश्त का भुगतान सबसे पहले अप्रैल,2020 में ही कर दिया गया जिसके तहत 8.7 करोड़ किसानों को कवर किया गया।

छ) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कुल 20.40 करोड़ (लगभग) महिला खाता धारकों को 3 माह के लिए 500 रुपये प्रति माह की अनुदान राशि दी गई।

ज) लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को 1000रू. प्रत्येक की राशि प्रदान की गई।

झ) स्वयं–सहायता समूहः 63 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए, जो 6.85 करोड़ परिवारों की सहायता करते है, जमानत मुक्त ऋण की राशि की सीमा को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया।

अध्याय-9

बंधुआ मज़दूर

9.1 बंधुआ मजदूरी प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन से दिनांक 25.10.1975 से पूरे देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त कर दी गई है। इस ने सभी बंधुआ मजदूरों के कर्ज को परिसमाप्त करते हुए उन्हें एक एकपक्षीय आधार पर दासता से मुक्त कर दिया। इसने बंधुआ प्रथा को संज्ञेय अपराध बनाया है जो कानून द्वारा दंडनीय है।

9.2 अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:–

- इस अधिनियम के प्रारंभ से, बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन हो गया और प्रत्येक बंधुआ मजदूर स्वतंत्र हो गया है और किसी प्रकार की भी बंधुआ मजदूरी करने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया।
- कोई ऐसी प्रथा, अनुबंध या किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज जिनके आधार पर कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य था, उन्हें अवैधानिक घोषित कर दिया गया।
- बंधुआ ऋण को चुकाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया।
- बंधुआ मजदूरों की गिरवी आदि रखी गई संपत्ति को इससे मुक्त कर दिया गया।
- मुक्त बंधुआ मजदूर को उस कृषि फार्म या या अन्य आवासीय परिसर से निष्कासित नहीं किया जाना था जिस पर वह बंधुआ मजदूरी के हिस्से के रूप में वहां रह रहा था।
- जिला न्यायाधीश को कुछ कर्तव्यों और दायित्वों के साथ इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के साथ इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।
- जिला और उप–प्रभागीय स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाना अपेक्षित है।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना, जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, की सजा दी जा सकती है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारियों की शक्तियों को कार्यकारी दंडाधिकारियों को प्रदत्त किया जाना आपेक्षित है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई संक्षेप में की जा सकती है।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 2016

9.3 मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए श्रम मंत्रालय ने मई, 1978 में केंद्रीय प्रायोजित योजना का शुभारंभ किया। मूलतः इस योजना के अंतर्गत 4000/– रुपये की पुनर्वास सहायता राशि प्रति मुक्त बंधुआ मजदूर उपलब्ध करवाई गई जो कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर साझा की गई; सात पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, यदि वे अपना हिस्सा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत होगी।

9.4 तत्पश्चात 2016 में, दिनांक 17.05.2016 से योजना का नवीकरण किया गया जिसका नाम बंधुआ मजदूर के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना 2016 है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न अनुसार हैं:

- मुक्त बंधुआ मजदूर के लिए वित्तीय सहायता प्रति वयस्क लाभार्थी 20,000/– रुपये से एक लाख रूपये तक बढ़ाई गई है, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसेकि अनाथ या संगठित और बलात भीख मांगने वाले क्षेत्रों या बलात बाल श्रम के अन्य रूपों से बचाए गए बच्चों सहित बच्चों और महिलाओं के लिए 2 लाख रूपये और वंचित या अधिकार विहीनता के चरम मामलों, जैसे विपरीत लिंगीय, प्रत्यक्ष यौन शोषण जैसे कि वेश्यालयों, मसाज पार्लरों, प्लेसमेंट एजेंसियों आदि से छुड़वाए गए

ट्रांसजेंडरों, बच्चों और औरतों के मामलों में या तस्करी या विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के मामलों में या ऐसी परिस्थितियों में, जहां जिला मजिस्ट्रेट सही समझें, तीन लाख रूपये तक बढ़ाई गई है।

- राज्य सरकारों से नकद पुनर्वास सहायता के उद्देश्य से समरूप अंशदान का भुगतान अपेक्षित नहीं है।
- इस योजना में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण करवाने के लिए राज्य सरकारों को 4.50 लाख रूपये प्रति संवेदनशील जिला, मूल्यांकन अध्ययन के लिए 1 लाख (प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच मूल्यांकन अध्ययन) और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति राज्य प्रति वर्ष 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सर्वेक्षण करने, जागरूकता पैदा करने तथा मूल्यांकन अध्ययन के लिए केंद्र सरकार अपेक्षित राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम देगी।
- पुनर्वास सहायता जारी करना आरोपी की दोष सिद्धि के साथ जोड़ा गया है। तथापि आपराधिक कार्रवाई के होते हुए भी जिला प्रशासन द्वारा मुक्त बंधुआ मजदूर को 20,000/– रूपये तक की त्वरित सहायता प्रदान की जा सकती है। आगे उन मामलों में जहां परीक्षण समाप्त नहीं हुआ है, परन्तु जिला प्रशासन प्रथम दृष्टया निष्कर्ष तथा बंधुआ होने के साक्ष्य पर पहुंच गया है, तब दोष सिद्धि के विवरण के अभाव में वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को नहीं रोका जाएगा। तथापि नकद सहायता तथा गैर–नकद सहायता का अंतिम संवितरण बंधुआ होने के साक्ष्य तथा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अन्य विधिक परिणामों के आधार पर किया जाएगा।
- यह योजना मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल मदद देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के निस्तारण पर उपलब्ध न्यूनतम रूपए 10 लाख रूपये की स्थायी धनराशि से प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि बनाने का प्रावधान करती है।
- उपरोक्त लाभ राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अन्य भूमि और आवास घटकों के अतिरिक्त हैं।

आदिनांक कुल 3,13,962 बंधुआ मजदूरों को रिहा किया जा चुका है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 9921.70 लाख रुपये जारी/प्रतिपूर्ति की गई है।

सर्वेक्षण, जागरूकता उत्पन्न करने और मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 1095.45 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की गई हैं।

बंधुआ मजदूर के पुनर्वास – 2016 के लिए उपरोक्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना एक सतत योजना है और पूरे देश के हर हिस्से से बंधुआ मजदूर प्रणाली के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके विस्तार की आवश्यकता है। योजना को दिनांक 31.03.2021 से आगे बढ़ाने के लिए, मानव विकास संस्थान (आईएचडी) द्वारा 15.57 लाख रु. का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन आयोजित किया गया है। मूल्यांकन अध्ययन की मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- योजना को जारी रखा जाना चाहिए और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। यह योजना तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक बंधुआ मजदूरी प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती।
- योजना के डिजाइन में बदलाव की सिफारिश की जाती है। पुनर्वास राशि के भुगतान को दोषसिद्धि से अलग किया जाए।
- अंतर–राज्यीय प्रवासियों जिन्हें गंतव्य राज्यों से रिहा किया गया है और उनके मूल राज्यों में पुनर्वास किया गया है, के लिए तौर–तरीके और एसओपी तैयार करना।
- खाता खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैंकों को दिशा–निर्देश देने के लिए आर.बी.आई के साथ बातचीत शुरू करना
- कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जिला स्तर पर और नीचे के पदाधिकारियों के लिए जागरूकता निर्माण
- विभिन्न राज्यों में डेटा कैप्चर,जो नीचे से ऊपर की ओर बहती है, करने में एकरूपता।

9.5 राज्य सरकार के अधिकारियों, सतर्कता समितियों आदि को कानूनी प्रावधानों और पुनर्रचित केंद्रीय योजना एवं इसकी निगरानी करने और प्रगति के मूल्यांकन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य सरकारों, भारतीय मजदूरी संघों और अन्य पणधारियों के सहयोग से कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं हैं।

अध्याय-10

ठेका श्रमिक

10.1 ठेका श्रमिक सामान्यतः उन कामगारों को कहा जाता है कि जिन्हें उपयोक्ता उद्यमों के लिए ठेकेदार द्वारा काम पर लगाया जाता है। यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण एवं बढ़ता हुआ स्वरुप है। इन कामगारों की संख्या करोड़ों में है और ये मुख्य रूप से कृषि कार्यों, बागानों, निर्माण उद्योग, पत्तनों एवं गोदियों, तेल क्षेत्रों, कारखानों, रेलवे, जहाजरानी, विमान सेवा, सड़क परिवहन आदि के कार्य में लगे हैं।

10.2 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 इन कामगारों के हितों की रक्षा करने और संरक्षण देने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान/ठेकेदार पर लागू होता है जिसमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। यह सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय प्राधिकरणों पर भी लागू होता है।

10.3 केन्द्र सरकार का रेलवे, बैंकों, खानों आदि जैसे प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण है तथा राज्य सरकारों का उस राज्य में स्थित ईकाइयों पर नियंत्रण होता है।

10.4 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों से उन्हें संदर्भित किए गए अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर संबंधित सरकारों को सलाह देने के लिए 'समुचित' सरकारों की हैसियत से केन्द्रीय तथा राज्य ठेका श्रम सलाहकार बोर्डों का गठन किया जाना अपेक्षित है। ये बोर्ड उचित मानी जाने वाली समितियों का गठन करने के लिए प्राधिकृत होते है।

10.5 केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड (सीएसीएलबी) एक सांविधिक निकाय है जिसकी संरचना त्रिपक्षीय तथा प्रकृति अर्ध–न्यायिक है। इसके गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष है। वर्तमान केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन 29 मई, 2019 को किया गया है और वर्तमान सीएसीएलबी (बोर्ड) का कार्यकाल दिनांक 28.05.2022 तक है। आदिनांक तक, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड की 99 बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

10.6 प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं ठेकेदार, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, को ठेका कार्य कराने के लिए पंजीकरण कराना/लाइसेंस लेना होता है। ठेका श्रमिकों की मजदूरी, कार्य के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हितों को संरक्षित रखा जाता है। ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं तथा कार्य करने के स्थान पर पीने के पानी आदि जैसी अन्य मूलभूत आवश्यकताएं शामिल हैं। मजदूरी तथा अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी मुख्यतः ठेकेदार की होती है और चूक होने पर यह जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की होती है।

10.7 केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) एवं उसके अधिकारियों को अधिनियम के उपबंधों एवं उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

10.8 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 ओएसएच अधिनियम, 2020 में शामिल किया गया और इस संहिता को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया, (धारा 45 से धारा 58 तक) तथापि यह संहिता केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू की जाएगी। ओएसएच संहिता में ठेका श्रमिकों के संबंध में संहिता की प्रयोज्यता के उद्देश्य से किसी भी प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिकों की संख्या की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। ओएसएच संहिता में एक प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यकलाप को किसी भी कार्यकलाप के रूप में परिभाषित किया गया है ऐसे जिसके लिए प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है और इसमें कोई भी कार्यकलाप शामिल है जो ऐसे कार्यकलाप के लिए अनिवार्य या आवश्यक है। निम्नलिखित कार्यकलापों को अनिवार्य या आवश्यक कार्यकलाप नहीं माना जाएगा, यदि इस तरह के कार्यकलापों के लिए प्रतिष्ठान स्थापित नहीं किया गया है, अर्थात्: –

(i) सफाई कार्य, जिसमें झाड़ू लगाना, सफाई करना, डस्टिंग और सभी प्रकार के कचरे का एकत्रण और निपटान;

(ii) सुरक्षा सेवाओं सहित निगरानी और चौकसी सेवाएं;

(iii) कैंटीन और खानपान सेवाएं;

(iv) लोडिंग और अनलोडिंग कार्यकलाप;

(v) अस्पतालों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, गेस्ट हाउसों, क्लबों और इसी तरह के अन्य संस्थान जहां वे एक प्रतिष्ठान की सहायता सेवाओं की प्रकृति में हैं;

(vi) कूरियर सेवाएं जो एक प्रतिष्ठान की सहायक सेवाओं की प्रकृति में हैं;

(vii) रखरखाव सहित सिविल और अन्य निर्माण कार्य;

(viii) बागवानी और लॉन का रखरखाव और अन्य इसी तरह के कार्यकलाप;

(ix) हाउसकीपिंग और लॉन्ड्री सेवाएं, और इसी तरह के अन्य कार्यकलाप, जहां ये एक प्रतिष्ठान की सहायक सेवाओं की प्रकृति के हैं;

(x) एम्बुलेंस सेवाओं सहित परिवहन सेवाएं;

(xi) अनिरंतर प्रकृति का कोई कार्यकलाप, भले ही वह किसी प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यकलाप हो।

10.9 व्यवसाय करने में सुगमता के संवर्धन तथा विभिन्न प्ररुपों/रिपोर्टों/विवरणियों की विविधता और दोहराव को समाप्त करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 28 मार्च, 2017 को भारत के सरकारी राजपत्र में "कतिपय श्रम कानून नियम, 2017 के अंतर्गत प्ररूपों तथा रिपोर्टों का यौक्तिकीकरण" अधिसूचित किया है। इसके परिणामस्वरूप, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का 37), अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 (1979 का 30) तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) अधिनियम,1996 (1996 का 27) के अंतर्गत निर्धारित प्ररूपों तथा रिपोर्टों की संख्या 36 से घटाकर 12 कर दी गई है।

10.10 उपर्युक्त तीन अधिनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्ररूपों को और सरलीकृत करने तथा उनकी संख्या कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने कतिपय श्रम कानून (संशोधन) नियम, 2017 के अंतर्गत दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के जीएसआर 1593 (अ) के माध्यम से प्ररूपों तथा रिपोर्टों का यौक्तिकीकरण भी अधिसूचित किया है जिसमें प्रतिष्ठान के पंजीकरण से संबंधित अन्य प्ररूपों को घटाकर कुल 8 तथा एकीकृत वार्षिक विवरणी दाखिल करने की संख्या 2 कर दी है। अब उपर्युक्त तीन अधिनियमों के अंतर्गत विहित प्ररूपों और रिपोर्टों/विवरणियों की संख्या 44 से घटाकर 14 कर दी है।

10.11 सरकार के "डिजीटल इंडिया" प्रयास को और आगे ले जाते हुए तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं की नागरिकों को उपलब्धता इलैक्ट्रॉनिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निम्नलिखित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:

I. उपर्युक्त तीन अधिनियमों के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल पर एकीकृत वार्षिक विवरणी अनिवार्यतः ऑनलाइन दाखिल करने हेतु अधिसूचना(एं) जीएसआर 1593 (अ) से जीएसआर 1596 (अ) के माध्यम से दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के सरकारी राजपत्र द्वारा अधिसूचित की गई हैं।

ii. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 का प्रकाशन 4 सितम्बर, 2018 के सरकारी राजपत्र की अधिसूचना जीएसआर 828 (अ) के माध्यम से किया गया ताकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) अधिनियम,1996 (1996 का 27) के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए आवेदन(नों) को दाखिल करना और पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्रदान करना अनिवार्यतः श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सके।

iii. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का 37) और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 (1979 का 30) के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने और पंजीकरण का प्रमाण–पत्र/लाइसेंस जारी करने को दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के सरकारी राजपत्र की अधिसूचना(एं) जीएसआर 1125(अ) और जीएसआर 1126 (अ) के माध्यम से श्रम सुविधा पोर्टल पर अनिवार्य बनाया गया है।

10.12 ठेका श्रम बोर्ड की अंतिम बैठक दिनांक 16.11.2021 को विडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी।

अध्याय-11

महिलाएं एवं श्रम

महिला श्रमिकों की भूमिका

11.1 भारत के श्रमबल में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में महिला कामगारों की कुल संख्या 149.8 मिलियन है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला कामगार क्रमशः 121.8 और 28.0 मिलियन है (स्रोतः 2011 की जनगणना)। कुल 149.8 मिलियन महिला कामगारों में से 35.9 मिलियन महिलाएं कृषक हैं तथा अन्य 61.5 मिलियन महिलाएं खेतिहर मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। शेष महिला कामगारों में से 8.5 मिलियन घरेलू उद्योग में हैं तथा 43.7 मिलियन अन्य कामगारों के रूप में वर्गीकृत हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 2001 में 25.63 प्रतिशत की तुलना में 25.51 प्रतिशत है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.)

11.2 वर्ष 2019–20 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कराए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) के परिणामों के अनुसार 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.) (प्रतिशत में) अखिल भारतीय स्तर पर 28.7 प्रतिशत था एवं सामान्य स्थिति (प्रधान + गौण) के आधार पर यह शहरी क्षेत्रों के 21.3 प्रतिशत की तुलना में 32.2 प्रतिशत था। सामान्य स्थिति (प्रमुख + गौण) के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए समग्र श्रमबल भागीदारी अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर 30 प्रतिशत था और शहरी क्षेत्र में 23.3 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में यह 33 प्रतिशत था। सामान्य स्थिति (प्रधान + गौण) के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की समग्र बेरोजगारी 4.2 प्रतिशत थी, और शहरी क्षेत्रों में 8.9 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2.6 प्रतिशत थी।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

11.3 पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1951 के सम्मेलन संख्या 100 का भारत सरकार ने वर्ष 1958 में अनुसमर्थन किया था। संवैधानिक उपबंधों को प्रभावी बनाने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन संख्या 100 का प्रवर्तन सुनिश्चित करने ने लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को अधिनियमित किया गया था।

11.4 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पुरुष और महिला कामगारों को बिना किसी भेदभाव के उसी कार्य अथवा समय कार्य हेतु पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने तथा उसी कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य हेतु भर्ती करते समय, अथवा भर्ती के उपरांत सेवा की किसी शर्त जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण अथवा स्थानांतरण में महिला कर्मचारी के प्रति भेदभाव की रोकथाम का प्रावधान हैं। इस अधिनियम के उपबंधों का रोजगार की सभी श्रेणियों तक विस्तार किया गया है। इस अधिनियम को दो स्तरों अर्थात केंद्रीय और राज्य स्तर पर कार्यान्वित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को सौंपा गया है जो केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) की अध्यक्षता करते हैं।

11.5 ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी है, समान पारिश्रमिक अधिनियम के प्रावधानों को राज्य श्रम विभागों के अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है। महिला कामगारों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय–समय पर अधिनियम को सख्ती से लागू करने की सलाह दी जाती है। तथापि, इस अधिनियम को अब वेतन संहिता 2019 में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसे दिनांक 08.08.2019 को अधिसूचित किया गया है।वेतन

संहिता 2019 सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होगा।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

11.6 कार्य एवं पारिवारिक दायित्वों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से पारिवारिक और सामाजिक नीतियों की आवश्यकता के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार ने वर्ष 2017 में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम 2017 के अधिनियमन द्वारा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों से साथ–साथ सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तथा 50 अथवा अधिक कर्मचारियों वाली स्थापनाओं में शिशु कक्ष (क्रेच) की सुविधा का प्रावधान किया है। संशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के विस्तृत उपबंध इस अध्याय के साथ संबद्ध बाक्स में दिए गए हैं।

11.7 अधिनियम में यह भी उपबंध किया गया है कि महिला को सौंपे गए काम की प्रकृति ऐसी है कि वह नियोक्ता और महिला द्वारा परस्पर सहमति से ऐसी अवधि के लिए और शर्तों पर मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने के बाद घर से काम कर सकती है। मंत्रालय ने दिनांक 01.01.2021 की सलाहकार द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि बच्चों के जन्म की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए नर्सिंग माताओं को घर से काम, काम की ऐसी प्रकृति को घर से किया जा सकता है,करने की अनुमति के लिए नियोक्ताओं को सलाह दें ।

शिशु देखभाल केंद्र

11.8 महिला कामगारों की सुविधा के लिए शिशु देखभाल केंद्र खोलने के लिए कुछ श्रम क़ानूनों में सांविधिक उपबंध किए गए हैं। इन उपबंधों में कारख़ाना अधिनियम, 1948, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, खान अधिनियम, 1952, बागान अधिनियम, 1951 तथा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 शामिल हैं।

शिकायत समिति

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों को देखने के लिए शिकायत समिति गठित की गई है।

महिला कामगारों का प्रशिक्षण

11.10 भारत सरकार की तर्ज पर महिला कामगारों के सशक्तिकरण के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) द्वारा बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला कामगारों की अधिक सहभागिता के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। वर्ष 2021–22 (अक्टूबर 2021 तक) के दौरान बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2,79,573 महिलाओं ने भाग लिया। कुल 2,79,573 महिला कामगारों में से 1,09,729 अनुसूचित जाति वर्ग और 36,443 अनुसूचित जनजाति वर्ग की थी।

11.11 दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) महिला कामगारों के लिए दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है जिसमें असंगठित क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों से केवल महिला प्रतिभागियों को नामांकित किया जाता है। अक्टूबर 2021 तक महिला कामगारों के लिए ऐसे 242 विशेष कार्यक्रम संचालित किया गए, जिनमें 18038 कामगारों ने भाग लिया। महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों, तथा महिला और बच्चों के संबंध में विभिन्न श्रम विधानों के अंतर्गत उपबंधों और महिला तथा बच्चों के उत्थान अर्थात स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्पूर्ण देखभाल आदि से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न अन्य कल्याण संबंधी उपबंधों से अवगत कराया गया।

11.12 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी.जी.एन.एल.आई.) जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक प्रशिक्षण, शोध एवं नीति संस्थान है, महिला कामगारों के लिए श्रम एवं रोजगार के मामलों पर नियमित रूप से विभिन्न अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। लैंगिक, लैंगिक बजटिंग तथा मुख्य धारा में लाने और महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर इक्कीस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 433 महिलाओं ने भाग लिया। इन इक्कीस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ नाम निम्नानुसार हैं:

1. लैंगिक, गरीबी और रोजगार–25–29 जनवरी, 2021
2. लैंगिक और विकासः महिला कामगारों के लिए श्रम नीतियों पर विशेष ध्यान–27–29 जनवरी, 2021
3. लैंगिक, शिष्ट कार्य एवं सामाजिक संरक्षण–15–17 फरवरी, 2021
4. लैंगिक संवेदनशील वातावरण को सुकर बनाना–पुलिस कर्मियों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण–22–26 फरवरी, 2021
5. श्रम में लैंगिक मामलों में शोध पद्धति–15–19 फरवरी, 2021
6. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण में क्षमता वृद्धि–08–10 मार्च, 2021
7. श्रम में लैंगिक मामले–24–26 मार्च, 2021
8. उत्तर पूर्वी राज्यों की महिला कामगारों से संबंधित क़ानूनों और श्रम मामलों पर सतर्कता सुदृद्ध करना–08–10 मार्च, 2021
9. महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता से संबंधित कानून–03–07 मई, 2021
10. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण में क्षमता वृद्धि–27–30 सितम्बर, 2021
11. लैंगिक और श्रम मामले–12–16 अप्रैल,2021
12. लैंगिक अनुक्रियाशील बजटिंग–28 जून से 02 जुलाई, 2021
13. लैंगिक, गरीबी और रोजगार–12–16 जुलाई, 2021
14. लैंगिक, शिष्ट कार्य और सामाजिक संरक्षण–19–23 जुलाई, 2021
15. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीति विकसित करना–23–27 अगस्त, 2021
16. लैंगिक, श्रम क़ानूनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर नया दृष्टिकोण–27 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2021
17. लैंगिक और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षक कार्यक्रम का प्रशिक्षण–04–08 अक्टूबर, 2021
18. श्रम में लैंगिक मामले : एक व्यावहारिक दृष्टिकोण–05.09 अप्रैल, 2021
19. लैंगिक, कार्य और सामाजिक संरक्षण–7–10 जून, 2021
20. लैंगिक, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर शोध पद्धति–16–18 जून, 2021
21. लैंगिक, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर शोध पद्धति–12–18 अक्टूबर, 2021

रोजगार तलाशने वाली महिलाओं को सहायता

महिलाओं के लिए नेशनल करियर सर्विस की विशेषताएं

11.13 महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल करियर सर्विस (एन.सी.एस.) महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है ताकि उन्हें उचित अवसर प्राप्त ओ सकें। नेशनल करियर सर्विस (एन.सी.एस.) पोर्टल के होमपेज पर "महिलाओं के लिए नौकरी" नामक एक विशिष्ट शीर्षक प्रदर्शित किया गया है जिसके माध्यम से वे आसानी से उचित नौकरी ढूंढकर आवेदन कर सकती हैं। महिला उम्मीदवारों को मॉडल करियर केन्द्रों द्वारा आयोजित नौकरी मेलों और भर्ती अभियानों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेशनल करियर सर्विस (एन.सी.एस.) पर एक कार्यात्मक सुविधा भी उपलब्ध कारवाई गई है जहां घरेलू उपयोगकर्ता अपने क्षेत्र के स्थानीय सेवा प्रदाताओं जैसे नालसाज़, इलेक्ट्रिशियन, रसोइया, ब्यूटिशियन आदि से जुड़ सकते हैं।

11.14 रोजगार कार्यालय उनके यहां पंजीकृत महिलाओं की रोजगार आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देते हैं। वर्ष 2017 के दौरान कुल 85.1 हजार और वर्ष 2018 के दौरान कुल 58.2 हजार महिलाओं को विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरी दी गई।

11.15 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दी गई नौकरी का विवरण **अध्याय–24 (तालिका 24.2)** में दिया गया है।:

तालिका 24.2

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	महिलाओं का लाइव रजिस्टर	कुल लाइव रजिस्टर	कुल लाइव रजिस्टर में से महिलाओं के लाइव रजिस्टर का %
2009	1989.9	53.4	12404.7	38152.2	32.5
2010	2005.4	107.1	12924.1	38818.5	33.3
2011	2122.6	85.7	13694.8	40171.6	34.1
2012	3511.0	67.8	15645.8	44790.1	34.9
2013	2233.2	58.7	16549.1	46802.5	35.4
2014	2189.4	60.8	17078.3	48261.1	35.4
2015	2532.7	59.9	15540.0	43502.7	35.7
2016	2256.8	59.7	15731.4	43376.1	36.3
2017	635.5	49.8	15649.5	42809.1	36.6
2018	1437.0	58.2	15611.0	42122.3	37.1

तालिका- 11.1

महिलाओं का नियोजन – सुरक्षात्मक कानूनी उपबंध

अधिनियमन का नाम	संरक्षात्मक उपबंध
1.बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	**14. शिशुकक्ष :-** (1) प्रत्येक औधोगिक परिसर जिसमें सामान्यत: तीस से अधिक महिला कर्मचारी नियोजित हो, वहां इन महिला कर्मचारियों के छह वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त कमरा अथवा कमरों की व्यवस्था की जाएगी एवं उनका रखरखाव किया जाएगा। (2) ये कमरे (क) पर्याप्त आवास उपलब्ध करवाएंगे ; (ख) पर्याप्त रूप से रोशनी वाले और हवादार होंगे ; (ग) सफाई और स्वच्छता शर्त में अनुरक्षित होंगे ; (घ) बच्चों और शिशुओं की देखरेख में प्रशिक्षित महिलाओं की निगरानी में होंगे। (3) राज्य सरकार निम्नानुसार नियम बना सकती है – (क) इस धारा के अंतर्गत उपबंधित कमरों के निर्माण, आवास, फर्नीचर और अन्य उपस्करों के संबंध में स्थान और मानक निर्धारित करना ; (ख) किसी औधोगिक परिसर जिसमें यह धारा लागू होती है, में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान करना जिनमें उनके कपड़े धोने और बदलने की सुविधा के उपयुक्त प्रावधान शामिल हो ;

	(ग) किसी औधोगिक परिसर में ऐसे बच्चों के लिए नि:शुल्क दूध या जलपान अथवा दोनों का प्रावधान हो ; (घ) किसी औधोगिक परिसर में ऐसे बच्चों की माताओं के लिए आवश्यक अंतराल पर अपने बच्चों को दूध पिलाने की अपेक्षित सुविधाएं हो।
2.बगान श्रम अधिनियम, 1951	• प्रत्येक उस बगान में जिसमें पचास या इससे अधिक महिला कामगार (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कामगारों सहित) नियोजित हो अथवा जहां महिला कामगारों (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कामगारों सहित) के बच्चों की संख्या बीस या इससे अधिक हो में शिशुकक्ष का प्रावधान करना। • परिवार की परिभाषा लिंग निरपेक्ष बनाई गई है ताकि आश्रितजन प्रसुविधा का लाभ उठाने के लिए पुरुष एवं महिला कामगारों के परिवारों के बीच का अंतर मिटाया जा सके। परिवार में महिला और पुरुष कामगारों की आश्रित विधवा बहन भी शामिल होगी। • बगानों में कार्यरत्त कामगारों, विशेषकर महिलाओं और किशोरों की सुरक्षा और व्यवसायजन्य स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु बगानों में प्रयुक्त रसायनों, कीटनाशकों और विषाक्त पदार्थों को संभालने, भंडारण करने अथवा लाने-ले जाने से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ा गया है।
3.ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970	• प्रत्येक उस स्थान पर जहां ठेका श्रमिक को रात में रुकना आवश्यक हो, महिला कर्मचारियों के लिए अलग से विश्राम गृहों अथवा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था हो। • भोजन कक्ष तथा सेवा काउंटर के अलग आरक्षित भाग की व्यवस्था हो। • निजता बनाए रखने हेतु महिलाओं के लिए अलग से धुलाई के स्थान (वाशरूम) एवं शौचालय की व्यवस्था हो। • उन स्थानों पर शिशुकक्ष का प्रावधान हो जहां सामान्यत: 20 या उससे अधिक महिलाएं ठेका श्रमिक के रुप में नियोजित हो।
4.अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979	**धारा 44** **क्रेच (शिशुकक्ष)** (1) प्रत्येक स्थापना जिसमें 20 या उससे अधिक कामगार सामान्यत: प्रवासी कामगारों के रूप में नियोजित हैं तथा जिसमें प्रवासी कामगारों को तीन माह या उससे अधिक समय के लिए नियोजित रखे जाने की संभावना है, तो ठेकेदार, मौजूदा स्थापना के मामले में नियमों के लागू होने के पंद्रह दिनों के भीतर और नई स्थापना में कम से कम बीस प्रवासी महिलाओं के नियोजन शुरू होने के पंद्रह दिनों के भीतर उनके छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग हेतु उचित आकार-प्रकार के दो कमरे उपलब्ध कराएगा और उनका रखरखाव करेगा। (2) इनमें से एक कमरा बच्चों के खेलकक्ष के रूप में और दूसरा बच्चों के शयन कक्ष के लिए इस्तेमाल होगा।

	(3) यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर शिशुकक्ष उपलब्ध कराने में असफल होता है तो ठेकेदार को दिए गए समय की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर यह सुविधा प्रधान नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। (4) ठेकेदार या प्रधान नियोक्ता, जो भी हो, वह खेलकक्ष में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल सामग्री तथा शयन कक्ष में पर्याप्त संख्या में पलंगों तथा बिस्तरों की आपूर्ति करेगा। (5) शिशु कक्ष का निर्माण ऐसा होगा जो गर्मी, सीलन, हवा, वर्षा से पर्याप्त सुरक्षा दे और उसका फर्श समतल, सख्त एवं अभेद्य हो। (6) शिशु कक्ष स्थापना से सुगम दूरी पर हो और उसमें ; (7) शिशु कक्ष के प्रत्येक कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए स्वच्छ हवा के संचार हेतु प्रभावी और उचित प्रावधान किए जाएँ तथा प्राकृतिक या कृत्रिम, उपयुक्त रोशनी भी उपलब्ध और बनाई रखी जाए।
5. कारखाना अधिनियम,1948	• सामान्यत: तीस से अधिक महिला कामगारों को नियोजित करने वाले हर कारखाने में शिशु कक्ष का प्रावधान। • प्रात: 6.00 बजे से सायं 7.00 बजे के बीच की अवधि को छोड़कर कारखाने में महिलाओं का नियोजन करना निषिद्ध है। तथापि, विशेष परिस्थितियों में रात्रि 10.00 बजे तक महिलाओं के नियोजन की अनुमति है। • खतरनाक प्रचालन वाले कतिपय कारखानों में भी महिलाओं का नियोजन निषिद्ध/ वर्जित है। • किसी भी महिला को गतिमान प्राइम मूवर के किसी भाग की सफाई करने, उसमें ल्यूब्रिकेट लगाने या उसे व्यवस्थित करने की अनुमति नहीं होगी। • किसी भी महिला को कारखाने के किसी भी भाग में कपास की प्रेसिंग के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जब कॉटन ओपनर चालू अवस्था में हो ।
6. खान अधिनियम,1952	• दिनांक - 29.01.2019 को प्रकाशित गजट अधिसूचना संख्या-एसओ 506 (ई) के असाधारण भाग-II, खंड-3, उप खंड(ii) द्वारा खान अधिनियम 1952 की धारा 46(1) के उपबंधों के अनुसार किसी भी महिला का तकनीकी, पर्यवेक्षी एवं प्रबंधकीय कार्यों हेतु भूतल के ऊपर की खदानों जिनमें ओपनकास्ट वर्किंग शामिल है, में सायं 07 बजे से प्रातः 06 बजे तक तथा भूतल के नीचे की खदानों में प्रात: 6 बजे से और सायं 7 बजे तक नियोजन की निषिद्धता में छूट प्रदान की है बशर्ते उनकी व्यावसायिक रक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु समुचित सुविधा एवं सुरक्षा उपायों का प्रावधान हो | • समुचित सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में डीजीएमएस ने खान प्रबंधन को परामर्श दिया कि रात के घंटों में महिलाओं की तैनाती करने से संबंधित मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार किया जाना है	
7. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्नांकित प्रसुविधाएं उपलब्ध हैं- • 02 जीवित बच्चों तक के लिए 26 सप्ताह की प्रसूति छुट्टी

	जिसमें से आठ सप्ताह प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व की अवधि के लिए है। दो से अधिक बच्चों तथा गोद लेने वाली/कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह की सवेतन प्रसूति छुट्टी। • गर्भावस्था के कारण उत्पन्न रुग्णता से पीड़ित, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म (गर्भपात, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अथवा महिला नसबंदी) के मामले में महिला कर्मचारी को एक माह की प्रसूति छुट्टी। • शिशु के 15 मास की आयु पूरी करने तक शिशु पोषण के लिए 15 मिनट के दो नर्सिंग विराम। • यदि नियोक्ता द्वारा प्रसव पूर्व और प्रसूति के बाद नि:शुल्क देखभाल उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो 3500/-रुपये का चिकित्सा बोनस। • 10 सप्ताह तक हल्के कार्य | • गर्भावस्था के दौरान अनुपस्थिति के कारण पदच्युति पर रोक। • प्रसूति प्रसुविधा हेतु पात्र महिला की मजदूरी में से कटौती नहीं। • घर से कार्य करने की सुविधा। • 50 अथवा अधिक कर्मचारियों वाली स्थापनाओं में प्रतिदिन चार विजिट के साथ शिशु कक्ष की सुविधा।
8. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	• एक समान कार्य या एक समान स्वरूप के कार्य के लिए पुरूषों तथा महिलाओं को समान पारिश्रमिक दिया जाना अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित है। • भर्ती तथा सेवा शर्तों में कोई भेदभाव न किया जाए बशर्ते कि किसी कानून के तहत अथवा द्वारा महिलओं का नियोजन निषिद्ध या प्रतिबंधित किया गया हो।
9. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) विनियम, 1950 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	क.रा.बी. योजना के अंतर्गत मौजूद हितलाभ निन्नानुसार है :- • चिकित्सा हितलाभ • बीमारी एवं विस्तारित बीमारी हितलाभ • प्रसूति हितलाभ (i) 02 बच्चों तक 26 सप्ताह का सवेतन छुट्टी (ii) 02 बच्चों से अधिक बच्चों को गोद लेने वाली और कमिशनिंग माता के लिए 12 सप्ताह का छुट्टी (iii) गर्भपात के लिए 6 सप्ताह (iv) गर्भावस्था के कारण उपजी बीमारी के लिए अतिरिक्त माह का अवकाश (v) 5000/- रूपये का चिकित्सा बोनस • नि:शक्ता हितलाभ • आश्रितजन हितलाभ • अंत्येष्टि हितलाभ

10. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	• क्रम संख्या 10-13 में अधिनियम के तहत सलाहकार एवं केन्द्रीय सलाहकार समिति में महिला सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य है।
11. लौह अस्यक खान, मैग्नीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976	
12. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972	
13. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946	
14. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996	**धारा 35** **शिशुकक्ष** 1. प्रत्येक स्थान पर जहां 50 से अधिक महिला भवन निर्माण कामगार सामान्यत: नियोजित हैं वहां इनके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग हेतु उचित कमरा अथवा कमरें उपलब्ध कराएं जांएगे और उनका रखरखाव किया जाएगा। 2. इन कमरों में – (क) पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा : (ख) पर्याप्त रूप से रोशनी और हवा होगी : (ग) साफ -सफाई का पूरा ध्यान रखा गया होगा : (घ) बच्चों और शिशुओं की देखरेख में प्रशिक्षित महिलाओं के संरक्षण में होगा।
15. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	• उनके कार्य-स्थल पर महिला कामगारों के यौन-उत्पीड़न के विरूद्ध सुरक्षा संबंधी प्रावधान करना।

अध्याय-12

बच्चे एवं कार्य

प्रस्तावना

12.1 हमारे संविधान में बच्चों को आर्थिक गतिविधियों और उनकी आयु से मेल नहीं खाने वाले व्यवसायों में काम करने से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान मौलिक अधिकारों में दिया गया है (अनुच्छेद–24)। संविधान में राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत भी इस प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से दोहराते हैं।

संवैधानिक उपबंधः

अनुच्छेद 21 क

शिक्षा का अधिकार

राज्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ऐसे ढंग से प्रदान करेगा जैसे राज्य, विधि द्वारा, निर्धारित करेगा।

अनुच्छेद 24

कारखानों, आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध

14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य जोखिमकारी रोजगार में लगाया नहीं जाएगा।

अनुच्छेद 39

राज्य, विशेषतया, अपनी नीति निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की दिशा में निदेशित करेगाः–

कामगारों, पुरूषों एवं महिलाओं, के स्वास्थ्य एवं शक्ति, तथा बच्चों की नाजुक आयु प्रताडित न हो तथा यह कि नागरिक आर्थिक आवश्यकता द्वारा अपनी आयु अथवा शक्ति के लिए अनुपयुक्त उपजीविकाओं में जाने को बाध्य न हों।

12.2 नियोजन के विरुद्ध बच्चों के संरक्षण हेतु किए गए संवैधानिक एवं कानूनी उपबंधों को सन् 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम–नीति में वर्णित किया गया है। इस नीति में बाल श्रम के जटिल मुद्दे को व्यापक, समग्र एवं एकीकृत ढंग से निपटने की बात कही गयी है। इस नीति के अंतर्गत कार्य योजना बहुमुखी है और इसमें मुख्यतया निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैंः

(i) विधायी कार्य योजना;

(ii) बच्चों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना; और

(iii) बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना।

कार्य स्थल पर बालकों का विधिक संरक्षण

12.3 बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 2016 में यथा संशोधित, अन्य बातों के साथ–साथ सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन या काम पर पूर्ण प्रतिबंध; शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु आयु से नियोजन के प्रतिषेध की आयु को संबद्ध करना; जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14–18 वर्ष की आयु) के नियोजन का निषेध और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए और कड़ा दंड बनाना शामिल है।

12.4 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 में, अन्य बातों के साथ–साथ, निवारण, बचाव और पुनर्वास तथा कनवर्जेंस, बच्चे के परिवार के स्वामित्व वाले पारिवारिक उद्यमों में "सहायता" की परिभाषा तथा बाल कलाकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनके विनियमन के प्रावधान शामिल

हैं। इन नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों का उचित रुप से प्रवर्तन हो, जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्य बल के भी प्रावधान हैं।

12.5 इस अधिनियम में अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार–क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले प्रतिष्ठानों या रेलवे प्रशासन या प्रमुख पत्तन या खान या तेल क्षेत्र के संबंध में "समुचित सरकार" है। अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार "समुचित सरकार" है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कार्य योजना में संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों की ओर से की जाने वाली कार्रवाईयां उल्लिखित हैं।

12.6 अधिनियम की जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की अनुसूची को दो भागों में विभाजित किया है अर्थात 'भाग क' जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची को शामिल करते हुए जिनमें किशोरों को कार्य करने से और बच्चों को परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने से प्रतिषिद्ध किया गया है तथा 'भाग ख' में व्यवसायों और प्रक्रियाओं की अतिरिक्त सूची को शामिल करते हुए जिनमें बच्चों को ('भाग क' के अलावा) परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। अधिनियम की संशोधित अनुसूची **अनुबंध–12.1** में है।

12.7 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम में 2016 में समुचित संशोधन करने के पश्चात भारत सरकार ने आईएलओ अभिसमय 138 (रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के निकृष्ट रुप) का 13.06.2017 को अनुसमर्थन किया। इन दो महत्वपूर्ण अभिसमयों के अनुसमर्थन से, भारत उन अधिकांश देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बच्चों के नियोजन तथा कार्य करने को प्रतिषिद्ध करने और उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने हेतु इस विधान को अंगीकार किया है।

12.8 मंत्रालय द्वारा निर्मित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) बाल श्रम के पूर्ण प्रतिषेध तथा जोखिमकारी श्रम से किशोरों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षकों, पेशेवरों तथा निगरानी एजेंसियों के लिए रेडी रेकनर का काम करती है जिससे अंततः बाल श्रम मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) वैधानिक उपबंधों के प्रवर्तन तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के प्रभावी क्रियान्वयन दोनों के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल में शिकायत कॉर्नर, राज्य सरकार, एनसीएलपी, चाइल्ड ट्रैकिंग पद्धति तथा कन्वर्जेन्स जैसे घटक हैं। अब बाल श्रम की शिकायत त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित जिला नोडल अधिकारी को इस पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक ढंग से पंजीकृत की जा सकती है।

परियोजना आधारित कार्रवाई

12.9 बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने देश के बाल श्रम बहुल जिलों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास हेतु 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम आरम्भ की थी। आदिनांक यह स्कीम देश के 324 जिलों में संस्वीकृत है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिकों हेतु संस्वीकृत विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों वाले जिलों की सूची **तालिका 12.2** में दर्शाई गई है।

12.10 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए स्कीम के अंतर्गत कलेक्टर/जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर परियोजना समितियां गठित की जाती हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, 9–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काम से हटाया जाता है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण केन्दों में दाखिल कराया जाता है, जहाँ उन्हें समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं और अन्ततः उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जाता है। 5–8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ निकट समन्वय के माध्यम से उन्हें सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है।

जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत 14–18 वर्ष के आयु वर्ग के चिंह्नित किशोर श्रमिकों को कौशल विकास की विद्यमान योजना के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, परिवार के आर्थिक स्तर को बढाने के लिए इन बच्चों के परिवारों को सरकार के विभिन्न विकासात्मक एवं आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल करने के लिए इन बच्चों के परिवारों को लक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम की कुरीतियों के विरुद्ध तथा बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु जागरूकता सृजन अभियान का वित्त–पोषण करता है। प्रारंभ से लगभग 14 लाख कामकाजी बच्चों को एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत पहले ही नियमित शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

12.11 पिछले चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत वर्ष–वार आबंटित बजट एवं किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन(अंतिम अनुदान)	व्यय
2017-18	95.17	94.03
2018-19	89.99	89.99
2019-20	78	77.47
2020-21	49	41.20

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का अनुवीक्षण

12.12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण हेतु सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति है। राज्य सरकारों को भी केन्द्र की अनुवीक्षण समिति के समान ही राज्य स्तर की अनुवीक्षण समितियों का गठन करने की सलाह दी गई है।

12.13 एनसीएलपी स्कीम के कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण में राज्य सरकार को शामिल करने तथा बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता सृजन क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य श्रम सचिव की अध्यक्षता में राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) गठित करने का निर्णय किया गया है। मंत्रालय द्वारा विकसित पेन्सिल पोर्टल केंद्र सरकार, जिलों तथा सभी परियोजना सोसाइटियों को जोड़ता है। एसआरसी पेन्सिल पोर्टल के माध्यम से अपने संबंधित राज्य में एनसीएलपी योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं अनुवीक्षण करेगा तथा पेन्सिल पोर्टल पर इसकी रिपोर्टें भी अपडेट करेगा।

12.14 मंत्रालय ने एनसीएलपी योजना के अंतर्गत एसटीसी में नामांकित बच्चों के लिए पेन्सिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति और बच्चों को डीबीटी के माध्यम से वजीफे के त्वरित भुगतान करने के लिए उपस्थिति विवरण मॉड्यूल का विकास किया है।

सरकारी कार्यकर्मों का समेकन (कन्वर्जेंस)

12.15 सरकार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर चालू विकासात्मक स्कीमों की कन्वर्जेंस की दिशा में बेहद केन्द्रित और समन्वित प्रयास कर रही है। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के लिए कतिपय अधिकार और स्कीमें देने के लिए भारत सरकार की सभी पहलें बाल श्रम का उन्मूलन करने के प्रयासों का भाग हैं। परिशोधित एनसीएलपी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और अन्य स्कीमों के साथ इसकी कन्वर्जेंस पर अधिक बल दिया गया है। एनसीएलपी स्कूलों (एसटीसी) में प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूल की वर्दियाँ और पाठ्य–पुस्तक एसएसए के अंतर्गत व्यवस्थित हैं जबकि सरकार की मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम) के माध्यम से पका हुआ पोषक मध्याह्न भोजन सुनिश्चित किया जाता है। स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य कार्ड बनाने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का प्रावधान भी एनआरएचएम के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

एनसीएलपी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्र केवल उन्हीं जिलों में संचालित होगा जहां उस क्षेत्र में एसएसए के तहत कोई

विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालित नहीं है। इसके अलावा, एनसीएलपी योजना दिशानिर्देशों में एसएसए के तहत 'स्कूल से बाहर' बच्चों के वार्षिक सर्वेक्षण के साथ अभिसरण की भी परिकल्पना की गई है।

12.16 बच्चों का शैक्षिक पुनर्वास उनके परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के साथ भी संपूरित किया जाना है। सरकार परिशोधित एनसीएलपी स्कीम तथा सरकार की विभिन्न विकासात्मक स्कीमों की कन्वर्जेंस के माध्यम से भी ना केवल कामकाजी बच्चों के बल्कि उनके परिवारों के उचित पुनर्वास पर ध्यान–केन्द्रण के साथ सुसंगत पद्धति को अंगीकार कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में आश्रय स्थलों संबंधी उनकी स्कीमों के माध्यम से काम से छुड़ाए गए बच्चों को भोजन और आश्रय का प्रावधान करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा के अंतर्गत बच्चों के माता–पिता को उनके निवास स्थान के नजदीक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इमदादी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है।

बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि का प्रावधान:

12.17 पुनर्वास निधि के लिए सांविधिक समर्थन देने के लिए, सरकार ने जिला स्तर पर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि के गठन हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है कि न केवल उन्हें बचाया जाए बल्कि बच्चों और किशोरों के कल्याण और शिक्षा के लिए निधि में एकत्रित राशि द्वारा उनका भविष्य भी सुरक्षित किया जाए। बच्चों या किशोरों के नियोजकों से वसूले गए जुर्माने की राशि पुनर्वास निधि में जमा की जाएगी तथा काम से बचाए गए प्रत्येक बच्चे और किशोरों के लिए समुचित सरकार द्वारा पंद्रह हजार रुपये की राशि भी जमा कराई जाएगी।

<u>अनुबंध 12.1</u>

"खण्ड क

जोखिमकारी व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें किशोरों का काम करना तथा बच्चों का मदद करना निषेध है

(1) खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

(i) पत्थर खानें;

(ii) ईंटों की भट्ठियां;

(iii) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना तथा प्रहस्तन शामिल है; अथवा

(iv) खुले गड्ढे की खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे–

(i) पटाखों का उत्पादन, भंडारण अथवा बिक्री;

(ii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतारना अथवा लाना / ले जाना;

(iii) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से संबंधित कार्य अथवा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों;

(iv) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप–उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन; अथवा

(v) प्राकृतिक गैस और अन्य संबद्ध उत्पाद।

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जोखिमकारी प्रक्रियाएं (क्रम संख्या (3) से (31)) नीचे दी गई हैं

(3) लौह धात्विक उद्योग

(i) एकीकृत लौह और इस्पात;

(ii) लौह–मिश्र धातु

(iii) विशेष इस्पात

(4) अलौह धात्विक उद्योगः प्राथमिक धात्विक उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम।

(5) ढला ईखाना (लौह और अलौह) : कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा ककसचिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाने बालू और शॉट ब्लॉस्टिंग द्वारा स्वमूदनिंग अथवा रफनिंग।

(6) कोयला (कोक सहित) उद्योग :

(i) कोयला, लिग्नाईट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;

(ii) इंधन केसेस (कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस सहित)

(7) विद्युत उत्पादन उद्योग।

(8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग।

(9) उर्वरक उद्योग

(I) नाइट्रोजनयुक्त;

(ii) फॉस्फेटिक;

(iii) मिश्रित।

(10) सीमेंट उद्योगः पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पुज्जोलोना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित)।

(11) पैट्रोलियम उद्योगः

(i) तेल परिष्करण;

(ii) स्नेहन तेल और ग्रीस।

(12) पेट्रो–रसायन उद्योग।

(13) दवा और औषधीय उद्योगः मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स।

(14) फर्मन्टेसन उद्योग (डिस्टिलरीज एवं ब्रिवरीज)

(15) रबड़ (सिंथेटिक उद्योग)।

(16) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग।

(17) चमड़ा शोधन उद्योग।

18) इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग।

(19) रसायनिक उद्योगः

(i) कोक ओवन गौण – उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद;

(ii) औद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, आर्गन, कार्बन डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस);

(iii) औद्योगिक कार्बन;

(iv) क्षार और अम्ल;

(v) क्रोमेट्स और डायक्रोमेटस;

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ;

(vii) इलैक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स);

(viii) इलेक्ट्रो थर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैलशियम कार्बाइड);

(ix) नाइट्रोजनस कम्पाउंड (साइनाइड, साइनामाइड्स और अन्य नाइट्रोजनस यौगिक पदार्थ);

(x) फोसफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्स और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन);

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित)।

(20) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग।

(21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक।

(22) मानव निर्मित फाइबर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक)उद्योग।

(23) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत।

(24) शीशा ओर सिरेमिक।

(25) धातुओं की घिसाई या चमकाना।

(26) एसबेसटोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण।

(27) वानस्पतिक और पशु स्त्रोतों से तेल और वसा की निकासी।

(28) बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग।

(29) कार्बन डाईसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन।

(30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम।

(31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें।

(32 जोखिमकारी रसायन विनिर्माण, संचयन और आयात नियम, 1989 की अनुसूची –I के भाग–II में यथाविनिर्दिष्ट जोखिमकारी और विषाक्त रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया।

(33) सिर काटने संबंधी कार्य सहित बूचड़खानों और कसाईखानों में कार्य।

(34) इलैक्ट्रॉनिक कचरा सहित रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभाव में आने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं।

(35) पोत विभंजन;

(36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) केन्द्रीय नियम 1998 की अनुसूची–IX में यथाविनिर्दिष्ट जोखिमपूर्ण प्रक्रयाएं ।

(38) बीड़ी बनाने अथवा तंबाकू के विनिर्माण, पेस्टिंग और प्रहस्तन सहित तंबाकू के प्रसंस्करण अथवा खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थ उद्योग में किसी औषध अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा एल्कोहॉल और किसी बार, पब, पार्टी अथवा अन्य सदृश अवसरों पर जिनमें एल्कोहॉल युक्त पदार्थ परोसे जाते हों, उनमें तंबाकू के विनिर्माण, पेस्टिंग और प्रहस्तन सहित तंबाकू के प्रसंस्करण में कार्य।

भाग –ख

व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं की सूची जिनमें परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में बच्चों का मदद करना निषेध है (भाग क के अलावा)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय–

1. रेलों द्वारा यात्रियों, माल अथवा डाक को इधर उधर ले जाना;
2. रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;
3. रेलवे स्टेशन पर भोजनालय स्थापन में काम करना, इसमें स्थापन के किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता का एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना शामिल है;
4. रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा अन्य काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;
5. किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;
6. ओटो मोबाइल वर्कशॉप और गैराज;
7. हथकरघा एवं पावर लूम उद्योग;
8. प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;
9. घरेलू कामगार अथवा नौकर;
10. ढाबे (सड़क किनारे की खाने–पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट;

11. गोताखोरी;
12. सर्कस;
13. हाथियों की देखभाल;
14. विद्युत चालित बेकरी मशीन;
15. जूता निर्माण;

प्रक्रियाएं

1. कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;
2. सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक;
3. कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल है;
4. लाख/शीलैक विनिर्माण;
5. साबुन बनाना;
6. ऊन की सफाई;
7. भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण सामग्री; बढ़ईगिरि; राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;
8. स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);
9. अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;
10. काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया;
11. इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने(सोल्ड्रिग) की प्रक्रिया;
12. अगरबत्ती' का निर्माण;
13. आटोमोबाईल मरम्मत और रख–रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी वैल्डिंग इकाइयाँ लेथवर्क डेंट बीटिंग एवं पेन्टिग प्रक्रियाएं शामिल हैं;
14. रुफ टाइल्स इकाईयां;
15. रूई सूत की ओटाई और इसकी प्रोसेसिंग और हौजरी का सामान बनाना;
16. डिटरजेंट का निर्माण;
17. फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नानफेरस);
18. रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;
19. क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों की हैंडलिंग;
20. जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;
21. चूनाभट्टा और चूना निर्माण;
22. ताला बनाना;
23. ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु वस्तुओं को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड, वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, सीसा खनन, नलसाजी, केबल बनाना, तारबिछाना, सीसाढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;
24. सीमेन्ट पाइप्स या सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;
25. काँच, काँच के बर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियों, दूधिया ट्यूबें, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल हैं;
26. कीटनाशकों और टिड्डीनाशकों का निर्माण और उनका रख–रखाव;
27. जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण अथवा प्रसंस्करण और हैंडलिंग;
28. जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;
29. खेल–कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;
30. तेल की पिराई और परिष्करण;

31. कागज बनाना;

32. चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;

33. पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है;

34. ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;

35. आरामिल–सभी प्रक्रियाएं;

36. रेशम उद्योग प्रसंस्करण;

37. चमड़े और चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग,रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;

38. टायर निर्माण, मरम्मत,री–ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

39. बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;

40. 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाएं (सभी प्रक्रियाएं);

41. ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;

42. धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;

43. हीरों की कटाई और पालिश;

44. कचरा उठाना और सफाई संबंधी कार्य;

45. मशीनीकृत मछली पालन;

46. खाद्य प्रसंस्करण;

47. पेयपदार्थ उद्योग;

48. मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैंकिंग करने का कार्य;

49. लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;

50. लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

51. भंडारागार कार्यकलाप;

52. मसाज पार्लर जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;

53. निम्नलिखित खतरनाक मशीनों से किए जाने वाले प्रचालनः–

    (क) उत्तोलक एवं लिफ्ट;

    (ख) लिफ्टिंग मशीनें, चैने, रस्सियॉ एवं उत्तोलक रस्सियां;

    (ग) घूमने वाली मशीनें;

    (घ) विद्युत प्रेस;

    (ङ) मेटल ट्रेड में प्रयुक्त मशीनी औजार;

54. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 खण्ड (ट) के उप–खंड (iv) में मुद्रण में यथाविनिर्दिष्ट छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रैस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेफर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य" ।

तालिका 12.2

एनसीएलपी योजना के अंतर्गत जिलों की राज्य-वार समेकित सूची

क्रम संख्या	राज्यों का नाम	संस्वीकृत जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	13	अनन्तपुर, चित्तूर, कडुापा, गुन्टूर, कुरनूल, नेल्लूर, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विजयानगरम, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा
2.	असम	5	नौगांव, कामरूप, बोंगेगांव, नलबारी और लखीमपुर
3.	बिहार	24	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार,अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया और भागलपुर
4.	छत्तीसगढ़	8	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, दंतेवाड़ा और कोरबा
5.	गुजरात	9	सूरत, पंचमहल, कच्छ (भुज), बनासकांठा, दाहोद, वड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट
6.	हरियाणा	3	गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत।
7.	जम्मू और कश्मीर	3	श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर
8.	झारखंड	9	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, पश्चिमी सिंहभूम(चाईबासा) , रांची, पलामू, गुमला और हजारीबाग
9.	कर्नाटक	17	बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बंगलौर ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, दावणगिरी, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार, मांड्या, हावेरी और तुमकुर
10.	मध्य प्रदेश	22	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), राजगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ (खरगौन) झाबुआ, दमोह, सागर, जबलपुर, सतना, इंदौर और कटनी।
11.	महाराष्ट्र	18	सोलापुर, ठाणे, सांगली, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गौंदिया, मुम्बई उप-नगर, पुणे, बुलढ़ाना और परबानी।
12.	नागालैण्ड	1	दीमापुर
13.	ओडिशा	24	अंगुल, बालासोर, बरगढ़, बोलांगीर, कटक, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाडा, रायगड़, सम्बलपुर, सोनपुर, जजपुर, क्योंझर, धनकेनाल, खुर्दा, नयागढ़ और सुन्दरगढ़।
14.	पंजाब	3	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर।
15.	राजस्थान	27	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डुंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटा और बाड़न।

16.	तमिलनाडु	18	चिदम्बरनार/तूतीकुड़ी (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धर्मपुरी, वेल्लोर, सेलम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, कृष्णगिरि, चेन्नई, ईरोड, डिन्डीगुल, तेनी, काँचीपुरम, तिरूवन्नमलई, तिरुवल्लूर, पुदुकोटई, नाम्मकल और विरूधुनगर।
17.	तेलंगाना	31	हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, निजामाबाद, रंगारेड्डी, वारंगल, नालगोंड़ा, मेडक, महबूबनगर, आदिलाबाद, मंचेरियल, निर्मल, कोमुरम भीम असीफाबाद, जगतियाल, वारंगल (शहरी), जयशंकर भुपालपल्ली, जनगांव, सांगारेड्डी, सिद्दीपेट, वानापर्थी, नागरकुर्नूल, जोगुलांबाब गजवाल, सूर्यापेट, मेडचल मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूबाबाद, पेडापल्ली, राजन्ना सिरसिला, बी.कोठागुडेम, वाई.भुवनागिरी और कामारेड्डी।
18.	उत्तर प्रदेश	55	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही(संत रवि दास नगर), बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, गोन्डा, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, कन्नोज, शाहजहांपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, कोशाम्बी, बांदा, गाजियाबाद, जोनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा, एटा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़, अंबेडकर नगर बलिया, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, झांसी, ललितपुर, मैनपुरी, संभल और फिरोजाबाद।
19.	उत्तराखंड	13	देहरादून, चमोली, नैनीताल, चंपावत, अलमोड़ा, हरिद्वार, तेहरी गढ़वाल, पोड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उत्तरकाशी।
20.	पश्चिम बंगाल	20	बर्दवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूम, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर, दार्जिलिंग एवं अलिपुरद्वार
21.	दिल्ली	1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
	कुल	**324**	